रजिस्ट्री सं० डी० 222 REGISTERED No. D. 222

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 26] नई दिल्ली, शनिवार, जून 26, 1971/आषाढ़ 5, 1893

No. 26] NEW DELHI, SATURDAY, JUNE 26, 1971/ASADHA 5, 1893

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

भाग II खण्ड 3—उपखण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और (संघ राज्य-क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़ कर) केन्द्रीय प्राधिकारियों द्वारा जारी किये गये विधि के अन्तर्गत बनाये और जारी किये गये साधारण नियम (जिनमें साधारण प्रकार के आदेश, उप-नियम आदि सम्मिलित हैं)।

General Statutory Rules (including orders, bye-laws etc. of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by Central Authorities (other than the Administrations of Union Territories).

MINISTRY OF LAW AND JUSTICE

(Department of Justice)

New Delhi, the 4th June 1971

G.S.R. 966.—In pursuance of sub-rule (1) of Rule 4 of the Notaries Rules, 1956 and in supersession of Government of India Notification No. 22/43/70-Jdl. III, dated 3rd September, 1970, the Central Government hereby designates Shri K. Thyagarajan, Deputy Secretary to the Government of India in the Department of Justice, Ministry of Law and Justice, as the officer who will discharge the functions of the Competent Authority under the said Rules in relation to Notaries appointed by the Central Government.

[No. 22/13/71-J(B).]

GOVIND NARAIN, Secy.

विधि तथा न्याय मंत्रालय

(न्याय विभाग)

नई दिल्ली, 4 जून, 1971

सा०का०नि० 966.—लेख्य प्रमाणक नियम, 1956 के नियम 4 के उप-नियम (1) के अनुसार तथा भारत सरकार की अधिसूचना संख्या 22/43/70—न्यायिक—III, दिनांक 3 सितम्बर, 1970 का अधिक्रमण करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा विधि तथा न्याय मंत्रालय के न्याय विभाग में भारत सरकार के उप-सचिव श्री के० त्यागराजन को ऐसे अधिकारी के रूप में निर्दिष्ट करती है जो केन्द्रीय सरकार द्वारा नियुक्त लेख्य प्रमाणकों के सम्बंध में उक्त नियमों के अधीन सक्षम प्राधिकारी के कार्य करेंगे।

[सं० 22/13/71—न्यायिक (ख).]

गोविन्द नारायण, सचिव।

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

New Delhi, the 4th June 1971

G.S.R. 967.—In exercise of the powers conferred by clause (1) of article 299 of the Constitution and in partial modification of the notification of the Government of India in the Ministry of Home Affairs, No. G.S.R. 1344, dated the 5th September, 1970, the President hereby directs that in respect of the Union Territory of Goa, Daman and Diu every Indemnity Bond relating to maintenance in, and repatriation from, India in respect of foreigners coming to India to be executed in favour of the President shall be accepted on his behalf by the Collector of Daman and the Civil Administrator, Diu, in addition to the Under Secretary to the Government of Goa, Daman and Diu, Home Department, and further directs that in the schedule to the notification aforesaid for the entry "Union Territory of Goa, Daman and Diu" in column 1 and the corresponding entry in column 2, the following shall be substituted, namely:—

"Union Territory of Goa, Daman and Diu

1. Under Secretary to the Government of Goa, Daman and Diu, Home Department.

2. Collector of Daman.

3. Civil Administrator, Diu."

[No. 11013/4/71-F.I.]

R. A. S. MANI, Under Secy.

गृह मंत्रालय

नई दिल्ली 4 जून, 1971

सा० का० नि० 967.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 299 के खण्ड (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत सरकार के गृह मंत्रालय की अधिसूचना संख्या सा०का०नि० 1344 तारीख 5 सितम्बर 1970 में आंशिक संशोधन करते हुए एतद्द्वारा निर्देश देते हैं कि गोवा, दमन और दीव के संघ राज्य क्षेत्र की बाबत भारत में आने वाले विदेशियों के भरण-पोषण और यहां से उनके संप्रत्यावर्तन से संबंधित, राष्ट्रपति के नाम निष्पादित होने वाला प्रत्येक क्षतिपूर्ति बंधपत्र राष्ट्रपति की ओर से अवर सचिव, गोवा, दमन और दीव सरकार, गृह विभाग के अतिरिक्त, दमन के कलक्टर और दीव के और सिविल प्रशासक, द्वारा स्वीकार किया जाएगा, और आगे निदेश देते हैं कि उपरोक्त अधिसूचना की अनुसूची में स्तम्भ 1 में "गोवा, दमन और दीव के संघ राज्य क्षेत्र" प्रविष्टि और स्तम्भ 2 में तत्संबंधी प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा अर्थात् :—

"गोवा, दमण और दीव के संघ राज्य क्षेत्र	1—अवर सचिव, गोवा, दमन और दीव सरकार, गृह विभाग । 2—दमण का कलक्टर । 3—दीव का सिविल प्रशासक"

[सं० 11013/4/71—विदेशी—1]

आर० ए० एस० मणि, अवर सचिव ।

MINISTRY OF IRRIGATION AND POWER

New Delhi, the 2nd June 1971

G.S.R. 968.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules further to amend the Financial Adviser (Rajasthan Canal Board) Recruitment Rules, 1969, namely:—

1. (1) These rules may be called the Financial Adviser (Rajasthan Canal Board) Recruitment (Second Amendment) Rules, 1971.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Schedule to the Financial Adviser (Rajasthan Canal Board) Recruitment Rules, 1969, in the entry in column 11, for the figure "15", the figure "16" shall be substituted.

[No. 1/71-F. No. 21/7/68-DWN.]

S. L. CHATTERJI, Under Secy.

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय

नई दिल्ली, 2 जून, 1971

सा०का० नि० 968.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, वित्तीय सलाहकार (राजस्थान नहर बोर्ड) भर्ती नियम, 1960 में आगे और संशोधन करने के लिए एतद्द्वारा निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्

1. (1) इन नियमों का नाम वित्तीय सलाहकार (राजस्थान नहर बोर्ड) भर्ती (वित्तीय संशोधन) नियम 1971 होगा।

(2) ये शासकीय राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. वित्तीय सलाहकार (राजस्थान नहर बोर्ड) भर्ती नियम, 1969 की अनुसूची में स्तम्भ 11 में प्रविष्टि में अंक "15" के स्थान पर अंक "16" प्रतिस्थापित किया जाएगा।

[संख्या 1/71-ऐफ० सं० 31/17/68-डी०डब्ल्यू०एन०]

एस० एल० चटर्जी, अवर सचिव।

परिवहन और पोतपरिवहन मंत्रालय

(वाणिज्य पोतपरिवहन)

नई दिल्ली, 15 जनवरी, 1969

सा० का० नि० 149.—कतिपय नियमों का निम्नलिखित प्रारूप जिसे केन्द्रीय सरकार, वाणिज्य पोतपरिवहन अधिनियम, 1958 (1958 का 44) की धारा 288 की उपधारा (1) और उपधारा (2) के खंड (क), (ख), (ग), (घ), (ङ), (च), (छ), (ज), (ट), (ठ) और (ण) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारतीय वाणिज्य पोतपरिवहन (प्राण रक्षा साधित्र) नियम, 1956 को अधिक्रांत करते हुए, बनाने की प्रस्थापना करती है, अधिनियम की धारा 288 की उपधारा (1) द्वारा यथापेक्षित, उन सभी व्यक्तियों की जानकारी के लिए जिनका एतद्द्वारा प्रभावित होना सम्भाव्य है' एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है और एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि उक्त प्रारूप पर पहली जुलाई 1971 को या उसके बाद, विचार किया जाएगा।

उक्त प्रारूप की बाबत किसी व्यक्ति से ऐसी विनिर्दिष्ट तारीख से पहले जो आक्षेप या सुझाव प्राप्त होंगे उन पर केन्द्रीय सरकार द्वारा विचार किया जाएगा।

1. **संक्षिप्त नाम प्रारम्भ और लागू होना.**—(1) ये नियम वाणिज्य पोत परिवहन (प्राण रक्षा साधित्र) नियम, 1968 कहे जा सकेंगे।

(2) ये तुरन्त प्रवृत्त होंगे।

(3) ये

(क) सभी समुद्र में जाने वाले भारतीय पोतों, और

(ख) भारतीय पोतों से भिन्न सभी पोतों को जब कि वे भारत में किसी पत्तन या स्थान पर या भारत के राज्य क्षेत्रीय समुद्र की सीमा में हैं :

को लागू होंगे :

परन्तु ये नियम किसी पोत के, भारत के किसी पत्तन या स्थान पर या भारत के राज्य क्षेत्रीय समुद्र की सीमा में होने के कारण ही नहीं लागू होंगे, यदि वह पोत, ऐसे पत्तन या स्थान पर मौसम या किसी परिस्थिति के दबाव के कारण आ गया हो जिसका न तो पोत के मास्टर, न तो स्वामी, न तो भाड़े पर लेने वाला, निवारण या पूर्वानुमान कर सकते थे।

2. **परिभाषाएं** :—इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो—

(क) "अधिनियम" से वाणिज्य पोत परिवहन अधिनियम, 1958 (1958 का 44) अभिप्रेत है,

(ख) "अनुमोदित" से केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित अभिप्रेत है,

(ग) "उत्प्लावन बेड़ा" से रक्षा बोया या रक्षा जाकेट से भिन्न प्लवन उपस्कर अभिप्रेत है जो व्यक्तियों की विनिर्दिष्ट संख्या को जो जल में है सहायता देने के लिए डिजाइन किया गया हो और ऐसे संनिर्माण का हो जो अपने आकार और गुण धर्म की प्रतिधारित करें,

(घ) "प्रमाण पत्रित रक्षा नाविक" से, कर्मीदल का कोई सदस्य अभिप्रेत है जिसके पास, वाणिज्य पोत (रक्षा नाविकों की अर्हताएं और प्रमाण पत्र) नियम, 1963 द्वारा दिया हुआ दक्षता का प्रमाण पत्र हो,

(ङ) "वर्ग 'ग' नौका" से वह नौका अभिप्रेत है जो छठवीं अनुसूची के उपबन्धों के अनुसार है,

(च) "स्फीतियोग्य बचाव-तरापा" से ऐसा बचाव-तरापा अभिप्रेत है, जो सातवीं अनुसूची के भाग 1 की अपेक्षाओं के अनुसार है,

(छ) "अन्तर्राष्ट्रीय समुद्र यात्रा" का वही अर्थ है जो इसे अधिनियम में दिया गया है,

(ज) "अवतरण साधित्र" से ऐसा साधित्र अभिप्रेत है जो पंद्रहवीं अनुसूची की अपेक्षाओं के अनुसार,

(झ) "रजिस्ट्रीकृत पोत के संबंध में 'लम्बाई'" से रजिस्ट्रीकृत लम्बाई अभिप्रेत है और अरजिस्ट्रीकृत पोत के संबंध में, माथे के अगले हिस्से से कुंदास के शीर्ष के पिछले तरफ तक या अगर सुकान को लेने के लिए कुंदास नहीं लगा हो तो सुकान दण्ड के आगे की तरफ से उस स्थान तक जहां सुकान खोड़ू से बाहर जाता है, तक की लम्बाई अभिप्रेत है,

(ञ) "रक्षा नौका से" ऐसी नौका अभिप्रेत है जो दूसरी अनुसूची की अपेक्षाओं के अनुसार है,

(ट) "बचाव-तरापा" से ऐसा बचाव-तरापा अभिप्रेत है जो सातवीं अनुसूची की अपेक्षाओं के अनुसार है,

(ठ) "यन्त्र चालित रक्षा नौका" से ऐसी नौका अभिप्रेत है जो नियम 15 के उपबन्धों के अनुसार है,

(ड) "मोटर रक्षा नौका" से ऐसी मोटर रक्षा नौका, अभिप्रेत है जो नियम 14 की अपेक्षाओं के अनुसार है,

(ढ) इन नियमों के संबंध में "व्यक्ति" से एक वर्ष से ऊपर की अवस्था का कोई भी व्यक्ति अभिप्रेत है और इसके अन्तर्गत पोत के कर्मी और आफिसर, भी आते हैं,

(ण) "अनम्य बचाव-तरापा" से ऐसा बचाव-तरापा अभिप्रेत है जो सातवीं अनुसूची के भाग 2 की अपेक्षाओं के अनुसार है,

(त) "अनुसूची" से इन नियमों की अनुसूची अभिप्रेत है

(थ) "संक्षिप्त अंतर्राष्ट्रीय समुद्र यात्रा" से ऐसी अंतर्राष्ट्रीय समुद्र यात्रा अभिप्रेत है जिसके दौरान पोत किसी भी समय पत्तन या उस स्थान से जहां यात्री और कर्मी सुरक्षा पूर्वक रखे जा सकते थे, 200 नाटियल मील से अधिक दूर न हो और जो किसी देश के, जहां से समुद्र यात्रा प्रारंभ होती है, गत विश्राम-पत्तन और अंतिम गन्तव्य पत्तन के बीच 600 नाटियल मील से अधिक दूर न हो।

3. **पोतों का वर्गीकरण** :—इन नियमों के प्रयोजन के लिए पोत निम्नलिखित वर्गों में रखे जाएंगे, अर्थात् :—

क—यात्री पोत

वर्ग I अन्तर्राष्ट्रीय समुद्रयात्रा में लगे हुए, वर्ग II, III और IV के अन्तर्गत आने वाले पोतों से भिन्न, यात्री पोत,

वर्ग II संक्षिप्त अन्तर्राष्ट्रीय समुद्र यात्रा में लगे हुए वर्ग IV के अन्तर्गत आने वाले पोतों, भिन्न, यात्री पोत,

वर्ग III अंतर्राष्ट्रीय समुद्र यात्रा में लगे हुए वर्ग IV के अन्तर्गत आने वाले पोतों से भिन्न डेक यात्री पोत,

वर्ग IV संक्षिप्त अन्तर्राष्ट्रीय समुद्रयात्रा में लगे हुए डेक यात्री पोत,

वर्ग V तटीय समुद्र यात्रा में लगे हुए डेक यात्री पोत ।

ख—यात्री पोतों से भिन्न पोत

वर्ग VI वर्ग VII के अन्तर्गत आने वाले पोतों से भिन्न स्थोरा पोत,

वर्ग VII तटीय समुद्र यात्रा या निकटवर्ती पड़ौसी देशों की समेद्र यात्रा में लगे हुए स्थोरा पोत,

वर्ग VIII मछली पकड़ने वाले जलयान और अन्य पोत जो वर्ग I से VII जिसमें दोनों सम्मिलित हैं, के अन्तर्गत नही आते हैं ।

4. **वर्ग I के पोत**—(1) यह नियम वर्ग I के पोतों को लागू होगा ।

(2) वर्ग I का हर पोत—

(क) पोत प्रत्येक और रक्षा नौकाओं की ऐसी संख्या वहन करेगा जिनकी पर्याप्त कुल धारिता उन व्यक्तियों की कुल संख्या के आधे को जिसे पोत वहन करने के लिए प्रमाणित है, स्थान देने के लिए होगी, या

(ख) रक्षा नौकाओं और बचाव तरापों की ऐसी संख्या वहन करेगा जिसकी कुल धारिता व्यक्तियों की कुल संख्या को, जिसे पोत वहन करने के लिए प्रमाणित है, स्थान देने के लिए होगी, परन्तु पोत के प्रत्येक और वहन की हुई रक्षा नौकाएं, जो व्यक्तियों की कुल संख्या के, जिसे पोत वहन करने के लिए प्रमाणित है, 37½ प्रति शत को आवश्यक स्थान देने के लिए कभी भी कम नही होगी: परन्तु उस पोत के बारे मे जिसकी पठाण 26 मई 1965 के पहले रखी गई थी, इस खंड के उपबंध केवल तभी लागू होंगे जब व्यक्तियों की संख्या, जिसे पोत वहन करने के लिए प्रमाणित है, इस कारण से नहीं बढ़ा दी गई है कि बोर्ड पर उपलब्ध बचाव तरापों की संख्या, ऐसी बढ़ी हुई संख्या के लिए पर्याप्त है ।

(3) (क) हर पोत पर, जब वह समुद्र में है, उपनियम (2) के अधीन अपेक्षित दो रक्षा नौकाएं, पोत के प्रत्येक ओर एक-एक आपात में तत्काल प्रयोग के लिए तैयार रखी जाएंगी ।

(ख) इन रक्षा नौकाओं में से किसी की भी लम्बाई 8.5 मीटर से अनधिक होगी, किन्तु उनमें से कोई, या दोनों, मोटर रक्षा नौका या रक्षा नौकाएं हो सकती है, और उस दशा में, उपनियम (4) के अनुपालन के प्रयोजन के लिए कही जा सकेगी ।

(ग) नियम 29 के उपनियम (13) के उपबन्धों के होते हुए भी, स्केट या अन्य उपयुक्त साधित्रों का इन रक्षा नौकाओं में लगा होना अपेक्षित नहीं है ।

(4) हर पोत अपने प्रत्येक ओर कम से कम एक मोटर रक्षा नौका वहन करेगा :

परन्तु कोई पोत जो 30 व्यक्तियों से अधिक को वहन करने के लिए प्रमाणित है, उसके लिए केवल एक ही ऐसी मोटर रक्षा नौका वहन करना अपेक्षित होगा ।

(5) (क) हर पोत में, जो 1500 या उससे अधिक व्यक्तियों को वहन करने के लिए प्रमाणित है, उपनियम (4) के अनुसार वहन की हुई प्रत्येक मोटर रक्षा नौका में, नियम 25 के उपनियम (1) में विनिर्दिष्ट उपस्कर व्यवस्थित होगे ।

(ख) हर पोत में जो 199 से अधिक किन्तु 1500 से कम व्यक्तियों को वहन करने के लिए प्रमाणित है, उपनियम (4) के अनुसार वहन की हुई कम से कम एक मोटर रक्षा नौका में, नियम 25 के उपनियम (1) में विनिर्दिष्ट उपस्कर की व्यवस्था होगी ।

(ग) इस नियम के अनुपालन में वहन की हुई प्रत्येक मोटर रक्षा नौका में, नियम 25 के उपनियम (2) मे निर्दिष्ट सर्चलाइट होगी ।

(6) हर एक पोत जो अपने प्रत्येक ओर, नियम 25 के उपनियम (1) में विनिर्दिष्ट उपस्कर से लगी मोटर रक्षा नौका वहन नहीं करता, एक सुबाह्य रेडियो उपस्कर वहन करेगा जो नियम 34 के उपबंधों के अनुसार होगा ।

(7) इस नियम के अनुपालन में वहन की हुई प्रत्येक रक्षा नौका की लम्बाई 7.3 मीटर से अन्यून होगी ।

(8) हर पोत में प्रत्येक रक्षा नौका डेविटों के पृथक में से संलग्न होगी जो गुरुत्व प्रकार होगा इस के अलावा कि उन रक्षा नौकाओं के प्रचालन के लिए जिनका भार 2300 किलोग्राम से अनधिक है, उन की अवतरण स्थिति में, लफिंग-डेविट लगे ही सकेंगे ।

(9) (क) उपनियम (2) के खंड (ख) के अनुसार वहन किए हुए बचाव-तरापे अवतरण साधित्रों से युक्त होंगे ।

(ख) पोत के प्रत्येक ओर, कम से कम ऐसा एक साधित्र होगा और प्रत्येक ओर लगे हुए साधित्रों की संख्या में एक से अधिक अंतर कभी नहीं होगा ।

(10) हर पोत ऐसे बचाव-तरापा वहन करेगा जो ऐसे अवतरण साधित्रों से युक्त नहीं हो सकेगा : जिनमें उन व्यक्तियों की कुल संख्या के 25 प्रतिशत को स्थान देने के लिए जिसे पोत वहन करने के लिए प्रमाणित है उस संख्या के 3 प्रतिशत के लिए उत्प्लावन बेड़ा के साथ, पर्याप्त धारिता हो ।

परन्तु—

(क) यदि उपनियम (2) के खंड (ख) के अनुसार बचाव तराप भी बहन किए जाते हैं तो पोत द्वारा बहन किए गए सभी बचाव तराप, उपनियम (9) के अनुसार पोत पर लगे हुए अवतरण साधित्रों द्वारा अवतरित होने योग्य होंगे, और

(ख) वह पोत जो 0.33 या उससे कम के प्रविभाग का गुणक रखता है, बदले में केवल, व्यक्तियों की कुल संख्या, जिसे यह बहन करने के लिए प्रमाणित है, के 25 प्रतिशत के लिए उत्प्लावन बेड़ा बहन कर सकेगा ।

(11) (क) हर पोत निम्नलिखित सारणी के अनुसार, रक्षा बोयों की न्यूनतम संख्या वहन करेगा :—

सारणी

पोत की लम्बाई मीटर में	बहन किए जाने के लिए अपेक्षित रक्षा बोयों की न्यूनतम संख्या
61 मीटर से कम	8
61 मीटर और उससे अधिक किन्तु 122 मीटर से कम	12
122 मीटर और उससे अधिक किन्तु 183 मीटर से कम	18
183 मीटर और उससे अधिक किन्तु 244 मीटर से कम	24
244 मीटर और उससे अधिक	30

(ख) इस प्रकार बहन किए हुए रक्षा बोयों की कुल संख्या के कम से कम आधे में, न्यूनतम 6 के अध्यधीन दक्ष स्व प्रज्वलन बत्ती की व्यवस्था होगी ।

(ग) स्व प्रज्वलन बत्तियों से व्यवस्थित कम से कम दो रक्षा बोयों में 15 मिनट से अनपून टिकने वाले स्पष्ट दृश्यमान वर्ण के दक्ष स्वत : सक्रिय धूम्र संकेतों की भी व्यवस्था होगी और धूम्र संकेतों से इस प्रकार व्यवस्थित रक्षा बोये नौचालन कक्ष से शीघ्र नियुक्त होने में समर्थ होगा ।

(घ) पोत के प्रत्येक और कम से कम एक रक्षा बोये में, लम्बाई में कम से कम 27.5 मीटर की उत्प्लावन रक्षा रस्सी की व्यवस्था होगी ।

(12) (क) हर पोत

(1) बोर्ड पर, यथास्थिति हर व्यक्ति के लिए या व्यक्तियों की उस संख्या के लिए जिससे पोत बहन करने के लिए प्रमाणित है, जिनमें जो भी अधिक हैं, दसवीं अनुसूचनी के भाग 1 की अपेक्षाओं के अनुसार एक रक्षा जाकेट बहन करेगा, और

(2) व्यक्तियों की कुल संख्या के कम से कम दस प्रतिशत के लिए, जिसे पोत बहन करने के लिए प्रमाणित है, दसवीं अनुसूची के भाग 1.1 की अपेक्षाओं के अनुसार एक रक्षा जाकेट बहन करेगा।

(ख) हर, पोत खण्ड (क) के अनुसार वहन की हुई रक्षा जाकेटों के अतिरिक्त व्यक्तियों की उस संख्या के कम से कम पांच प्रतिशत के लिए जिसे यह वहन करने के लिए प्रमाणित है, दसवीं अनुसूची के भाग 1 की अपेक्षाओं के अनुसार रक्षा जाकेट भी वहन करेगा, और ऐसी रक्षा जाकेट डेक पर समुचित स्थान पर नीभारित होंगी जो सहजदृश्य रूप से विन्हित होगा ।

(1,3) हर पोत एक अनुमोदित रस्सी प्रक्षेपण साधित्र वहन करेगा ।

5. **वर्ग 11 के पोत**—(1) यह नियम वर्ग के पोतों को लागू होगा ।

(2) उपनियम (8) के उपबन्धों के अध्यधीन हर पोत में, उसकी लम्बाई के अनुसार प्रथम अनुसूची म उपवर्णित सारणी के स्तंभ क में निविदिष्ट डेविटों के सेटों की न्यूनतम संख्या, लगी होगी :

परन्तु किसी भी पोत में डेविटों के सेटों की उस संख्या का लगा होना अपेक्षित नहीं है जो व्यक्तियों की कुल संख्या को, जिसे पोत वहन करने के लिए प्रमाणित है, स्थान देने के लिए अपेक्षित रक्षा नौकाओं की संख्या से अधिक से अधिक है ।

(3) डेविटों के हर ऐसे सेट से एक रक्षा नौका संलग्न होगी और उपनियम (8) के उपबन्धों के अध्यधीन इस प्रकार संलग्न रक्षा नौकाओं में, प्रथम अनुसूची में उपवर्णित सारणी के स्तम्भ ग में विनिर्दिष्ट कम से कम धारिता की या उस धारिता की जो व्यक्तियों की कुल संख्या को, जिसे पोत वहन करने के लिए प्रमाणित है यदि परवर्ती कम हो स्थान देने के लिए व्यवस्था होगी ।

(4) (क) हर पोत पर जब वह समुद्र में हो उपनियम (3) अधीन अपेक्षित दो रक्षा नौकाएं पोत के प्रत्येक ओर डाक-डाक आयात में तत्काल प्रयोग के लिए तैयार रखी जाएंगी ।

(ख) इन दोनों रक्षा नौकाओं में से कोई भी लम्बाई में 8.5 मीटर से अनधिक होगी किन्तु उनमें से कोई भी या दोनों मोटर रक्षा नौका या रक्षा नौकाएं हो सकेंगी और उस दशा में उपनियम (5) के अनुसार प्रयोजन के लिए गिनी जा सकेंगी ।

(ग) नियम 29 के उपनियम (13) के उपबन्धों के होते हुए भी, इन रक्षा नौकाओं में स्केटों या अन्य उपयुक्त साधित्रों का लगा होना अपेक्षित नहीं होगा ।

(5) हर पोत अपने प्रत्येक ओर कम से कम एक मोटर रक्षा नौका वहन करेगा, परन्तु उस पोत को जो 30 से अनधिक व्यक्तिओं को वहन करने के लिए प्रमाणित है, उसे केवल एक ऐसी मोटर रक्षा नौका वहन करना अपेक्षित होगा ।

(6) उपनियम (7) और (8) के उपबन्धों के अध्यधीन, जब उपनियम (3) के अनुसार वहन की हुई रक्षा नौकाओं में, उन व्यक्तियों की कुल संख्या को, जिसे पोत वहन करने के लिए प्रमाणित है स्थान नहीं है तो ऐसे स्थान देने की कमी की पूर्ति के लिए डेविटों के अतिरिक्त सैट, जिनमें प्रत्येक में रक्षानौका संलग्न हो लगे होगें ।

(7) यदि केन्द्रीय सरकार की राय में यातायात की अधिकता के कारण ऐसा अपेक्षित है तो यह, किसी पोत को, जो अधिनियम की धारा 284 के अधीन बनाये गये नियमों के उपबन्धों के अनुसार उपविभाजित है, उपनयिम (3) के अनुसार उस पोत पर रक्षा नौकाओं की व्यवस्थित धारिता से आधिक्य में व्यक्तिओं को हन करने के लिए, अनुज्ञा दे सकेगी :

परन्तु —

(क) जब ऐसा कोई पोत, केन्द्रीय सरकार द्वारा, भारत में किसी पत्तन या स्थान से अन्तर्राष्ट्रीय समुद्र यात्रा पर जो 600 मील से अधिक किन्तु 1200 मील से अधिक न हो, भारत में गत विश्राम पत्तन या स्थान से बाहर अन्तिम गंतव्य पत्तन या स्थान तक समुद्र में जाने के लिए अनुज्ञात तो यह बोर्ड पर स्थित व्यक्तियों के कम से कम पचहत्तर प्रतिशत को स्थान देने के लिए, डेबिटों से संलग्न रक्षा नौकाएं वहन करेगा ,

(ख) सभी दिशाओं में वहन किए जाने वाले बचाव तरापों की संख्या ऐसी होगी जो यह सुनिश्चित कर सके कि बचाव तरापों के साथ रक्षा नौकाओं की कुल संख्या, व्यक्तियों की कुल संख्या को जिसे पोत वहन करने के लिए प्रभावित है यह वहन करने के लिए अनुज्ञा है, स्थान देने के लिए पर्याप्त होगी, और

(ग) यदि ऐसे किसी पोत में उप-विभाग का मानक वाला दोकक्ष पूरे में प्राप्त नहीं है, तो यह, उन व्यक्तियों के दस प्रतिशत को, जिन्हें यह वहन करने के लिए प्रमाणित है, या अनुज्ञात है स्थान के लिए पर्याप्त कुल धारित के बचाव तरापे वहन करेगा, ऐसे बचाव तरापे उनके अतिरिक्त होंगे जिनकी यथास्थिति, इस परन्तुक के खण्ड (ख) के या उपनियम (8) के खण्ड (ख) के, और उपनियम (12) के अनुसार व्यवस्थित किये जाने की अपेक्षा है ।

(8) जहां केन्द्रीय सरकार को यह समाधानप्रद रूप से दर्शित कर दिया गया है कि संक्षिप्त समुद्र यात्रा पर लगे हुए किसी पोत में, रक्षा नौकाओं की संख्या कम किए बिना उपनियम (7) के अनुसरण में वहन किये जाने के लिए अपेक्षित बचाव तरापे समाधान प्रदरूप से नौभरित करना असाध्य है वहां केन्द्रीय सरकार, उपनियम (2) के अधीन लगाये जाने के लिए अपेक्षित डेबिटों के सैटों की संख्या और उपनियम (3) के अधीन डेबिटों से संलग्न किए जाने के लिए अपेक्षित रक्षा नौकाओं की संख्या को भी कम होने के लिए, अनुज्ञा दे सकेगी :—

परन्तु —

(क) पोत की दशा में जिसकी उस लम्बाई 58.5 मीटर हो तो वहन किए जाने के लिए रक्षा नौकाओं की संख्या कभी भी चार से कम नहीं होगी, जिनमें से दोन्दो पोत के प्रत्येक ओर होंगी और उस पोत की दशा में जिसकी लम्बाई 58.5 मीटर से कम हो वहन किए जाने के लिए रक्षा नौकाओं की संख्या कभी भी कम नहीं होगी जिनमें से एकन्एक पोत के प्रत्येक ओर वहन की जाएंगी ।

(ख) सभी दशाओं में रक्षा नौकाओं और बचाव तरापों की संख्या, सदैव उन व्यक्तियों की कुल संख्या, को, जिसे पोत वहन करने के लिए प्रमाणित या अनुज्ञात है, स्थान देने के लिए, पर्याप्त होगी, और

(ग) उस पोत की दशा में जिसमें बोर्ड पर वहन की हुई रक्षा नौकाओं की कुल धारिता प्रथम अनुसूची में उपवर्णित सारणी के स्तम्भ ग में विनिर्दिष्ट धारिता से कम है तो नियम 30 के उपनियम (2) में निर्विष्ट साधित्रों द्वारा अवतीर्ण किये जाने में समर्थ प्रकार के अतिरिक्त बचाव तरापों की व्यवस्था की जाएगी ।

(घ) इस प्रकार व्यवस्थित बचाव तरापों की संख्या इतनी होगी जो यह सुनिश्चित कर सके कि बचाव तरापों की कुल धारिता कम से कम, रक्षा नौकाओं की कुल धन धारिता और प्रथम अनुसूची के स्तम्भ ग में विनिर्दिष्ट धन धारिता के अन्तर को 10 से विभाजित करने से प्राप्त संख्या के बराबर है, यह इस शर्त के अध्यधीन है कि :—

(1) ऐसे अतिरिक्त बचाव तरापे, कम से कम 40 व्यक्तिओं को स्थान देने के लिए पर्याप्त होंगे,

(2) पोत के प्रत्येक ओर कम से कम एक अवतरण साधित्र की व्यवस्था है, और

(3) पोत के प्रत्येक ओर लगे हुए अवतरण साधित्रों की संख्या का अन्तर एक से अधिक नहीं है ।

(9) यह पोत में, इस नियम के अनुसार वहन की हुई रक्षा नौकाएं लम्बाई में 7.3 मीटर से अन्यून होगी ।

(10) हर पोत में इन नियम के अनुसार वहन किए जाने के लिए अपेक्षित डेविट गुरुत्व प्रकार के होंगे इसके अलावा रक्षा नौकाओं के प्रचलन के लिए जिनका भार 2300 किलोग्राम से अधिक नहीं है, उनकी अवतरण स्थिति में लफिंग डेविट लगाये जा सकेगें ।

(11) हर पोत जो अपने प्रत्येक ओर एक मोटर रक्षा नौका जिसमें नियम 25, के उपनियम (1) में विनिर्दिष्ट उपस्कर की व्यवस्था हो वहन नहीं करता तो वह एक सुवाह्य रेडियो उपस्कर वहन करेगा जो नियम 34 के उपबन्धों के अनुसार होगा —

परन्तु यदि किसी पोत के बारे में केन्द्रीय सरकार का समाधान हो जाये कि समुद्र यात्रा की कालावधि ऐसी है कि सवाह्य रेडियों उपस्कर को ले जाना अनावयक है तो वह इस नियम की अपेक्षाओं से अभिमुक्त होने के लिए अनुज्ञा दे सकेगी ।

(12) हर पोत , उपनियम (7) और (8) के अनुसरण में वहन किये हुए किसी बचाव तरापे के अतिरिक्त, उन व्यक्तिओं की कुल संख्या के दस प्रतिशत को स्थान देने के लिए, जिनके लिए पोत में रक्षा नौका स्थान की व्यवस्था है, पर्याप्त अतिरिक्त बचाव तरापे वहन करेगा ।

(13) हर पोत, उन व्यक्तिओं की कुल संख्या के पांच प्रतिशत को जिन्हें पोत वहन करने के लिए प्रमाणित है, सम्भालने के लिए पर्याप्त, उत्प्लावन बेड़ा वहन करेगा ।

(14) (क) हर पोत निम्न सारणी के अनुसार अवधारित रक्षा बोयों की कम से कम संख्या वहन करेगा —

सारणी

पोत की लम्बाई, मीटर, में	वहन किए जाने के लिए अपेक्षित रक्षा बोयों की न्यूनतम संख्या
61 मीटर से कम	8
61 मीटर और उससे अधिक किन्तु 122 मीटर से कम	12

122 मीटर और उससे अधिक किन्तु 183 मीटर से कम . .	18
183 मीटर और उससे अधिक किन्तु 244 मीटर से कम . .	24
244 मीटर और उससे अधिक	30

(ख) इस प्रकार वहन किये गये रक्षा बोयों की कुल संख्या के कम से कम आधे में, न्यूनतम 6 के अध्यधीन, दक्ष स्व प्रज्वलन बत्तियों की व्यवस्था होगी ।

(ग) स्वप्रज्वलन बत्तियों से व्यवस्थित कम से कम दो रक्षा बोयों में, 15 मिनट से अन्यून टिकने वाले स्पष्ट दृश्यमान वर्ण के दक्ष स्वतः सक्रिय धूम्र संकेतों की भी व्यवस्था होगी और धूम्र संकेतों से इस प्रकार व्यवस्थित रक्षा बोये नौचालन कक्ष से शीघ्र निर्मुक्त होने में समर्थ होंगे ।

(घ) पोत के प्रत्येक और कम से कम एक रक्षा बोये में, लम्बाई में कम से कम 27.5 मीटर की उत्प्लावन रक्षा रस्सी की व्यवस्था होगी ।

(15) (क) हर पोत—

(1) बोर्ड पर, यथास्थिति हर व्यक्ति के लिए या व्यक्तियों की उस संख्या के लिए जिसे पोत वहन करने के लिए प्रमाणित है, उनमें जो भी अधिक है, दसवीं अनुसूची के भाग 1 की अपेक्षाओं के अनुसार एक रक्षा जाकेट वहन करेगा, और

(2) व्यक्तियों की कुल संख्या के कम से कम दस प्रतिशत के लिए, जिसे पोत वहन करने के लिए प्रमाणित है, दसवीं अनुसूची के भाग 2 की अपेक्षाओं के अनुसार एक रक्षा जाकेट वहन करेगा ।

(ख) हर पोत, खण्ड (क) के अनुसार वहन की हुई रक्षा जाकेटों के अतिरिक्त, व्यक्तियों की उस संख्या के कम से कम पांच प्रतिशत के लिए जिसे पोत वहन करने के लिए प्रमाणित है, दसवीं अनुसूची के भाग 1 की अपेक्षाओं के अनुसार रक्षा जाकेट भी वहन करेगा, और ऐसी रक्षा जाकेटों डेक पर समुचित स्थान पर नौभरित होगी जो सहजदृश्य रुप से चिन्हित होगा ।

(16) हर एक पोत एक अनुमोदित रस्सी प्रक्षेपण साधित्र वहन करेगा ।

6. **वर्ग iii के पोत.**—(1) नियम वर्ग 3 के पोतों को लागू होगा ।

(2) वर्ग 3 का हर पोत—

(क) पोत प्रत्येक और रक्षा नौकाओं की ऐसी संख्या वहन करेगा जिनकी पर्याप्त कुल धारिता, उन व्यक्तियों की कुल संख्या के आधे को, जिन्हें पोत वहन करने के लिए प्रमाणित है, स्थान देने के लिए होगी , या

(ख) रक्षा नौकाओं और बचाव तरापों की ऐसी संख्या वहन करेगा जिनकी कुल धारिता व्यक्तियों की कुल संख्या को, जिसे पोत वहन करने के लिए प्रमाणित है, स्थान देने के लिए होगी परन्तु पोत के प्रत्येक और वहन की हुई नौकाएं, जो व्यक्तियों की कुल संख्या के, जिसे पोत वहन के लिए प्रमाणित है, 35 प्रतिशत की आवश्यक स्थान देने के लिए, कभी भी कम नहीं होगी ।

(3) (क) हर पोत पर जब वह समुद्र में है इस नियम के उपनियम (2) के अधीन अपेक्षित दो रक्षा नौकाएं पोत के प्रत्येक और एक-एक, आपात में तत्काल प्रयोग के लिये तैयार रखी जायेगी ।

(ख) इन रक्षा नौकाओं में से किसी की भी लम्बाई 8.5 मीटर से अनधिक होगी किन्तु उनमें से कोई या दोनों मोटर रक्षा नौका या रक्षा नौकायें हो सकती हैं और उस दशा में उपनियम (4) के अनुपालन के प्रयोजन के लिये कहीं जा सकेंगी ।

(ग) नियम 29 के उपनियम (13) के उपबन्धों के होते हुये भी, स्कट या अन्य उपयुक्त साधित्रों का इन रक्षा नौकाओं मे लगा होना अपेक्षित नही है ।

(4) हर पोत अपने प्रत्येक और कम से कम एक मोटर रक्षा नौका वहन करेगा :

परन्तु जब कोई पोत जो 30 व्यक्तियों से अनधिक को वहन करने के लिये प्रमाणित है, उसके लिये केवल एक ही ऐसी मटर रक्षा नौका वहन करना अपेक्षित होगा ।

(5) (क) हर पोत में, जो 1500 या उससे अधिक व्यक्तियों को वहन करने के लिये प्रमाणित है, उपनियम (4) के अनुपालन में वहन की हुई प्रत्येक मोटर रक्षा नौका में नियम 25 के उपनियम (1) में विनिर्दिष्ट उपस्कर होंगे ।

(ख) हर पोत, मे, जो 199 से अधिक किन्तु 1500 से कम व्यक्तियों को वहन करने के लिये प्रमाणित है, उपनियम (4) के अनुपालन में वहन की हुई कम से कम एक मोटर-बोट में नियम 25 के उपनियम (1) में विनिर्दिष्ट उपस्कर होगा ।

(ग) पोत के बोर्ड पर, जिसका पठाण 26 मई, 1965 को या उसके पश्चात् रखा गया था, हर मोटर रक्षा नौका में जो इस नियम के अनुसार वहन की गई है नियम 25 के उपनियम (2) में विनिर्दिष्ट उपस्कर की व्यवस्था होगा ।

(6) हर पोत जो अपने प्रत्येक और नियम 25 के उपनियम (1) मे विनिर्दिष्ट उपस्कर से लगी मोटर रक्षा नौका वहन नही करता, एक सुवाह्य रेडियो उपस्कर भी वहन करेगा जो नियम 34 के उपबन्धों के अनुसार होगा ।

(7) इस नियम के अनुपालन में वहन की हुई प्रत्येक रक्षा नौका की लम्बाई 7.3 मीटर से अन्यून होगी ।

(8) हर पोत में प्रत्येक रक्षा नौका डेविटों के पृथक सेट से संलग्न होगी जो गुरुत्व प्रकार का होगा इसके अलावा कि यथास्थिति उन रक्षा नौकाओं या नौकाओं के प्रचालन के लिये जिनका भार 2300 किलोग्राम से अनधिक हो, उनकी अवतरण स्थिति में लफिंग डेविट लगे हो सकेंगे ।

(9) हर पोत, व्यक्तियों की कुल संख्या के 25 प्रतिशत का स्थान देने के लिये जिसे पोत वहन करने के लिये प्रमाणित है, पर्याप्त धारिता के बचाव तरापे या उत्प्लावन बेड़ा वहन करेगा ।

(10) (क) हर एक पोत, निम्न सारणी के अनुसार रक्षा बोयों की न्यूनतम संख्या वहन करेगा :

सारणी

पोत की लम्बाई मीटरों में	वहन किये जाने के लिये अपेक्षित रक्षा बोयों की न्यूनतम संख्या
61 मीटर से कम	8
61 मीटर और उससे अधिक किन्तु 122 मीटर से कम	12
122 मीटर और उससे अधिक किन्तु 183 मीटर से कम	18
183 मीटर और उससे अधिक किन्तु 244 मीटर और उससे कम	24
244 मीटर और उससे अधिक	30

(ख) इस प्रकार वहन किये गये रक्षा बोयों की कुल संख्या के कम से कम आधे में, न्यूनतम 6 के अध्यधीन, दक्ष स्वप्रज्वलन बत्ती की व्यवस्था होगी ।

(ग) सब ज्वलन बत्तियों से व्यवस्थित कम से कम दो रक्षा बोयों में, 15 मिनट से अन्यून टिकने वाले स्पष्ट दृश्यमान वर्ण के धूम्र उत्पन्न करने में समर्थ दक्ष स्वतः सक्रिय धूम्र संकेत की भी व्यवस्था होगी और धूम्र संकेतों से इस प्रकार व्यवस्थित रक्षा बोये नौचालन कक्ष से शीघ्र निर्मुक्त होने में समर्थ होंगे ।

(घ) पोत के प्रत्येक और कम से कम एक रक्षा बोये में, लम्बाई में कम से कम 27.5 मीटर की उत्प्लावन रक्षा रस्सी की व्यवस्था होगी ।

(ii) (क) हर पोत—

(1) बोर्ड, पर यथास्थिति हर व्यक्ति के लिये या व्यक्तियों की उस संख्या के लिये जिसे पोत वहन करने के लिये प्रमाणित है, उनमें जो भी अधिक है, दसवीं अनुसूची के भाग I की अपेक्षाओं के अनुसार एक रक्षा जाकेट वहन करेगा, और

(2) व्यक्तियों की कुल संख्या के कम से कम दस प्रतिशत के लिये जिसे पोत वहन करने के लिए प्रमाणित है, दसवीं अनुसूची के भाग II की अपेक्षाओं के अनुसार एक रक्षा जाकेट वहन करेगा ।

(ख) हर पोत, खंड (क) के अनुसार वहन की हुई रक्षा जाकेटों के अतिरिक्त, व्यक्तियों की उस संख्या के कम से कम पांच प्रतिशत के लिये जिसे वहन करने के लिये प्रमाणित है, दसवीं अनुसूची के भाग I की अपेक्षाओं के अनुसार, रक्षा जाकेट

भी वहन करेगा, और ऐसी रक्षा जाकेटें डेक पर समुचित स्थान पर नौभरित होंगी जो सहजदृश्य रूप से चिन्हित होगा ।

(12) हर पोत अनुमोदित रस्सी प्रक्षेपण साधित्र वहन करेगा ।

7. **वर्ग IV के पोत.**—(1) यह नियम वर्ग IV के पोतों को लागू होगा ।

(2) (क) हर पोत में, उसकी लम्बाई के अनुसार पहली अनुसूची में उपवर्णित सारणी के स्तम्भ क में विनिर्दिष्ट डेविटों के सेटों की न्यूनतम संख्या लगी होगी ।

(ख) जहां केन्द्रीय सरकार का इस प्रकार समाधान हो जाता है वहां वह पोत पर डेविटों के सेटों की कम संख्या की व्यवस्था करने के लिये अनुज्ञा दे सकेगी परन्तु फिर भी डेविटों के सेटों की संख्या पहली अनुसूची के स्तम्भ ख में विनिर्दिष्ट न्यूनतम संख्या से कभी भी कम नहीं होगी ।

परन्तु किसी भी पोत में, डेविटों के सेटों की उस संख्या का लगा होना अपेक्षित नहीं है जो व्यक्तियों की कुल संख्या को जिसे पोत वहन करने के लिए प्रमाणित है स्थान देने के लिये अपेक्षित रक्षा नौकाओं की संख्या से अधिक है ।

(3) डेविटो के हर ऐसे सेट से एक रक्षा नौका संलग्न होगी और इस प्रकार संलग्न रक्षा नौकाओं में पहली अनुसूची में उपवर्णित सारणी के स्तम्भ ग में विनिर्दिष्ट कम से कम धारिता की या उस धारिता की जो व्यक्तियों की कुल संख्या को, जिसे पोत वहन करने के लिये प्रमाणित है, यदि परवर्ती कम हो, स्थान देने के लिये, व्यवस्था होगी ।

(4) (क) हर पोत पर, जब वह समुद्र में हो उपनियम (3) के अधीन अपेक्षित दो रक्षा नौकायें, पोत के प्रत्येक ओर एक-एक, आपात में तत्काल प्रयोग के लिये तैयार रखी जायेंगी ।

(ख) इन दोनों रक्षा नौकाओं में से कोई भी लम्बाई में 8.5 मीटर से अनधिक होगी, किन्तु उनमें से कोई भी या दोनों, मोटर रक्षा नौकाओं या रक्षा नौकायें हो सकेंगी, और उस दशा में, उपनियम (5) के अनुसार प्रयोजन के लिये गिनी जा सकेंगी ।

(ग) नियम 29 के उपनियम (13) के उपबन्धों के होते हुये भी, इन रक्षा नौकाओं या नौकाओं में स्केटों या उपयुक्त साधित्रों का लगा होना अपेक्षित नहीं होगा ।

(5) हर पोत कम से कम एक मोटर रक्षा नौका वहन करेगा ।

(6) जहां उपनियम (3) के अनुसार वहन की हुई रक्षा नौकायें बोर्ड पर व्यक्तियों की कुल संख्या को स्थान नहीं देती हैं वहां उपयुक्त रूप से रखे हुये बचाव तरापों की इस प्रकार व्यवस्था की जायेगी कि रक्षा नौकाओं और बचाव तरापों पर स्थान की, की गई व्यवस्था बोर्ड पर से सभी व्यक्तियों के लिये पर्याप्त हो ।

(7) यदि केन्द्रीय सरकार की राय मे यातायात की अधिकता के कारण ऐसा अपेक्षित है, तो वह किसी पोत को भारत में किसी पत्तन या स्थान से या अन्तर्राष्ट्रीय समुद्र यात्रा पर जो 600 मील से अधिक किन्तु 1200 मील से अधिक न हो, भारत में गत विश्राम पत्तन या स्थान से भारत के बाहर अन्तिम गन्तव्य पत्तन या स्थान तक समुद्र में जाने के लिये अनुज्ञा दे सकेगी :

परन्तु यह तब जब कि—

(1) पोत, बोर्ड पर व्यक्तियो के कम से कम 70 प्रतिशत को स्थान देने वाली डेविटों से सलग्न रक्षा नौकायें वहन करता हो, और

(2) बोर्ड पर वहन की हुई रक्षा नौकाओं और बचाव तरापों की संख्या, व्यक्तियों की कुल सख्या का जिसे पोत वहन करने के लिये प्रमाणित या अनुज्ञात है स्थान देने के लिए पर्याप्त हो।

(8) हर पोत में, इस नियम के अनुसार वहन की हुई रक्षा नौकाओं की लम्बाई 7.3 मीटर से अन्यून होगी ।

(9) हर पोत में, इस नियम के अनुसार वहन किये जाने के लिये अपेक्षित डेविट गुरुत्व प्रकार के होंगे इसके अलावा कि उन रक्षा नौकाओं या नौकाओं के प्रचालन के लिये जिनका भार 2300 किलोग्राम से अनधिक हो, उनकी अवतरण स्थिति में लफिंग डेविट लगे हो सकेंगे ।

(10) उपनियम (5) के अनुसरण में वहन की हुई हर मोटर रक्षा नौका एक सुवाह्य रेडियो उपस्कर वहन करेगी जो नियम 34 उपबन्धों के अनुसार होगा :

परन्तु यदि किसी पोत या पोतों के वर्ग के बारे में केन्द्रीय सरकार का समाधान हो जाये कि समुद्र यात्रा की कालावधि ऐसी है कि सुवाह्य रेडियो उपस्कर को ले जाना अनावश्यक है, तो वह इस उपनियम की अपेक्षाओं से अभिमुक्त होने के लिये अनुज्ञा दे सकेगी ।

(11) हर पोत, उपनियम (6) के अनुसरण में वहन किये हुये किसी ऐसे बचाव तराप के अतिरिक्त, व्यक्तियो की कुल संख्या के दस प्रतिशत को स्थान देने के लिये जिसे पोत वहन करने के लिये प्रमाणित है, पर्याप्त बचाव तराप या उत्प्लावन बेड़ा वहन करेगा ।

(12) (क) हर पोत निम्न सारणी के अनुसार रक्षा बोयों की कम से कम संख्या वहन करेगा :—

सारणी

पोत की लम्बाई मीटरों में	वहन किए जाने के लिये अपेक्षित रक्षा बोयों की न्यूनतम संख्या
61 मीटर से कम	8
61 मीटर और उससे अधिक किन्तु 122 मीटर से कम	12
122 मीटर और उससे अधिक किन्तु 183 मीटर से कम	18
183 मीटर और उससे अधिक किन्तु 244 मीटर से कम	24
244 मीटर और उससे अधिक	30

(ख) इस प्रकार वहन किये हुये रक्षा बोये की कुल संख्या के कम से कम आधे में, न्यूनतम 6 के अध्यधीन, दक्ष स्व प्रज्वलन बत्तियों की व्यवस्था होगी ।

(ग) स्व प्रज्वलन बत्तियों से व्यवस्थित कम से कम दो रक्षा बोयों में 15 मिनट से अन्यून टिकने वाले स्पष्ट दृश्यमान वर्ण के धूम्र उत्पन्न करने में समर्थ दक्ष स्वतः सक्रिय धूम्र संकेत की भी व्यवस्था होगी और धूम्र संकेतों से इस प्रकार व्यवस्थित रक्षा बोयें नौचालन कक्ष से शीघ्र नियुक्त होने में समर्थ होगे ।

(घ) पोत के प्रत्येक और कम से कम एक रक्षा बोये में, लम्बाई में कम से कम 27.5 मीटर की उत्प्लावन रक्षा रस्सी की व्यवस्था होगी ।

(13) (क) हर पोत—

(i) बोर्ड पर यथास्थिति, हर व्यक्ति के लिए या, व्यक्तियों की उस संख्या के लिए जिसे यह वहन करने के लिए प्रमाणित है, उनमें जो भी अधिक हो, दसवीं अनुसूची के भाग I की अपेक्षाओं के अनुसार एक रक्षा जाकेट वहन करेगा, और

(ii) व्यक्तियों की कुल संख्या के कम से कम दस प्रतिशत के लिए, जिसे पोत वहन करने के लिए प्रमाणित है, दसवीं अनुसूची के भाग II की अपेक्षाओं के अनुसार एक रक्षा जाकेट वहन करेगा;

(ख) हर पोत, खंड (क) के अनुसार वहन की हुई रक्षा जाकेटों के अतिरिक्त व्यक्तियों की उस संख्या के कम से कम पांच प्रतिशत के लिए जिसे पोत वहन करने के लिए प्रमाणित है दसवीं अनुसूची के भाग I की अपेक्षाओं के अनुसार, रक्षा जाकेटें डेक पर समुचित स्थान नौभारत होंगी जो सहजदृश्यरूप से चिन्हित होगा ।

(14) हर पोत एक अनुमोदित रस्सी प्रक्षेपण साधित्र वहन करेगा ।

8. **वर्ग V के पोत**—(1) यह नियम वर्ग V के पोतों को लागू होगा ।

(2) (क) हर पोत में, उसकी लम्बाई के अनुसार पहली अनुसूची में उपवर्णित सारणी के स्तम्भ क में विनिर्दिष्ट डेविटों के सेटों की न्यूनतम संख्या लगी होगी ।

(ख) जहां केन्द्रीय सरकार का इस प्रकार समाधान हो जाता है वहां वह पोत पर डेविटों के सेटों की कम संख्या की व्यवस्था करने की अनुज्ञा दे सकेगी परन्तु फिर भी डेविटों के सेटों की संख्या पहली अनुसूची के स्तम्भ ख में विनिर्दिष्ट न्यूनतम संख्या से कभी भी कम नहीं होगी ।

परन्तु किसी पोत में डेविटों के सेटों की उस संख्या का लगा होना अपेक्षित नहीं है जो व्यक्तियों की कुल संख्या को जिसे पोत वहन करने के लिये प्रमाणित है स्थान देने के लिये अपेक्षित रक्षा नौकाओं की संख्या से अधिक है ।

(3) डेविटों के हर ऐसे सेट से एक रक्षा नौका संलग्न होगी और इस प्रकार संलग्न रक्षा नौकाओं में प्रथम अनुसूची में उपवर्णित सारणी के स्तम्भ ग में विनिर्दिष्ट कम से कम धारिता की या उस धारिता की जो व्यक्तियों की कुल संख्या को जिसे पोत वहन करने के लिये प्रमाणित है यदि परवर्ती कम हो, स्थान देने के लि व्यवस्था होगी ।

(4) हर पोत कम से कम एक मीटर रक्षा नौका वहन करेगा ।

(5) उपनियम (3) के अनुसरण में वहन की हुई रक्षा नौकाओं के साथ साथ ऐसी अतिरिक्त रक्षा नौकाये और बचाल तरापे या उत्प्लावन बड़ो वहन किया जाएगा ज्यो व्यक्तियों की कुल संख्या के लिये जिसे पोत वहन करने के लिये प्रमाणित है, पर्याप्त होगा :

परन्तु रक्षा नौकायें व्यक्तियों की कुल संख्या के 25 प्रतिशत से अन्यून को स्थान देने के लिये जिसे पोत वहन करने के लिये प्रमाणित है] वहन की जायेगी :

(6) इस नियम के अनुसार वहन की हुई रक्षा नौकायें जहां युक्तियुक्त और साध्य हो लम्बाई में 7.3 मीटर के अन्यून होगी ।

(7) इस नियम के अनुसार लगे होने के लिये अपेक्षित डेविट गुरुत्व प्रकार के होंगे इसके अलावा कि उन रक्षा नौकाओं या नौकाओं के प्रचालन के लिये जिनका भार 2300 किलोग्राम से अनधिक हो उनके अवतरण स्थित में लफिंग-डेविट लगे हो सकेंगे ।

(8) उपनियम (4) के अनुसरण में वहन की हुई हर मोटर रक्षा नौका एक सुबाह्य रेडियो उपकर वहन करेगी जो नियम 34 के उन्पबधों के अनुसार होगा ।

(9) (क) हर पोत निम्न सारणी के अनुसार रक्षा बोयों की कम से कम संख्या वहन करेगा :—

सारणी

पोत की लम्बाई मोटरों में	वहन किये जाने के लिये अपेक्षित रक्षा बोयों की न्यूनतम संख्या
61 मीटर से कम	8
61 मीटर और उससे अधिक किन्तु 122 मीटर से कम . .	12
122 मीटर और उससे अधिक किन्तु 183 मीटर से कम .	18
183 मीटर और उससे अधिक किन्तु 244 मीटर से कम .	24
244 मीटर और उससे अधिक	30

(ख) इस प्रकार वहन किए हुए रक्षा बोयों की कुल संख्या के कम से कम आधे में, न्यूनतम 6 के अध्यधीन, दक्षस्व प्रज्वलन बत्तियों की व्यवस्था होगी ।

(ग) पोत के प्रत्येक और कम से कम एक रक्षा बोये में लम्बाई में कम से कम 27.5 मीटर की उत्प्लावन रक्षा रस्सी की व्यवस्था होगी ।

(10) (क) हर पोत—

(1) बोर्ड पर, यथास्थिति, हर व्यक्ति के लिए या, व्यक्तियों की उस संख्या के लिए जिसे यह वहन करने के लिए प्रमाणित है, उनमें जो भी अधिक हो, दसवीं अनुसूची के भाग 1 की अपेक्षाओं के अनुसार एक रक्षा जाकेट वहन करेगा, और

(2) व्यक्तियों की कुल संख्या के कम से कम दस प्रतिशत के लिए, जिसे पोत वहन करने के लिए प्रमाणित है, दसवीं अनुसूची के भाग 2 की अपेक्षाओं के अनुसार एक रक्षा जाकेट वहन करेगा ।

(ख) हर पोत, खंड (क) के अनुसार वहन की हुई रक्षा जाकेटों के अतिरिक्त, व्यक्तियों की उस संख्या के कम से कम पांच प्रतिशत के लिए जिसे पोत वहन करने के लिए प्रमाणित है दसवीं अनुसूची के भाग 1 की अपेक्षाओं के अनुसार रक्षा जाकेटें भी वहन करेगा । और ऐसी रक्षा जोकेटें डेक पर समुचित स्थान पर नौभरित होंगी जो सहजदृश्य रूप से चिन्हित होगा ।

(2) हर पोत एक अनुमोदित रस्सी प्रक्षपण सचित्र वहन करेगा ।

9. **वर्ग VI के पोत**—(1) यह नियम वर्ग 6 के पोतों को लागू होगा ।

(2) कुल 500 टन या उससे अधिक का हर पोत अपने प्रत्येक ओर, बोर्ड पर सभी व्यक्तियों को स्थान देने के लिए पर्याप्त कुल भौरिता की एक या अधिक रक्षा नौकाएं वहन करेगा ।

(3) कुल 1600 टन या उससे अधिक के हर पोत में, उपनियम (2) के अनुसरण में वहन की हुई रक्षा नौकाएं लम्बाई में 7.3 मीटर से अन्यून होंगी ।

(4) कुल 1600 टन या उससे अधिक के तेल-पोत से भिन्न, कुल 500 टन या उससे अधिक का हर पोत, बोर्ड पर व्यक्तियों की कुल संख्या के कम से कम आधे को स्थान देने के लिए पर्याप्त कुल धारिता के बचाव तरापे वहन करेगा :

परन्तु ऐसे पोतों की दशा में, जो निकटवर्ती देशों के बीच अन्तर्राष्ट्रीय समुद्र, यात्राओं पर लगे हों केन्द्रीय सरकार, यदि इसका समाधान हो जाए कि समुद्र, यात्रा की दशाएं ऐसी है कि बचाव तरापों का अनिवार्य वहन अयुक्तियुक्त या अनावश्यक है तो वह ऐसे विशेष पोतों या पोतों के वर्गों को इस उपनियम की अपेक्षाओं के अनुपालन से छूट दे सकेगी ।

(5) कुल 500 टन से कम का हर पोत या तो—

(क) कुल 500 टन या उससे अधिक के पोतों के लिए उपनियम (2) में विहित बचाव तरापे वहन करेगा : या

(ख) एक रक्षा नौका या वर्ग ग नौका जो पोत के प्रत्येक ओर से अवतीर्ण होने में समर्थ होगी और बोर्ड पर व्यक्तियों की संख्या के दुगुने को ध्यान देने के लिए पर्याप्त कुल धारिता के कम से कम दो बचाव तराप वहन करेगा ।

(6)(क) कुल 3000 टन या उससे अधिक का हर तेल-पोत, पोत के प्रत्येक ओर, बोर्ड पर व्यक्तियों की कुल संख्या को स्थान देने के लिए पर्याप्त कुल धारिता की कम से कम दो रक्षा नौकाएं, वहन करेगा ।

(ख) इन रक्षा नौकाओं में से दो, पीछे और दो पोत मध्य वहन की जायेगी सिवाय उन तेल पोतों में जिनमें कोई पोत मध्य अधिरचना नहीं है, सभी रक्षा नौकाएं पीछे वहन की जाएंगी ।

परन्तु उन तेल पोतों की दशा में, जिनमें पोत-मध्य अधिरचना नहीं है, यदि पीछे चार नौकाएं वहन करना असाध्य हो तो उसके बदले में केन्द्रीय सरकार तेल-पोत के प्रत्येक और केवल एक रक्षा नौका के पीछे वहन करने के लिए इसके अध्यधीन अनुज्ञा दे सकेगी कि तेल पोत निम्नलिखित उपबंधों का अनुपालन करे अर्थात् :—

(1) प्रत्येक रक्षा नौका की लम्बाई 8.5 मीटर से अधिक नहीं होगी।

(2) प्रत्येक रक्षा नौका यथा साध्य दूर आग नौभारित होगी और कम से कम उतनी दूर आगे कि रक्षा नौका का परवर्ती सिरा, तेल-पोत नौदन के रक्षा नौका लम्बाई के डेढ़ गुना आगे हो;

(3) प्रत्येक रक्षा नौका समुद्र-तेल के इतनी निकट नौभारित होगी जो सुरक्षित और साध्य हो; और

(4) रक्षा नौकाओं के अतिरिक्त, बोर्ड पर व्यक्तियों की कुल संख्या के कम से कम आधे को स्थान देने के लिए पर्याप्त बचाव तारपे वहन किए गए हों।

(7) इस नियम के उपबन्धों के अधीन वहन किए गए बचाव तरापे इस प्रकार नौभारित होंगे कि वे पोत के प्रत्येक ओर से सरल जल में अंतरित किया जा सकें।

(8) हर पोत में जिसको उप-नियम (2) या उपनियम (6) लागू होता है, प्रत्येक रक्षा नौका डेविटों के पृथक सेट से संलग्न होगी जो गुरुत्व प्रकार का होगा इसके अवाला कि 1600 टन या उससे अधिक के तेल-पोतों से भिन्न पोतों में उन रक्षा नौकाओं के प्रचालन के लिए, जिनका वजन 2300 किलोग्राम से अनधिक हो, उनकी अवतरण स्थिति में लफि डेविट लगे हो सकेंगे।

(9) (क) कुल 1600 टन या उससे अधिक के हर पोत में, उपनियम (2) के अनुसार वहन की गई रक्षा नौकाओं में कम से कम एक, मोटर रक्षा नौका होगी,

(ख) कुल 1600 टन या उससे अधिक के हर तेल-पोत में उपनियम (2) या उपनियम (6) के अनुसार पोत के प्रत्येक ओर वहन की गई रक्षा नौकाओं में कम से कम एक, मोटर रक्षा नौका होगी।

(10) हर पोत, नियम 34 की अपेक्षाओं के अनुसार एक सुवाह्य रेडियो उपस्कर वहन करेगा :

परन्तु यदि किसी पोत के बारे में केन्द्रीय सरकार का समाधान हो जाए कि समुद्र यात्रा की कालावधि ऐसी है कि सुवाह्य रेडियो उपस्कर को ले जाना अनावश्यक है, तो वह इस नियम के अपेक्षाओं से अभिमुक्त होने के लिए अनुज्ञा दे सकेगी।

(11) (क) कुल 500 टन या उससे अधिक का हर पोत कम से कम 8 रक्षा बोये वहन करेगा,

(ख) कुल 500 टन से कम का हर पोत कम से कम 4 रक्षा बोये वहन करेगा ;

(ग) इस प्रकार वहन किए गए रक्षा बोयों की कम से कम आधी संख्या में, नियम 21 में निर्दिष्ट दक्ष स्वप्रज्वलन बत्तियों की व्यवस्था होगी।

(12) हर पोत—

(क) बोर्ड पर हर व्यक्ति के लिए दसवीं अनुसूची के भाग 1 की अपेक्षाओं के अनुसार एक रक्षा जोकट वहन करेगा, और

(ख) हर बच्चे के लिए जिसे पोत वहन करता है, दसवीं अनुसूची के भाग ii की अपेक्षा के अनुसार एक रक्षा जाकेट वहन करेगा ।

(13) हर पोत एक अनुमोदित रस्सी प्रक्षापण साधित्र वहन करेगा ।

10. वर्ग VII के पोत-नियम 9 के उपबन्ध वर्ग VII के पोतों को वैसे ही लागू होंगे जसे वे वर्ग VI के पोतों को लागू होते है ।

11. वर्ग VIII के पोत—:(1) लम्बाई में 44 मीटर या उससे अधिक का हर पोत या तो—

(क) डेविटी से संलग्न कम से कम दो रक्षा नौकाएं, जो इस प्रकार व्यवस्थित हो कि पोत के प्रत्येक ओर कम से कम एक रक्षा नौका हो, वहन करेगा, पोत के प्रत्येक ओर ऐसी रक्षा नौका, पोत के बोर्ड पर सभी व्यक्तियों को स्थान देने के लिए पर्याप्त कुल धारिता की हो, या

(ख) किसी डैविट से संलग्न एक वर्ग ग नौका और बोर्ड पर व्यक्तियों की संख्या के दुगने को स्थान देने के लिए पर्याप्त कुल धारिता के कम से कम दो अनुमोदित स्फीतीयोग्य बचाव तारपे वहन करेगा और वे इस प्रकार नौभारित होंगे कि पोत के प्रत्येक ओर सरलता से जल में अंतरित किए जा सकें ।

(2) हर पोत जो लम्बाई में 44 मीटर से कम किन्तु 35 मीटर से कम नहीं है पोत के बोर्ड पर सभी व्यक्तियों को स्थान देने के लिए पर्याप्त धारिता की डैविटों से संलग्न एक रक्षा नौका वहन करेगा और यथास्थिति बोर्ड पर सभी व्यक्तियों को स्थान देने या संभालने के लिए पर्याप्त कुल धारिता के अनुमोदित स्फीत योग्य बचाव तरापे या अनुमोदित उत्प्लावन बड़ा भी वहन करेगा और वे इस प्रकार नौभारित होंगे कि पोत के प्रत्येक ओर सरलता से जल में अंतरित किए जा सकें ।

(3) हर पोत जो लम्बाई में 35 मीटर से कम किन्तु 24 मीटर से कम नहीं है इस प्रकार नौभारित वर्ग ग नौका वहन करेगा कि यह पोत के प्रत्येक ओर सरलता से जल में अंतरित हो सके और यथास्थिति, बोर्ड पर व्यक्तियों की संख्या के डेढ़ गुने से अन्यून को स्थान देने या संभालने के लिए पर्याप्त कुल धारिता के अनुमोदित स्फीती योग्य बचाव तारपे या अनुमोदित उत्प्लावन बड़ा भी वहन करेगा और व इस प्रकार नौभरित होंगे कि पोत के प्रत्येक ओर सरलता से जल में अंतरित हो सकें ।

(4) खराब मौसम वाली ऋतु में चलता हुआ हर पोत जो लम्बाई में 24 मीटर से कम किन्तु 12 मीटर से कम नहीं हो पोत के बोर्ड पर सभी व्यक्तियों को स्थान देने के लिए एक वर्ग ग नौका या अनुमोदित स्फीती योग्य बचाव तारापा वहन करेगा जो इस प्रकार नौभारित होगा कि यह पोत के प्रत्येक ओर सरलता से जल में अंतरित हो सके ।

(5) साफ मौसम वाली ऋतु में चलता हुआ हर पोत जो लम्बाई में 24 मीटर से कम किन्तु 12 मीटर से कम नहीं हो यथास्थिति बोर्ड पर सभी व्यक्तियों को स्थान देने या संभालने के लिए पर्याप्त कुल धारिता की एक वर्ग ग नौका या अनुमोदित स्फीती योग्य बचाव तारपे या अनुमोदित उत्प्लावन बेड़ा वहन करेगा और व इस प्रकार नौभारित होंगें कि व पोत 8 प्रत्येक ओर सरलता से जल अंतरित हो सकें।

(6) (क) लम्बाई में 30 मीटर या उससे अधिक का हर पोत कम से कम चार अनुमोदित रक्षा बोये वहन करेगा । और लम्बाई में 30 मीटर से कम का हर पोत कम से कम दो अनुमोदित रक्षा बोये वहन करेगा ।

(ख) वहन किए जाने के लिए अपेक्षित कम से कम एक रक्षा बोये में स्व प्रज्वलन बत्ती लगी होगी और जल में अनिवर्नापित रहने में समर्थ हो :

(7) इस नियम की कोई बात किसी भी लम्बाई की बात होगी को लागू नहीं होगी परन्तु एसी डोंगी में आग और पीछ से प्रत्येक और चौथाई दूरी पर झूल वाली रक्षा रस्सी की व्यवस्था हो और "खराब मौसम वाली ऋतु" में मछली पकड़ने में न लगी हों ।

(8) इस नियम प्रयोजन के लिए--

(1) "साफ मौसम वाली ऋतु" से--

(क) अरब सागर में 1 सितम्बर से 31 मई तक की ऋतु और

(ख) बंगाल की खाड़ी में 1 दिसम्बर से 30 अप्रैल तक की ऋतु; अभिप्रत है ।

(2) "खराब मौसम वाली ऋतु" से--

(क) अरब सागर में 1 जून से 31 अगस्त तक की ऋतु, और

(ख) बंगाल की खाड़ी में 1 मई से 30 नवम्बर तक की ऋतु,

(9) हर पोत--

(क) बोर्ड पर हर व्यक्ति के लिए दसवीं अनुसूची के भाग 1 की अपेक्षाओं के अनुसार एक रक्षा जाकेट वहन करेगा, और

(ख) हर बच्चे के लिए जिसे पोत वहन करता है दसवी अनुसूची के भाग 11 की अपेक्षाओं के अनुसार एक रक्षा जाकेट वहन करेगा ।

12. रक्षा नौकाओं के लिए सामान्य अपेक्षाएं--इन नियमों के अनुसरण में पोत के बोर्ड पर वहन की हुई रक्षा नौकाएं दूसरी अनुसूची में विनिर्दिष्ट अपेक्षाओं के अनुसार होंगी ।

13. रक्षा नौकाओं की वहन धारिता--(1) (क) उपनियम (2), (3), (4) और (5) के उपबंधों के अध्यधीन व्यक्तियों--की संख्या जिसे स्थान देने के लिए रक्षा नौका ठीक समझी जाएगी वह $\frac{V}{X}$ सूत्र द्वारा प्राप्त सबसे बड़ी पूर्णांक संख्या के बराबर होगी जहां "V" तीसरी अनुसूची के उपबन्धों के अनुसार अवधारित घन मीटरों में रक्षा नौका की घन धारिता है और X प्रत्येक व्यक्ति के

के लिए घन मीटरों में आयतन है जो 7.3 मीटर लम्बी या उससे अधिक की रक्षा नौका के लिए 0.283 और 4.9 मीटर लम्बी रक्षा नौकाओं की दशा में 0.396 होगा ।

(ख) रक्षा नौकाओं की मध्यवर्ती लम्बाइयों के लिए × का मान अन्तर्वेशन द्वारा अब धारित किया जाएगा ।

(2) व्यक्तियों की वह संख्या जिसे स्थान देने के लिए रक्षा नौका ठीक समझी गयी है रक्षा जाकेट पहने हुए उन व्यस्थ व्यक्तियों की संख्या से अधिक नहीं होगी जिनके लिए समुचित बठने का स्थान इस प्रकार व्यवस्थित है कि व्यक्ति जब बैठ हो व चप्पुओं के प्रयोग या अन्य नोदन उपस्कर के प्रचालन में किसी प्रकार बाधा न डालें ।

(3) कोई भी रक्षा नौका 150 से अधिक व्यक्तियों को स्थान देने के लिए ठीक नहीं समझी जाएगी ।

(4) मोटर रक्षा नौका से भिन्न कोई भी रक्षा नौका 100 से अधिक व्यक्तियों को स्थान देने के लिए ठीक नहीं समझी जाएगी ।

(5) मोटर रक्षा नौका या यन्त्रनोदित रक्षा नौका से भिन्न कोई भी रक्षा नौका 60 से अधिक व्यक्तियों को स्थान देने के लिए ठीक नहीं समझी जाएगी ।

14. **मोटर रक्षा नौकाएं**—हर मोटर रक्षा नौका, तीसरी अनुसूची की अपेक्षाओं के अनुसार होने के अतिरिक्त निम्नलिखित अपेक्षाओं के भी अनुसार होगी :

(क) इसमें संपीडन जलन इंजन लगा होगा और ऐसा इंजन और इसके उपसधाक चौथी अनुसूची की अपेक्षाओं के अनुसार होंगे और इस प्रकार बनाए रखे जाएंगे कि सभी समय उपयोग किए जा सकें,

(ख) इसमें, खंड (घ) और खंड (ङ) में विनिर्दिष्ट गति से 24 घंटे लगातार प्रचालन के लिए पर्याप्त इंधन की व्यवस्था होगी ।

(ग) यह पीछ जाने में समर्थ होगी,

(घ) यदि यह एसी रक्षा नौका हो जिसमें नियम 4 के उपनियम (4) नियम 5 के उपनियम (5) नियम 6 के उपनियम (4) या नियम 9 के उपनियम (क) के खंड (ख) के अनुसरा व्यवस्था हो तो अब इसमें व्यक्तियों की पूरी संख्या हो और उपस्कर लदे हों तो यह 6 समुद्री मील की गति से शान्ति जल में आगे जाने में समर्थ होगी ।

(ङ) यदि यह ऐसी मोटर रक्षा नौका है जिसमें खंड (घ) में निर्दिष्ट नियमों के सिवाय किसी अन्य नियम के अनुसार व्यवस्था हो तो व्यक्तियों की पूरी संख्या और उपस्कर के साथ 4 समुद्री मील की गति से शान्त जल में आगे जाने में समर्थ होगी ।

15. यन्त्र नोदित रक्षा—यन्त्र नोदित रक्षा नौकाओं में दूसरी अनुसूची की अपेक्षाओं के अनुसार होने के अतिरिक्त ऐसी मशीनरी लगी हुई होंगी जो पांचवी अनुसूची की अपेक्षाओं के अनुसार होगी ।

16. **वर्ग "ग" नौकाएं**—वर्ग ग नौकाएं छठवीं अनुसूची की अपेक्षाओं के अनुसार होंगी ।

17. **बचाव तरापे**—(1) बचाव तरापे सातवी अनुसूची के भाग 1 य भ ग की अपेक्षाओं के अनुसार होंगे ।

(2) सातवी अनुसूची के भाग 1 की अपेक्षाओं के अनुसार बचाव तरापे केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित किसी सर्विसिग स्टेशन पर ऐसे अंतरालों पर जो 12 महीने से अनधिक हो सर्वेक्षित किए जाएंगे ।

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का समाधान हो जाए कि ऐसे बचाव तरापों का 12 महीने के अन्तराल से सर्वेक्षण असाध्य है तो यह उस अंतराल को 3 महीने से अनधिक के लिए विस्तारित होने की अनुज्ञा दे सकेगी ।

18. उत्प्लावन बेड़ा—(1) उत्प्लावन बेड़ा आठवीं अनुसूची की अपेक्षाओं के अनुसार होगा ।

(2) व्यक्तियों की वह संख्या जिसे संभालने के लिए उत्प्लावन बेड़ा ठीक समझा जाए गा—

(क) उस अधिकतम पूर्णांक के जो लोहे की किलोग्राम संख्या को जिसे उपकरण अलवण जल में अपनी पकड़ रस्सियों से संभालने में समर्थ है 14.5 से भाग करने द्वारा प्राप्त की जाए, या

(ख) उस अधिकतम पूर्णांक संख्या के जो सन्टीमीटरों में इसकी परिमाप का 30.5 द्वारा भाग करने द्वारा प्राप्त की जाए,

इसमें से जो भी कम हो उसके बराबर होगी ।

19. **रक्षा नौकाओं, वर्ग ग नौकाओं, बचाव तरापों और उत्प्लावन का चिह्नन**—

(1) (क) किसी रक्षा नौका या किसी वर्ग ग नौका की विभाएं और व्यक्तियों की संख्या जिसे स्थान देने के लिए यह ठीक समझी गई हैं, इस पर स्पष्टतः से स्थायी रूप में चिह्नित होगी ।

(ख) पोत रजिस्टी का नाम और पत्तन, जिससे रक्षा नौका या वर्ग ग नौका सम्बन्धित है, ऐसी रक्षा नौका या वर्ग ग नौका के मदान के दोनों ओर चिह्नित होगा ।

(2) (क) व्यक्तियों की वह संख्या, जिसे सातवीं अनुसूची के भाग 1 की अपेक्षाओं के अनुसार बचाव तरापा, स्थान देने के लिए ठीक समझा गया हैं, बचाव तरापे पर और चमड़े के थैले या अन्य आधान पर जिसमे बचाव तरापा जब प्रयोग में नहीं हैं रखा जाता है, स्थायी रूप से स्पष्टता से चिह्नित होगी ।

(ख) ऐसे हर बचाव तरापे पर, क्रम संख्या तथा विनिर्माता का नाम और विनिर्माण का वर्ष भी होगा ।

(3) हर बचाव तरापा जो सातवीं अनुसूची के भाग ii की अपेक्षाओं के अनुसार हैं, पोत का जिसमें वह वहन किया जाता हैं, नाम और रजिस्ट्रीपत्तन और व्यक्तियों की वह संख्या जिसे स्थान देने के लिए यह ठीक समझा गया, स चिह्नित होगा ।

(4) व्यक्तियों की वह संख्या जिसे संभालने के लिए उत्प्लावन बेड़ा ठीक है, इस पर स्थायी रूप से स्पष्टता से चिह्नित होगी ।

20. **रक्षा बोये**—रक्षा बोये नवीं अनुसूची की अपेक्षाओं के अनुसार होंगे ।

21. **रक्षा बोय बत्तियां, धूम्र संकेत और रस्सियां** :—

(1) इन नियमों के अनुसार वहन किये हुए रक्षा बोये मे, नियम 4 के उपनियम (11), नियम 5 के उपनियम (14), नियम 6 के उपनियम (10), नियम 7 के उपनियम (12), नियम 8 के उपनियम (9), नियम 9 के उपनियम (11) और नियम 11 के उपनियम (6) मे विनिर्दिष्ट मापमानों पर स्व प्रज्वलन बत्तियां होंगी ।

(2) (क) स्व प्रज्वलन बत्ती जल मे रहते हुए निर्वाचित हुए बिना रहने में समर्थ होगी ।

(ख) व 45 मिनट से अन्यून तक जलने मे समर्थ होंगी और 3.5 ल्यूमेन से अन्यून दीप्ति रखेंगी ।

(3) तैल-पोतों में वहन किये हुए रक्षा बोये से संलग्न स्व प्रज्वलन बत्तियां विद्युत् बैटरी—प्रकार की होंगी ।

(4) (क) हर पोत में, जिसकी लम्बाई 21.5 मीटर से कम है और जो वर्ग VIII का पोत नहीं हैं, पोत के प्रत्येक और एक रक्षा बोया से, कम से कम 27.5 मीटर लम्बी उत्प्लावन रस्सी संलग्न होगी ।

(ख) 21.5 मीटर से कम लम्बे हर वर्ग 8 के पोत मे, पोत के प्रत्येक और एक रक्षा नौका से कम से कम 18 मीटर लम्बी उत्प्लावन रस्सी संलग्न होगी ।

(ग) इस उप नियम के अनुसार रक्षा बोये मे जिनसे रस्सियां संलग्न हैं, स्व प्रज्वलन बत्ती संलग्न नहीं होगी ।

(5) वर्ग 8 के पोत से भिन्न हर एक पोत में, उप नियम (1) के उपबंधों के अनुसार स्व प्रज्वलन बत्ती से व्यवस्थित दो से अन्यून रक्षा बोयों में कम से कम 15 मिनट के स्पष्ट दृश्यमान वर्णों के धूम् उत्पन्न करने मे समर्थ स्वतः सक्रिया धूम् संकेतों की व्यवस्था होगी ।

(6) (क) इन नियमों के अनुसार स्व प्रज्वलन बत्ती और स्वतः सक्रिय धूम्र संकेतों से व्यवस्थित रक्षा बोये, नौचालन कक्ष के प्रत्येक ओर, यदि कोई हो, वहन किये जायेंगे और इस प्रकार लगे होंगे कि शीघ्र निर्मुक्त होने मे समर्थ हों ।

(ख) खंड (क) में निर्दिष्ट प्रत्येक रक्षा बोया या अन्य रक्षा बोया उस स्थिति में जहां स्व प्रज्वलन बत्ती को निर्मुक्ति ऐसे रक्षा बोये के वजन पर निर्भर करती हैं, 4.3 किलोग्राम से अन्यून भार का होगा ।

22. **रस्सी प्रक्षेपण साधित्र**—हर एक रस्सी प्रक्षेपण साधित्र ग्यारहवीं अनुसूची की अपेक्षाओं के अनुसार होगा ।

23. **रक्षा नौकाओं और बर्ग ग नौकाओं के लिए उपस्कर**— उपनियम (2), (3) और (4) के उपबंधों के अध्यधीन, हर रक्षा नौका का उपस्कर निम्न प्रकार का होगा—

(क) इकहरी बैठक वाले उत्प्लावन कर्म चप्पू दो अतिरिक्त उत्प्लावन चप्पू और एक उत्प्लावन कर्ण-चप्पू मध्यटेकों का डेढ़ सेट, डोरी या जंजीर द्वारा रक्षा नौका से संलग्न, एक नौका हुक;

(ख) डोरी या जंजीर द्वारा रक्षा नौका से संलग्न प्रत्येक प्लग छिद्र के लिए दो प्लग (उसके सिवाय जहां समुचित स्वचालित वाल्व लगे हों) एक उलीचक और दो बाल्टी;

(ग) रक्षा नौका से संलग्न एक सुकान और एक पतवार;

(घ) रक्षा नौका से बाहर चारों ओर झूलबाली रक्षा रस्सी और ऐसे साधन जो पेरज से पठाण की नीचे पेरज तक सुरक्षित पकड़ रस्सियों के साथ नितल पट्टी या पठाण पर पट्टी के रूप में यदि रक्षा नौका उलट जाय तो उसे पकड़ने के लिए, व्यक्तियों को समर्थ बनाये;

(ङ) इस रूप मे स्पष्टता से चिह्नित एक लाकर, जो उपस्करों की छोटी मदों के नौभरण के लिए उपयुक्त हो;

(च) दो कुल्हाड़ी, रक्षा नौका के प्रत्येक सिरे पर एक;

(छ) एक लैम्प जिसमे 12 घंटे के लिए पर्याप्त तेल हो;

(ज) एक जलरोधी जिसमे हवा से सरलता से न निर्वापित होने वाले दियासलाइयों के बक्स हों;

(झ) मस्तूल जस्तेदार तार रस्सियों सहित और नारंगी रंग वाली पालें सहित जो पहिचान के प्रयोजन के लिए उस पोत के नाम के प्रथम और अंतिम अक्षर से चिह्नित होगी जिसकी रक्षा नौका है;

(ञ) बारहवीं अनुसूची के भाग I की अपेक्षाओं के अनुसार विनैक्लि रखा हुआ एक कम्पास;

(ट) बारहवीं अनुसूची के भाग II की अपेक्षाओं के अनुसार एक किरमिच लंगर;

(ठ) पर्याप्त लम्बाई और आकार के दो कर्षक रस्से, जिसमें एक रक्षा नौका के आगे गिल्ली गांठ से बंधा होगा ताकि यह निर्मुक्त हो सके और दूसरा रक्षा नौका के माथे पर दृढ़ता से बंधा होगा और जो प्रयोग किया जा सके;

(ड) एक पात्र जिसमें 4.5 लीटर शाक-सब्जी, मछली या जान्तब तेल हो। जल पर तेल के आसान वितरण के लिए एक साधन की व्यवस्था होगी और यह इस प्रकार से व्यवस्थित होगा कि यह किरमिच लंगर से संलग्न हो सके।

(ढ) बारहवीं अनुसूची के भाग 3 की अपेक्षाओं के अनुसार चार संकट छतरी मशाल और बारहवीं अनुसूची के भाग 4 के उपबंधों के अनुसार छः हस्तधारित संकट मशाल;

(ण) बारहवीं अनुसूची के भाग 5 की अपेक्षाओं के अनुसार दो उत्प्लावन धूम्र संकेत;

(त) बारहवीं अनुसूची के भाग 6 की अपेक्षाओं के अनसार एक प्राथमिक उपचार बाक्स;

(थ) मोर्स संकेतन के लिए उपयुक्त, बैटरियों के अतिरिक्त सेट के साथ एक जलसह विद्युत् टार्च और एक जलसह आधान में एक अतिरिक्त बल्ब;

(द) एक दिवालोक सिगलन दर्पण ।

(ध) टीन खोलने वाले से लगा हुआ एक जैक चाकू जो डोरी द्वारा रक्षा नौका से लगाया जायेगा ।

(न) दो हल्की उत्प्लावन गोफिया रस्सी;

(प) बारहवीं अनुसूची के भाग 8 की अपेक्षाओं के अनुसार एक कर चल पम्प;

(फ) एक सीटी ।

(ब) एक बंसी डोरी और छः कांटे ।

(भ) स्पष्ट दृश्यमान वर्ण का एक ढक्कन जो खुले रहने से होने वाली क्षति से अधिभोगियों की रक्षा करने में समर्थ हो;

(म) समुद्र मे जीवन रक्षा अन्तर्राष्ट्रीय कन्वेंशन, 1960 के भाग 4 के विनिमय 16 के अन्तर्गत यथापेक्षित बचाव संकेत सारणी की एक प्रति;

(य) जल में व्यक्तियों को रक्षा नौका मे चढने के लिए समर्थ बनाने वाले साधन ।

(2) (क) किसी भी मीटर रक्षा नौका या यंत्र नोदित रक्षा नौका के लिए न तो मस्तूल या पाल और न चप्पुओं के आधे से अधिक संख्या को वहन करना अपेक्षित होगा ।

(ख) ऐसे हर रक्षा नौका दो नौकरा हुक वहन करेगी ।

(3) (क) हर मीटर रक्षा नौका, कम से कम हो— सुवाह्य अग्नि शामक, जो तेल अग्नि को निर्वापित करने के लिए उपयुक्त फेन या अन्य पदार्थ विसर्जित करने में समर्थ हों बालू की पर्याप्त मात्रा रखने वाला एक पाम और बालू का वितरण करने के लिए एक बेलची वहन करेगा ।

(ख) ऐसे सुवाह्य अग्नि शामक इस प्रकार के होंगे जो वाणिज्य पोत परिवहन (अग्नि साधित्र) नियम, 1968 की अपेक्षाओं के अनुसार हों सिवाय इसके कि प्रत्येक शामक की धारिता 4.5 लीटर ट्रक या इसके समतुल्य से अधिक नही होगी ।

(4) वर्ग 6, 7 और 8 के पोतों में वहन की हुई हर वर्ग ग नौका निम्नलिखित प्रकार से उपस्करित (सज्जित) होगी—

(क) उत्प्लावन चम्पुओं की एकल संख्या और एक अतिरिक्त उत्प्लावन चम्पू परन्तु यह कि कभी भी तीन चम्पुओं से कम नहीं होंगे, नौका से डोरी या जंजीर द्वारा संलग्न मध्यटेकों का एक सेट, एक नौका-हुक;

(ख) डोरी या जंजीर द्वारा नौका से संलग्न प्रत्येक प्लग छिद्र के लिए दो प्लग सिवाय वहां के जहां समुचित स्वचालित बाल्व लगे हों), एक उलीचक और एक बाल्टी;

(ग) नौका से संलग्न एक सुकान और एक पतवार;

(घ) नौका के चारों ओर झूल वाली एक रक्षा रस्सी;

(ङ) इस रूप में स्पष्टता से चिन्हित एक लाकर, जो उपस्करों की छोटी मदों के नौभरण के लिए उपयुक्त हों;

(च) पर्याप्त लम्बाई और आकार का एक कर्षक रस्सा नौका के आगे गिल्ली गाठें बंधा होगा ताकि यह निर्मुक्त हो सकें;

(छ) ऐसे साधन जो यदि नौका निचल भट्टी या पठाण पट्टी के रूप में उलट जाये तो व्यक्तियों को नौका को पकड़ने के लिए समर्थ बनाये;

(ज) मोर्स संकेतन के लिए उपयुक्त, बैटरियों के अतिरिक्त सेट के साथ एक जलसह विद्युत् टार्च और एक जलसह आधान में एक अतिरिक्त बल्ब; और

(झ) दो हल्की उत्प्लावन गोफिया रस्सी।

24. **रक्षा नौकाओं के लिए राशन**--

(1) हर रक्षा नौका में, उस प्रत्येक व्यक्ति के लिए जिसे स्थान देने के लिए यह ठीक समझी गई है, कम से कम निम्नलिखित मापमान पर विनिर्दिष्ट राशन की व्यवस्था होगी,

(क) 450 ग्राम बिस्कुट

(ख) 450 ग्राम यव-शर्करा; और

(ग) 450 ग्राम थम क्वालिटी का मीठा किया हुआ संघनित दूध: परन्तु वर्ग V और VIII के पोत जो देशी व्यापार की सीमाओं से आगे नहीं बढ़ते हैं उन पर वहन की हुई किसी भी रक्षा नौका को यह नियम लागू नहीं होगा।

(2) उपनियम (1) में विनिर्दिष्ट सभी खाद्य पदार्थ उपयुक्त जलरोधक-आधानों में पैक किये गये होंगे और अन्तर्वस्तुओं को उपदर्शित करने वाले लेबल लगे होंगे।

(3) (क) I से वर्ग VIII (जिसमें दोनों सम्मिलित है) के पोत में वहन की हुई हर रक्षा नौका में प्रत्येक व्यक्ति के लिए जिसे यह स्थान देने के लिए ठीक समझा गया है कम से कम 3 लीटर ताजा जल या, प्रत्येक ऐसे व्यक्ति के लिए कम से कम 1 लीटर पेय जल की व्यवस्था करने में समर्थ लवण अपसारक यंत्र के साथ ऐसे प्रत्येक व्यक्ति के लिए कम से कम दो लीटर ताजा जल की व्यवस्था होगी और प्रत्येक दशा में जल की कुल मात्रा जहां तक साध्य हो बढ़ा दी जायेगी।

(ख) खंड (क) में निर्दिष्ट वर्गों के पोतों में वहन की हुई हर वर्ग ग नौका में जल की पर्याप्त मात्रा की व्यवस्था होगी।

(4) रक्षा नौका में जल उपयुक्त आधानों में रखा जायेगा और हर आधान में कम से कम एक डिपर की जो एक डोरी के द्वारा आधानों से संलग्न होगा और 25.50 और

100 मिलीमीटर में अंशांकित तीन जंग सह जल पीने के पात्रों की व्यवस्था होगी :

परन्तु दो लीटर से अनधिक धारिता के आधान में डिपर की व्यवस्था अपेक्षित नहीं होगी ।

(5) उपनियम (4) में निर्दिष्ट आधानों में जल, यह सुनिश्चित करने के लिए कि यह सदैव पीने के लिए साफ और ठीक है अक्सर बदला जायेगा ।

25. **कतिपय मोटर रक्षा नौकाओं के लिए विशेष उपस्कर:—**

(1) वर्ग 1 और 3 के हर पोत में, नियम 4 के उपनियम (5) के खंड (क) या नियम 6 के उपनियम (5) के खंड (क) के अनुसार वहन की हुई मोटर रक्षा नौकाओं में निम्नलिखित उपस्कर की व्यवस्था होगी :—

(क) एक रेडियो उपस्कर जो जनेवा रेडियो विनियम, 1959 के अनुसार होगा और इसके अतिरिक्त निम्नलिखित उपबंध भी उसका लागू होंगे :—

(1) यह एक केबिन में स्थापित होगा जो उपकरण और उसका प्रयोग करने वाले व्यक्ति, दोनों को जगह देने के लिए पर्याप्त बड़ा हो,

(2) इंतजाम ऐसा होगा कि परिषक और प्रापक का दक्षतापूर्ण प्रचालन मोटर रक्षा नौका के इंजिन की बाधा के कारण हासिल नहीं होगा, चाहे बेटरी चार्ज हो या न हो,

(3) किसी इंजन चालन मोटर या प्रज्वलन प्रणाली को शक्ति प्रदाय करने के लिए रेडियो बेटरी का प्रयोग नहीं होगा,

(ख) मोटर रक्षा नौका के इंजिन से लगा हुआ और रक्षा नौका में सभी बैटरियों को पुनः चार्ज करने में समर्थ एक डाइनेमो ।

(2) (क) इन नियमों के अनुसरण के वहन की हुई सर्च लाइट जिसमें कम से कम 80 वाट का एक लैम्प, एक प्रभावशाली परावर्तक और शक्ति का स्रोत होगा जो, हल्के वर्ण वाली 18 मीटर चौडाई रखने वाली वस्तु को प्रभावी प्रदीप्ति, 183 मीटर की दूरी पर कुल छः घंटे की कालावधि तक देगा ।

(ख) सर्चलाइट लगातार कम से कम 3 घंटे तक कार्य करने में समर्थ होगी ।

26. **रक्षा नौकाओं और वर्ग ग नौकाओं में उपस्कर और राशन की सुरक्षा :—**

(1) (क) किसी रक्षा नौका, वर्ग ग नौका या अन्य नौका में व्यवस्थित उपस्कर की सभी मदें, नौका हुक के सिवाय जो दफराने के प्रयोजन के लिए स्वतंत्र रखा जायेगा, रक्षा नौका या नौका के अन्दर यथोचित रूप से सुरक्षित होंगी ।

(ख) कोई भी रस्सी इस रीति से प्रयोग की जायेगी कि वह उपस्कर की सुरक्षा सुनिश्चित करे, और उठाने वाले हुक यदि लगे हों तो उसमें बाधा न डालें या सुगम नौरोहण को न रोके ।

(ग) ऐसे उपस्कर की सभी मदें यथा संभव छोटी और वजन में हल्की होंगी और यथोचित तथा सघनता से पैक की गई होंगी ।

(2) रक्षा नौका में व्यवस्थित सभी राशन जलरोक टैंकों में नौभरित किया जायेगा जो रक्षा नौका से दृढ़ता से बंधा होगा ।

(3) भोजन और जल राशन वाले टैंक, "भोजन" या "जल" जो भी समुचित हो उससे सहजदृश्य रूप से चिह्नित होंगे ।

27. **बचाव तरापों के लिए उपस्कर और राशन:--**

(1) उपनियम (2) और (3) के उपबंधों के अध्यधीन हर एक बचाव तराप में निम्नलिखित उपस्कर और राशन की व्यवस्था होगी :

(क) कम से कम 31 मीटर की उत्प्लावन रस्सी से संलग्न एक उत्प्लावन बचाव क्वायट;

(ख) (1) उन बचाव तरापों के लिए जो 12 से अनधिक व्यक्तियों को स्थान देने के लिए ठीक हैं, एक सुरक्षा चाकू और एक उलीचक;

(2) उन बचाव तरापों के लिए जो 13 या उससे अधिक व्यक्तियों को स्थान देने के लिए ठीक हैं, दो सुरक्षा चाकू और दो उलीचक;

(ग) दो स्पंज;

(घ) दो किरमिच लंगर, एक स्थायी रूप से बचाव तराप से संलग्न और एक अतिरिक्त, रस्सी सहित;

(ङ) ो पैडल;

(च) बचाव तरापा जब जब तक सातवीं अनुसूची के भाग 2 की अपेक्षाओं के अनुसार नहीं हो, उत्प्लावन कक्षों में छेदों की मरम्मत करने में समर्थ एक मरम्मत करने वाला उपकरण;

(छ) बचाव तरापा जब तक सातवीं अनुसूची के भाग 2 की अपेक्षाओं के अनुसार नहीं हों, एक पानी भरने वाला पम्प या धौंकनी;

(ज) तीन निरापद टीन खोलने वाले;

(झ) बारहवीं अनुसूची के भाग 8 की अपेक्षाओं के अनुसार एक प्राथमिक उपचार उपकरण;

(ञ) 25, 50 और 1000 मिलीमीटर में अंशांकित एक जंग सह जल पीने का पात्र;

(ट) बैटरियों के एक अतिरिक्त सेट के साथ मोर्स सकेंतन के उपयुक्त एक जल सह विद्युत टार्च और जलसह आधान में एक अतिरिक्त बल्ब;

(ठ) एक दिवालोक सिगनल दर्पण और एक सिगनल सीटी;

(ड) बारहवीं अनुसूची के भाग 3 की अपेक्षाओं के अनुसार दो संकट छतरी मशाल;

(ढ) बारहवीं अनुसूची के भाग 4 की अपेक्षाओं के अनुसार छः हस्तधारित संकट मशाल;

(ण) एक बंसी डोरी और छः कांटे;

(त) उस प्रत्येक व्यक्ति के लिए जिसे स्थान देने के लिए बचाव तरापा ठीक समझा गया है, प्रति 450 ग्राम वजन पर कम से कम 2200 कैलारी उत्पन्न करने वाला, 340 ग्राम, प्यास न उत्तेजित करने वाला उपयुक्त भोजन और 17,00 ग्राम यव-शर्करा या समान रूप से उपयुक्त अन्य मिठाइयां ।

(थ) उस प्रत्येक व्यक्ति के लिए जिसे स्थान देने के लिए बचाव तरापा ठीक समझा गया है, डेढ़ लीटर ताजा जल रखने वाला जलसह पात्र, जिसका प्रति व्यक्ति आधा लीटर ताजे जल की समान मात्रा उत्पन्न करने में समर्थ उपयुक्त लवण अपसारक उपकरण द्वारा बदला जा सकेगा;

(द) प्रत्येक व्यक्ति के लिए जिसे स्थान देने के लिए बचाव तरापा ठीक समझा गया है छः जहाजी मतली रोकने वाली टिकियां;

(ध) बचाव तराप में कैसे बचे इस बाबत अंग्रेजी और हिन्दी भाषाओं में मुद्रित अनुदेश;

(न) समुद्र में जीवन रक्षा अन्तर्राष्ट्रीय कन्वेंशन, 1960 के भाग 5 के विनियम 16 के अन्तर्गत यथा अपेक्षित बचाव संकेत सारणी की एक प्रति ।

(2) वर्ग II और III के पोतों में:—

(क) एक या अधिक बचाव तराप जो ऐसे किसी पोत में वहन किए हुए बचाव तरापों की कुल संख्या के छटवें भाग से अन्यून हो, उपनियम (6) के खंड (क) से (छ) (जिसमें दोनों सम्मिलित है), (ढ), (ध) और (न) में विनिर्दिष्ट और उसी उपनियम के खंड (5) और (ढ) में विनिर्दिष्ट उपस्कर के आधे की व्यवस्था हो सकेगी ।

(ख) खंड (i) के अनुसार उपस्करित (सज्जित) बचाव तरापों से भिन्न बचाव तरापों में उपनियम (i) के खंड (क) से (छ) (जिसमें दोनों सम्मिलित है), (ध) और (न) में विनिर्दिष्ट उपस्कर की व्यवस्था होगी ।

(3) वर्ग IV, V, VII और VIII के पोतों में बचाव तरापों में, किरमिच लंगर के साथ जो बचाव तरापा से स्थायी रूप से संलग्न रहेगा, इस नियम के उपनियम (1) के खंड (क), (ख), (ग), (ङ), (च), (छ), (ध) और (न) में विनिर्दिष्ट उपस्कर की व्यवस्था होगी ।

28. प्राण रक्षा साधित्रों के नौभरण और चलाने से सम्बन्धित सामान्य उपबन्ध :—

(1) प्रत्येक रक्षा नौका, वर्ग ग नौका या अन्य नौका बचाव तरापा और उत्प्लावन बेड़े की वस्तुओं के लिए ऐसी व्यवस्था होगी कि यह अन्य प्राण रक्षा साधित्रों के प्रचालन में बाधा या किसी प्रकार उनके शीघ्र चालन में या अवतरण स्टेशन या उनके नौरोहण में व्यक्तियों को क्रमबद्ध करने में अड़चन नहीं डालेगा ।

(2) रक्षा नौकाएं, वर्ग ग नौकाएं या अन्य नौकाएं बचाव तराप और उत्प्लावन बेड़ा इस प्रकार नौभरित होंगे कि वे सभी कम से कम सम्भव समय में सुरक्षापूर्वक अवतरित किए जा सकें और वर्ग I और II और VI के पोतों की दशा में जो अवतरण साधित्रों के अन्तर्गत बचाव तरापें वहन करते है, समस्त अवरण कालाबद्ध 30 मिनट से अधिक नहीं होगी ।

29. रक्षा नौकाओं, वर्ग-ग नौकाओं और अन्य नौकाओं का नौभरण और चालन :—

(1) उपनियम (2), (3) और (4) के उपबन्धों के अध्यधीन उस रक्षा नौका से भिन्न, जो वर्ग ग नौका या अन्य नौका के अनुकल्प के रूप में वहन की गई है डेविटों के एक सेट से संलग्न हर रक्षा नौका इस प्रकार व्यवस्थित होगी कि नति की अननुकूल

दशाओं के अन्तर्गत भी और दोनों ओर 15 डिग्री झुकाव तब भी, जब इन नियमों द्वारा अपेक्षित व्यक्तियों की पूरी संख्या और उपस्कर से भारित हो तो यह जल में रखी जा सकें वर्ग 7 के 45.7 मीटर से कम लम्बे पोतों के सिवाय ऐसी रक्षा नौकाएं इस प्रकार व्यवस्थित होंगी कि पूर्वोक्त दशाओं में जब अपने अपेक्षित उपस्कर और कम से कम दो व्यक्तियों के अवतरण कर्मी दल से भारित हों तो वे जल में रखी जा सकें ।

(2) कोई रक्षा नौका जो वर्ग ग नौका या अन्य नौका के अनुकल्प के रूप में वहन की गई है और कोई वर्ग ग नौका या अन्य नौका जो यन्त्र नियंत्रित एकल भुज डेविट से भिन्न डेविट या डेविटों के सैट से संलग्न है वह इस प्रकार व्यवस्थित होगी कि जब इन नियमों द्वारा अपेक्षित उपस्कर और दो व्यक्तियों के अवतरण कर्मीदल जब पोत सीधा हो तो उस के किसी ओर से या जब पोत उस दिशा की ओर 15 डिग्री झुका हो तो झुकाव की ओर से जल में रखी जा सके ।

(3) यंत्र नियंत्रण एकल भुज डेविट से संलग्न हर रक्षा नौका वर्ग ग नौका या अन्य नौका इस प्रकार व्यवस्थित होगी कि जब इन नियमों द्वारा अपेक्षित उपस्कर और दो व्यक्तियों के अवतरण कर्मीदल से भारित हो तो जब पोत सीधा हो तो उसके एक ओर से या उस की ओर से जिस ओर पोत 15 डिग्री झुका हो जल में रखी जा सके, उन मछली पकड़ने वाले जलयानों की दशा के सिवाय जो नियम 11 के उपनियम (3) के अनुसार रक्षा नौका वहन करते है, रक्षा नौका इस प्रकार से व्यवस्थित होगी कि जब अपेक्षित उपस्कर और दो व्यक्तियों के अवतरण कर्मीदल से भारित हो तो यह पोत के किसी ओर से या यदि पोत में झुकाव है तो उस ओर से जिधर पोत झुका हो जल में रखी जा सके ।

(4) नियम 9 के उपनियम (5) के खंड (ख) और नियम 9 के उपनियम (10) के अनुसार वहन की हुई हर रक्षा नौका या वर्ग ग नौका, यदि डेविट या डेविटों के सैट से संलग्न नही है तो यह एक ऐसे साधन से संलग्न होगी जो प्रथमतः नौका के अवतरण के प्रयोजन के लिए व्यवस्थित होगा और जब पोत इन नियमों द्वारा अपेक्षित अपने उपस्कर और दो व्यक्तियों के अवतरण कर्मीदल से भारित हो तो पोत के एक ओर से नौका को जल में रखने में समर्थ हो, और जब पोत सीधा हो या 15 डिग्री झुका हो तो ऐसा साधन रक्षा नौका या वर्ग ग नौका को पोत के उस ओर से जिधर यह झुका हो जल में रखने में समर्थ हो ।

(5) एक से अनधिक रक्षा नौका, वर्ग ग नौका या अन्य नौका डेविटों के किसी सैट, डेविट या अवतरण के अन्य साधनों से संलग्न होगी ।

(6) रक्षा नौकाएं केवल एक से अधिक डेक पर नौभारित की जा सकेंगी परन्तु यह तब जब कि ऊपर डेक पर नौभारित रक्षा नौकाओं को निचले डेक पर की रक्षा नौकाओं से उलझन को रोकने के लिए समुचित उपाय किये जाएं ।

(7) रक्षा नौकाएं पोत के मैदानों में नही रखी जाएंगी और वे इस स्थिति में स्थित होंगी कि नौदक से निकाली और खोल के पीछे के बाहर निकले हुए कार्य हिस्से का

विशेष ध्यान रखते हुए सुरक्षित अवतरण सुनिश्चित कर सकें, और यथा साध्य यह सुनिश्चित करने के लिए कि वे पोत के सीधी तरफ अवतरित हो सकें ।

(8) पोत में डेबिट यथोचित रूप से रखे जाएगें ।

(9) इन नियमों के अनुसार व्यवस्थित डेबिट, बिन्च, रस्से, दराबी और अन्य अवतरण साधन तेरहवीं अनुसूची की अपेक्षाओं के अनुसार होंगे ।

(10) (क) निम्नलिखित दशाओं में डेबिटों से संलग्न सभी रक्षा नौकाएं, वर्ग ग नौकाएं या अन्य नौकाएं, तार रस्सा और बिच से युक्त होंगी :—

(1) जब वे गुरूत्व-डेबिटों से संलग्न हो, या

(2) जब ये यंत्र नियंत्रित एकल भुज डेबिटों से संलग्न हों, या

(3) जब ये नियम 2 के उपनियम (2) के अन्तर्गत वर्ग I, II, III, IV, V, के किसी पोत और वर्ग VIII के पोतों से लगी हो, या

(4) जब ये नियम 9 के उपनियम (2) या नियम 9 के उपनियम (5) के खंड (क) क अनुसार वर्ग VI और VII के किसी पोत से लगी हों, या

(5) जब समुद्र में अवनमन की दशा में संलग्न रक्षा नौका, वर्ग ग नौका या अन्य नौका का भार 2300 कि० ग्रा० से अधिक हो:

परन्तु आपात रक्षा नौकाओं से भिन्न रक्षा नौकाओं की दशा में केन्द्रीय सरकार जहां उसका सामाधान हो जाय कि ऐसे रस्से पर्याप्त हैं, बिन्चों से लगे हुए या उनके बिना अन्य प्रकार के रस्सों के लिये अनुज्ञा दे सकेगी ।

(ख) हर पोत में, जिस में रक्षा नौकाएं, वर्ग ग नौकाएं या अन्य नौकाएं तार रस्से से युक्त हों तो ऐसे रस्सों के चालन के लिये बिन्चों की व्यवस्था होगी ।

(ग) नियम 4 के उपनियम (3), नियम 5 के उपनियम (3), नियम 5 के उपनियम (4), और नियम 6 के उपनियम (4) के अनुसार वहन की हुई आपात रक्षा नौकाएं ऐसे बिन्चों से युक्त होंगी जो, जब रक्षा नौका इन नियमों द्वारा अपेक्षित अपने उपस्कर और 1016 कि० ग्रा० के बराबर वितरित भार से भारित हो तो उसे प्रति मिनट 18 मीटर से अन्यून गति से पुनः प्राप्त करने में समर्थ हों ।

(11) सभी रक्षा नौकाएं, वर्ग गनौकाएं या अन्य नौकाएं जो बिन्चों से युक्त हैं, उनकी पुनःप्राप्ति के लिये प्रभावशाली हथगियर की व्यवस्था होंगी ।

(12) जहां डेबिट, शक्ति द्वारा रस्सों के कार्य द्वारा पुनः प्राप्त है वहां सुरक्षा साधन लगे होंगें, जो जब डेबिट, बेड़ियों से कम से कम 10 सेंटीमीटर दूर हो तो यह सुनिश्चित करने के लिये कि तार रस्सा या डेबिट अतिप्रतिबलित नहीं है, शक्ति को स्वतः काट देंगे ।

(13) जब तक इन नियमों में अभिव्यक्त रूप से अन्यथा उपबंधित न हो 15 डिग्री के झुकाव पर रक्षा नौकाओं के अवतरण को सुकर बनाने के लिये, कोई रक्षा नौका में, जो डेबिटों के अन्तर्गत रखी गई है स्केट या अन्य उपयुक्त साधन की व्यवस्था होंगी, डेबिट ऐसी सामर्थ्य के होंगे कि इन नियमों द्वारा अपेक्षित व्यक्तियों की पूरी संख्या और उपस्करसहित रक्षा नौका जल में अवनमित की जा सके ।

(14) उन रक्षा नौकाओं में से जो पोत की दिशा के विरुद्ध पूर्णत भारित दशा में अवतमित होने में समर्थ होने के लिये अपेक्षित है, व्यक्तियों के सुरक्षित नौरोहण के लिये, उनको वहन धारण करने के लिये साधनों की व्यवस्था होगी ।

(15) (क) किसी पोत में, जो उस पोत से भिन्न है जिसमें रक्षा नौका, वर्ग ग नौका या अन्य नौका यंत्र नियंत्रित एकल मुज डेविट से संलग्न है, डेविट, तार रस्सा पाट से लगा होगा जो इस प्रकार स्थित होगा कि जब नौका अवतमन की दशा में हो तो पाट नौका की केन्द्रीय लाइन के ऊपर यथा साध्य नजदीक हो ।

(ख) ऐसा एक तार रस्सा पाट कम से कम दो रक्षा रस्सियों से लगा होगा जो अल्पतम समुद्रगामी डुबाव और किसी ओर 15 डिग्री झुके हुए पोत से जल तक पहुंचने के लिये पर्याप्त लम्बा होगा ।

(16) (क) डेविटों से संलग्न रक्षा नौकाये, वर्ग ग नौकाये और अन्य नौकाये कार्य के लिये रस्सा तैयार रखेगी और ऐसा रस्सा अल्पतम समुद्रगामी डुबाव और किसी ओर 15 डिग्री झुके हुए पोत से जल तक पहुंचने के लिये कम से कम पर्याप्त लम्बा होगा ।

(ख) रक्षा नौकाओं, वर्ग ग नौकाओं और अन्य नौकाओं को रस्से से अलग करने लिय साधनों की व्यवस्था होगी ।

(ग) जब तक चौदहवीं अनुसूची की अपेक्षाओं के अनुसार अलग करने वाला गियर नहीं लगा हुआ हो तब तक कांटे को संलग्न करने के लिये निचला रस्सा दराबी उपयुक्त छल्ले या लम्बेयोजक से लगा होगा ।

(घ) वे स्थान जहां रस्से से रक्षा नौकाये, वर्ग ग नौकाए और अन्य नौकाए लगी हो पेरज से ऊपर इतनी ऊंचाई पर होंगे जो रक्षा नौकाओं वर्ग ग नौकाओं और अन्य नौकाओं के जल में अवतरित करते समय उनका स्थायित्व सुनिश्चित करे ।

(17) (क) नियम 4 के उपनियम(3), नियम 5 के उपनियम(4), नियम 6 के उपनियम (3) और नियम 7 के उपनियम (4) के अनुसार वहन की हुई हर एक आपात रक्षा नौकाओं में, जब प्रतिकूल मौसम की दशाओं में नौका समुद्र से पुन : प्राप्त है तो उसके उठाने के प्रबंधों से निचले रस्सा दराबी के लगाव को सुकर बनाने वाले साधनों की व्यवस्था होगी ।

(ख) इस प्रयोजन के लिये प्रत्येक डेविट के लिये पर्याप्त सामर्थ्य और यथोचित लम्बाई की एक कूप रस्सी की व्यवस्था होगी, और कूप-रस्सी, का एक सिरा निचली रस्सा दराबी से और दूसरा सिरा नौका पर उठाने वाले प्रबंध से संलग्न होगा ।

(ग) इसके अतिरिक्त, निचले रस्सा दराबी को उठाने वाले कांटे से सीधे संलग्न होने में समर्थ बनाने के लिये उठाने के बाद नौका को ठीक स्थिति में बनाये रखने के लिये भी साधनों की व्यवस्था होगी ।

(18) किसी पोत में, जब रक्षा नौका डेविटों, के किसी सेट, डेविट या अवतरण के अन्य साधन जो ऐसे वर्ग के पोत के लिये जो उन नियमों में विनिर्दिष्ट नीति की या झुकाव की दशाओं के अन्तर्गत इन नियमों द्वारा अपेक्षित व्यक्तियों

की पूरी संख्या और उपस्कर से भारित होने पर नौका को जल मे सुरक्षित रुप से नमित करने के लिये पर्याप्त सामर्थ्य के नहीं हैं, संलग्न है या जब कोई वर्ग ग नौका या अन्य नौका डेविटो के सैट, डेविट या अवरण के अन्य साधन जो इन नियमों द्वारा अपेक्षित व्यक्तियों की पूरी संख्या और उपस्कर से भारित ऐसी वर्ग ग नौका या अन्य नौका के सुरक्षित रूप से अवनमित करने के लिये पर्याप्त सामर्थ्य के नही है, सलग्न हैं, तो डेविटों के ऐसे प्रत्येक सेट डेविट या अवतरण के अन्य साधन श्वेत पृष्ठभूमि पर रंगी हुई 15.25 सेंटीमीटर चौड़ी लाल पट्टी से सहज दृश्य रूप से चिन्हित होंगे ।

30. **बचाव तरापे उत्प्लावन बेड़ा और रक्षा बोये का नौभरन और चालन.**—

(1) बचाव-तरापे और उत्प्लावन बेड़ा इस प्रकार नौभारित होगे कि वे नीति की अनुकूल दशाओं के अन्तर्गत भी और किसी ओर 15 डिग्री झुकाव तक सुरक्षा पूर्वक जल मे रखे जा सकें ।

(2) (क) वर्ग I और II के हर एक पोत में, जो नियम 5 के उपनियम (2) के खंड (ख) या नियम 5 के उपनियम (8) के परन्तुक की मद (ग) के अनुसार बचाव तरापे वहन करने हैं ऐसे बचाव तरापो के लिये पन्द्रहवी अनुसूची की अपेक्षाओ के अनुसार अवतरण साधित्रों की व्यवस्था होगी ।

(ख) हर बचाव तरापा अवतरण साधित्र इस प्रकार व्यवस्थित होगा कि नीति की अननुकूल दशाओं के अन्तर्गत भी और किसी ओर 15 डिग्री झुकाव तक, प्रत्येक बचाव तरापे को जो ऐसे साधित्र के प्रयोग के लिये डिजाइन किया गया है, व्यक्तियों की पूरी संख्या और उपस्कर से भारित होने पर अवतीर्ण कर सकें ।

(ग) बचाव तरापें जिनके लिये अवतरण साधित्रों की व्यवस्था है, और ऐसे अवतरण साधित्रपोत के मदान में नही रखे जायेंगे और ऐसे रखे होगे कि नौदक से निकासी और खोके के पीछे के बाहर निकले हुए ढालू हिस्से का विशेष ध्यान रखते हुए सुरक्षित अवतरण सुनिश्चित कर सके, और यथा साध्य यह सुनिश्चित करने के लिये कि वे पोत के सीधे भाग की ओर अवतीर्ण हो सकें ।

(घ) बचाव तरापे मे, जिनके लिये अवतरण साधित्रों की व्यवस्था की गई है, व्यक्तियों के सुरक्षित नारोहण के लिये उनको वहां धारण करने की पोत की दिशा के विरुद्ध लाने के लिए साधनों की व्यवस्था होगी ।

(3) रक्षा बोये इस प्रकार नौभरित होंगे कि बोर्ड पर के सभी व्यक्तियों को सरलता से सुलभ हो सके और इस प्रकार से कि वे शीघ्रता से ढीले छोड़े जा सकें ।

(4) रक्षा जाकेटें इस प्रकार नौभरित होंगी कि बोर्ड पर के सभी व्यक्तियों को सरलता से सुलभ हो सके और उनकी स्थिति स्पष्टता से और स्थायी रूप से उपदर्शित की जाएगी ।

31. **रक्षा नौकाओं और वर्ग ग नौकाओं, अन्य नौकाओं और बचाव तरापों नारोह** :—

(1) यह सुनिश्चित करने के लिए इंतजाम होगा कि रक्षा-नौकाओं वर्ग ग नौकाओं, अन्य नौकाओं और बचाव तरापों में शीघ्रता से और ठीक क्रम में नौरोहण सम्पन्न करना सम्भव हो ।

(2) हर पोत में, जब यह लगभग परित्यक्त होने को है उस समय यात्रियों और कर्मीदल को चेतावनी देने के लिए इन्तजाम किया जाएगा ।

(3) (क) (1) वर्ग VI और VII और वर्ग VIII के पोतों में जब पोत की लम्बाई 45 मीटर से अधिक है, जहां इन नियमों द्वारा अपेक्षित रक्षा नौका व्यक्तियों की पूरी संख्या और उपस्कर से भारित हो तो डेविट उसके अवनमन में समर्थ हों वहां रक्षा नौका डेविटों के प्रत्येक सेट में एक सीढ़ी वहन की जाएगी ।

(2) वर्ग I, II, III, IV और V के पोतों में भी ऐसी व्यवस्था होगी इसके सिवाय कि ऐसे पोतों में केन्द्रीय सरकार ऐसी सीढ़ियों की उपयुक्त यांत्रिक साधनों द्वारा प्रतिस्थापित होने की अनुज्ञा दे सकेगी परन्तु हर एक ऐसे पोत के प्रत्येक और एक सीढ़ी से अन्यून होगी ।

(ख) वर्ग VI, VII, और VIII, के पोतों में, जो एक वर्ग ग नौका या एक रक्षा नौका वहन करते हैं, जो इन नियमों द्वारा अपेक्षित जब व्यक्तियों की पूरी संख्या और उपस्कर से भारित, अवनमित होने में समर्थ नहीं हो तो नौका में व्यक्तियों के नौरोहण के लिए यथोचित साधनों की व्यवस्था होगी ।

(ग) वर्ग I, II, III, IV और V के पोतों के और कुल 500 टन या उससे अधिक के वर्ग VI, VII, और VIII के पोतों में बचाव तरापों में जब वे जलवाहित हों नौरोहण को सुकर बनाने के लिए पर्याप्त सीढ़ियों की व्यवस्था की जाएगी सिवाय इसके कि ऐसे पोतों में केन्द्रीय सरकार ऐसी कुछ या सभी सीढ़ियों को यथोचित यांत्रिक साधनों द्वारा प्रतिस्थापित की अनुज्ञा दे सकेगी ।

(घ) इस उपनियम के उपबन्धों के अनुसार व्यवस्था की गई सीढ़ियों, अल्पतम डुबाव तक और प्रत्येक ओर 15 डिग्री झुके हुए पोत से जल रेखा तक पहुंचने के लिए पर्याप्त लम्बाई की होंगी ।

(4) हर पोत में, इंजिन कक्ष से, जहां से नियत अवतरण स्थानों पर इनमें वे भी सम्मिलित हैं जो अवतरण साधित्रों के अधीन हैं रक्षा नौकाओं और बचाव तरापों में जल का निस्सारण निर्धारित करने के लिए बाहर स्थित साधनों की व्यवस्था होगी ।

32. **रक्षा नौकाओं और बचाव तरापों का कर्मी संयोजन** :—

(1) वर्ग I, II, III, IV और V के पोतों में, प्रत्येक रक्षा नौका का प्रभारी एक डेक आफिसर या एक प्रमाणपत्रित रक्षा नाविक होगा और एक द्वितीय समादेशक भी नाम निर्दिष्ट किया जाएगा । भारसाधक व्यक्ति, रक्षा नौका कर्मीदल की एक सूची रखेगा और यह देखेगा कि उसके आदेशों के अधीन रखे गए व्यक्ति अपने विभिन्न कर्तव्यों से परिचित हैं ।

(2) वर्ग I और III के पोतों में बचाव तरापों के चालन और प्रचालन में प्रशिक्षित एक व्यक्ति प्रत्येक बचाव तरापे के लिए समनुदेशित होगा ।

(3) (क) वर्ग II के पोतों में, जो अवतरण साधित्रों से युक्त बचाव तरापे वहन करते हैं, बचाव तरापे के चालन और प्रयोग में प्रशिक्षित दो व्यक्ति, प्रत्येक अवतरण साधित्र के लिए समनुदेशित किए जाएंगे ।

(ख) वर्ग III, IV और V के पोतों में, जो ऐसे बचाव तरापे वहन करते हैं जो अवतरण साधित्रों से युक्त नहीं है, और जो नियत अवतरण स्थिति पर ग्रुपों में रखे हुए है,

बचाव तरापों के चालन और प्रचालन में प्रशिक्षित एक व्यक्ति प्रत्येक ऐसी स्थिति के लिए समनुदेशित होगा ।

(4) वर्ग I, II, III, IV और V के पोतों में, रेडियो उपस्कर और सर्च लाइट उपस्कर के परिचालन में समर्थ एक व्यक्ति ऐसे उपस्कर को वहन करने वाली प्रत्येक रक्षा नौका के लिए समनुदेशित होगा ।

(5) हर पोत जिसमें मोटर रक्षा नौकाएं वहन की गई है, मोटर के परिचालन में समर्थ एक व्यक्ति प्रत्येक मोटर रक्षा नौका के लिए समनुदेशित होगा ।

33. **प्रमाणपत्रित रक्षा नाविक** :—

(1) वर्ग I, II, III, IV और V के हर पोत के कर्मी दल में इन नियमों के अनुसार वहन की हुई प्रत्येक रक्षा नौका के लिए, निम्नलिखित सारणी में विनिर्दिष्ट से अन्यून प्रमाणपत्रित रक्षा नाविकों की संख्या भी सम्मिलित है ।

सारणी

एक रक्षा नौका के लिए विहित व्यक्तियों की पूरी	अपेक्षित प्रमाण पत्रित रक्षा नाविकों की न्यूनतम संख्या
41 व्यक्तियों से कम	2
41 व्यक्ति और उससे अधिक किन्तु 62 व्यक्तियों से कम .	3
62 व्यक्ति और उससे अधिक किन्तु 86 व्यक्तियों से कम .	4
86 व्यक्तियों से अधिक और उससे अधिक कम . . .	5

(2) इस नियम में विहित व्यक्तियों की पूरी संख्या से व्यक्तियों की वह संख्या अभिप्रेत है जिसे, इन नियमों के अन्तर्गत, स्थान देने के लिए रक्षा नौका ठीक समझी गई है ।

34. **सुवाह्य रेडियो उपस्कर**

(1) नियम 4 के उपनियम (6) नियम 5 के उपनियम (ii) नियम 6 के उपनियम (6) नियम 7 के उपनियम (10) नियम के 8 उपनियम (8) और नियम 8 के उपनियम (10) के अनुसार वहन किए जाने के लिए अपेक्षित सुवाह्य रेडियो उपस्कर, जनेवा रेडियो विनियम, 1959 की ऐसी अपेक्षाओं के अनुसार होगा जैसी उसको लागू होती है और यथोचित स्थान पर, आपात की दशा में रक्षा नौका और बचाव तरापे में रखने के लिए तैयार रखा जाएगा ।

(2) पोतों में जहां अधिरचनाओं और डेक घरों का विन्यास ऐसा है जो मुख्य पारेषक और रक्षा नौका का पर्याप्त आगे और पीछे पार्थक्य करता है, ऐसा उपस्कर इन रक्षा नौकाओं या बचाव तरापों के समीप रखा जाएगा जो मुख्य पारेषक से सर्वाधिक दूर हो ।

35. **विद्युत प्रचालित सिगनल** :—

वर्ग I, II, III और IV के हर पोत में, पूरे पोत में, मास्टर स्टेशनों पर पुल से साथियों को बुलाने के लिए नियंत्रित विद्युत प्रचालित सिगनलों की व्यवस्था होगी ।

36. **विद्युत प्रकाश प्रबंध** :—

(1) (क) वर्ग I, II, III, IV और V के हर पोत में, पूरे पोत में और विशेषत: डैक पर, जिससे रक्षा नौकाओं और बचाव तरापों का नौरोहण होता है, विद्युत प्रकाश प्रणाली की व्यवस्था की जाएगी ।

(ख) ऐसे हर पोत में, अवतरण के विद्युत प्रकाश प्रबंध के लिए भी और जल, जिसमें अवतरण साधित्रों से युक्त रक्षा नौकाएं और बचाव तरापे अवतीर्ण किए जाते हैं, जब तक अवतरण की प्रक्रिया पूरी नहीं हो जाती उसके लिए भी और बचाव तरापे, जिनके लिए अवतरण साधित्रों की व्यवस्था नहीं है उनके नौभरण स्थिति के प्रकाश प्रबंध के लिए व्यवस्था की जाएगी ।

(ग) प्रकाश-प्रबंध पोत के मुख्य विद्युत उत्पादक संयंत्र से प्रचालित होगा और इस प्रकार व्यवस्थित होगा कि यात्री पोतों के सन्निर्माण से संबंधित अधिनियम की धारा 284 के अधीन बनाये गए नियमों के अधीन ऐसे पोतों के लिए व्यवस्थित शक्ति के आपात स्रोत से विद्युत शक्ति दी जा सकेगी ।

(2) वर्ग I, II, III, IV और V के हर एक पोत से यात्रियों या कर्मीदल द्वारा अधिमुक्त हर मुख्य कक्ष से निर्गम द्वार, पोत के मुख्य विद्युत उत्पादक संयंत्र से प्रचालित आपात विद्युत लम्प से लगातार प्रकाशित किया जाएगा और यह इस प्रकार व्यवस्थित होगा कि यात्री पोतों के सन्निर्माण से संबंधित अधिनियम की धारा 284 के अधीन बनाए गए नियमों के अधीन, ऐसे पोतों के लिए व्यवस्था किए जाने के लिए अपेक्षित शक्ति के आपात स्रोत से विद्युत शक्ति दी जा सकेगी ।

(3) (क) कुल 500 टन या उससे अधिक के वर्ग VI और VII के हर पोत में, अवतरण साधन, रक्षा नौकाओं और बचाव तरापों के विद्युत प्रकाश-प्रबंध के लिए, जिसका वे अवतरण की तैयारी और प्रक्रिया के दौरान प्रयोग करते हैं, जल जिस में अवतरण साधित्रों से युक्त रक्षा नौकाएं और बचाव तरापे अवतीर्ण किए गए हैं, जब तक अवतरण की प्रक्रिया पूरी नहीं हो जाती है, उसके प्रकाश प्रबंध के लिए बचाव तरापे जिनके लिए अवतरण साधित्रों की व्यवस्था नहीं की गई है, उनके नौभरण स्थिति के प्रकाश प्रबंध के लिए व्यवस्था होगी ।

(ख) कुल 1600 टन या उससे अधिक के वर्ग VI और VII के हर पोत में, गलियारों, सोढ़ियों और निर्गम द्वारा के विद्युत प्रकाश प्रबंध के लिए ऐसी व्यवस्था होगी यह सुनिश्चित हो जाए कि बोर्ड पर के सभी व्यक्तियों की, रक्षा नौकाओं और बचाव तरापों के अवतरण स्टेशन और नौभरण स्थिति तक पहुंचने में बाधा न हो ।

(ग) इस नियम के खंड (क) और (ख) के अधीन अपेक्षित प्रकाश प्रबंध पोत के मुख्य विद्युत उत्पादक संयंत्र से प्रचालित होगा और, इसके अतिरिक्त—

(i) कुल 5000 टन या उससे अधिक के ऐसे हर पोत में, या उन पोतों की दशा में जिनका वाणिज्य पोत परिवहन (स्थोरा पोत सन्निर्माण और सवक्षण)

नियम, 1968 के नियम 7 के अधीन नियम लागू होते है ऐसे प्रकाश प्रबंध के लिए व्यवस्थित विद्युत शक्ति के आपात स्रोत से प्रचालित होने मे समर्थ होंगे ।

(ii) कुल 1600 टन से अधिक किन्तु कुल 5000 टन से कम के हर पोत में ऐसे पोतों में या उन पोतों की दशा में जिनका, वाणिज्य पोत परिवहन (स्थोरा पोत संनिर्माण और सर्वेक्षण) नियम, 1968 के नियम 8 के उप-नियम (1) के अधीन नियम लागू होते हैं ऐसे प्रकाश प्रबंध के लिए व्यवस्थित विद्युत शक्ति के आपात स्रोत से प्रचालित होने में समर्थ होंगे ।

(घ) कुल 500 टन या उससे अधिक किन्तु कुल 1600 टन से कम के हर पोत में, इस उपनियम के खंड (क) के अन्तर्गत अपेक्षित प्रबंध, पोत के मुख्य विद्युत उत्पादक संयन्त्र से प्रचालित होगा और, इसके अतिरिक्त ऐसे पोतों या उन पोतों की दशा में जिनको, वाणिज्य पोत परिवहन (स्थोरा पोत सन्निर्माण और सर्वेक्षण) नियम, 1968 के नियम 9 के उपनियम (1) के अधीन नियम लागू होते हैं ऐसे प्रकाश प्रबंध के लिए व्यवस्थित विद्युत शक्ति के आपात स्रोत से प्रचालित होने में समर्थ होंगे, या यदि केन्द्रीय सरकार ऐसी अनुज्ञा देती है तो इस शर्त के अध्यधीन कि प्रकाश-प्रबंध परिपथ सरलता से अलग हो सकता है और आरक्षित स्रोत, उन नियमो के अधीन अपेक्षित धारिता के कम हुये बिना अतिरिक्त भार या भारो का प्रदाय करने के लिये समर्थ है, तो जनेवा रेडियो विनियम, 1959 के अधीन ऐसे पोतों पर के लिये व्यवस्थित विद्युत ऊर्जा के आरक्षित स्रोत से प्रचालित होंगे ।

(4) वर्ग VI और VII के हर पोत में, जिसके उप-नियम (3) लागू नहीं होता, और वर्ग VIII के हर पोत में अवतरण की प्रक्रिया के लिये तैयारी के दौरान अवतरण साधन और रक्षा नौकाएं या नौकाओं के विद्युत प्रकाश प्रबंध के लिये, और बचाव तरापो के नौभरण स्थिति के प्रकाश प्रबंध के लिये भी साधना की व्यवस्था की जायेगी ।

37. **पोत के संकट मशाल** —

(1) वर्ग VIII के पोत जो लम्बाई में 24 मीटर से कम है सिवाय हर पोत, सोलहवीं अनुसूची के अपेक्षाओं के अनुसार बारह से अन्यून संकट छतरी मशाल वहन करेगा ।

(2) लम्बाई में 24 मीटर से अधिक के पोतों से भिन्न वर्ग VIII के पोत, नियम (3) के अनुसार छः से अन्यून ताल तारक संकट मशाल वहन करेंगे ।

(3) इस नियम के अधीन अपेक्षित कोई भी लाल तारक सिगनल 45.7 मीटर से अन्यून ऊंचाई पर या से साथ साथ या पृथक रूप से दो या अधिक लाल तारकों के उत्सर्जन में समर्थ होगा, और इन तारकों में से प्रत्येक, 5 सैकेन्ड से अन्यून 5000 कैंडल शक्ति की न्यूनतम प्रदीप्ति से जलेगा ।

(4) सभी आतिशी संकट मशाल जल रोक आधानों में पैक किए जाएगे और अपना प्रयोजन उपदर्शित करने के लिये स्पष्टता से और अमिट रूप से अपर लेबल लगे होंगे ।

38. समतुल्य वस्तुएं और छूटें

(1) जहां इन नियमों द्वारा यह अपेक्षित हो कि कोई विशेष फिटिंग, पदार्थ, साधित्र या उपकरण या उनका प्रकार, पोत में लगा या वहन किया होगा या कि कोई विशेष व्यवस्था की जायेगी, वहां केन्द्रीय सरकार किसी अन्य फिटिंग, पदार्थ, साधित्र का उपकरण या उनके प्रकार जो पोत में फिट होने, वहन किये जाने या किसी अन्य की जाने वाली व्यवस्था की उसके परीक्षण के द्वारा यह समाधान हो जाने पर अनुज्ञा दे सकेगी कि ऐसी अन्य फिटिंग, पदार्थ, साधित्र या उपकरण या उसका प्रकार या व्यवस्था कम से कम उतनी प्रभावशाली हो जितनी इन नियमों द्वारा अपेक्षित हो।

(2) किसी पोत के स्वामी के आवेदन पर यदि केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि उस पोत में इन नियमों द्वारा अपेक्षित डेविटों के सैटों की संख्या का फिट किया जाना साध्य या युक्ति-युक्त नहीं है तो केन्द्रीय सरकार, ऐसी शर्तों के अध्यधीन, यदि कोई हों, जिन्हें अधिरोपित करना वह ठीक समझे, उस पोत में डेविटों के एक या अधिक सेट से अभियुक्त करने की अनुज्ञा दे सकेगी।

परन्तु वर्ग II और IV के पोतों की दशा में फिट किये गये डेविटों के सेटों की संख्या, नियम 5 के उपनियम (2) और (8) और नियम 7 के उपनियम (2) और (8) के अध्यधीन पहली अनुसूची में उपवर्णित सारणी के स्तंभ (ख) द्वारा अवधारित न्यूनतम संख्या से किसी भी दशा में न्यून नहीं होगी।

(3) यदि वर्ग I या III के किसी पोत को, जब वह भारत में किसी पत्तन या स्थान से समुद्र की ओर बढ़ता है, विनिर्दिष्ट विदेशी पत्तनों या स्थानों के बीच, अनुज्ञात संख्या के अतिरिक्त किसी संख्या को वहन करने के लिये अनुज्ञा दी गई है तो केन्द्रीय सरकार, ऐसी शर्तों के अध्यधीन जिन्हें अधिरोपित करना वह ठीक समझे, जहां तक ऐसे विनिर्दिष्ट पत्तनों या स्थानों के बीच समुद्र यात्रा के भाग का संबंध है, नियम 4 के उपनियम (2) और (10) और नियम 6 के उपनियम (2) और (9) के उपबंधों के उपांतरण की अनुज्ञा दे सकेगी।

परन्तु जहां ऐसे उपांतरणों की अनुज्ञा दी गई है ऐसे बचाव-तरापों के साथ रक्षा नौकाओं की कुल संख्या जो वहन की गई है, व्यक्तियों की कुल संख्या के लिये, जिसे पोत वहन करने के लिये प्रभारित है, सदैव पर्याप्त होगी और इसके अतिरिक्त बचाव तरापे, व्यक्तियों की संख्या के दस प्रतिशत को पर्याप्त रूप से संभालने के लिये वहन किये जाएंगे।

(4) केन्द्रीय सरकार किसी पोत को जो प्रसामान्य रूप से अन्तर्राष्ट्रीय समुद्र यात्राओं पर नहीं लगा है किन्तु जिसका असाधारण परिस्थितियों में, इन नियमों की किसी अपेक्षा से किसी एक अन्तर्राष्ट्रीय समुद्र यात्रा पर जाना अपेक्षित हो, छूट दे सकेगी :

परन्तु जब तक ऐसा पोत ऐसी अपेक्षाओं का अनुपालन नहीं करता जो केन्द्रीय सरकार की राय में उस समुद्र यात्रा के लिये पर्याप्त हैं जो इस पोत के द्वारा की जानी है, कोई भी छूट नहीं दी जायेगी।

(5) यदि किसी पोत को, इन नियमों के अन्तर्गत विहित न्यूनतम लम्बाई की रक्षा नौका को वहन करना असाध्य और अयुक्तियुक्त है तो केन्द्रीय सरकार उस पोत में उससे छोटी रक्षा नौका या नौका के वहन किये जाने की अनुज्ञा दे सकेगी ।

(6) केन्द्रीय सरकार यदि उस का समाधान हो जाये कि ऐसे पोत की दशा में अपेक्षा का अनुपालन असाध्य या अयुक्तियुक्त है तो वह या तो आत्यंकित रूप से या ऐसी शर्तों के अध्यधीन जिन्हें वह ठीक समझे किसी पोत को जिसका पठाण 26 मई, 1965 से पूर्व रखा गया था, इन नियमों की किसी अपेक्षा के लागू होने से छूट दे सकेगी ।

पहली अनुसूची

[नियम 5 (2), (3) और (8) (ग), 7(2) और(3), 8 (2) और 38(2) देखिये]

वर्ग II, IV और V के पोतों में व्यवस्था किये जाने वाले डेविटों के सैटों की न्यूनतम संख्या और रक्षा नौकाओं की न्यूनतम धन धारिता को दर्शाने वाली सारणी

पोत की रजिस्ट्रीकृत लंबाई मीटरों में	डेविटों से सेटों की न्यूनतम सं०	असाधारण रूप से प्राधिकृत डेविटों के सैटों की न्यूनतम संख्या	रक्षा नौकाओं की न्यूनतम धारिता घन मीटरों में
	क	ख	ग
मीटर	संख्या	संख्या	घन मीटर
37 मीटर तक	2	2	11
37 मीटर और उससे अधिक किन्तु 43 मीटर से कम	2	2	18
43 ,, 49 ,,	2	2	26
49 ,, 53 ,,	3	3	33
53 ,, 58 ,,	3	3	38
58 ,, 63 ,,	4	4	44
63 ,, 67 ,,	4	4	50
67 ,, 70 ,,	5	4	52
70 ,, 75 ,,	5	4	61
75 ,, 78 ,,	6	5	68
78 ,, 82 ,,	6	5	76
82 ,, 87 ,,	7	5	85
87 ,, 91 ,,	7	5	94
91 ,, 96 ,,	8	6	102

	क	ख	ग
96 मी० और उससे ऊपर लेकिन 109 मी० से कम	8	6	102
101 ,, 107 ,,	9	7	120
107 ,, 113 ,,	9	7	135
113 ,, 119 ,,	10	7	146
119 ,, 125 ,,	10	7	157
125 ,, 133 ,,	12	9	171
133 ,, 140 ,,	12	9	175
140 ,, 149 ,,	14	10	202
149 ,, 159 ,,	14	10	221
159 ,, 169 ,,	16	12	238
169 ,, 177 ,,	16	12	—
177 ,, 187 ,,	18	13	—
187 ,, 196 ,,	18	13	—
196 ,, 205 ,,	20	14	—
205 ,, 214 ,,	20	14	—
214 ,, 223 ,,	22	15	—
223 ,, 232 ,,	22	15	—
232 ,, 241 ,,	24	17	—
241 ,, 251 ,,	24	17	—
251 ,, 261 ,,	26	18	—
261 ,, 271 ,,	26	18	—
271 ,, 283 ,,	28	19	—
283 ,, 293 ,,	28	19	—
293 ,, 304 ,,	30	20	—
304 ,, 345 ,,	30	20	—

दूसरी अनुसूची

[नियम 2 (अ), 12 और 15 देखिये]

रक्षा नौकाओं के लिए सामान्य अपेक्षायें

1. हर रक्षा नौका अनभ्य किनारों से सन्निर्मित होगी

2. (क) अनभ्य आवरण से लगी हुई किसी रक्षा नौका में आवरण भीतर और बाहर दोनों ओर से सरलता से खुलते में समर्थ होगा और रक्षा नौका के शीघ्र नौरोहण और अवरोहण या अवतरण और चालन में अड़चन नहीं डालेगा ।

(ख) ऐसा आवरण जहां लगा होगा नियम 23 के उपनियम (1) के खंड (म) की अपेक्षाओं का अनुपालन करते हुये प्रतिगृहीत किया जायेगा ।

3. तख्तों से बनी हुई लकड़ी की रक्षा नौकाओं के सिवाय, हर एक रक्षा नौका, तृतीय अनुसूची के अनुसरण में अवधारित घनधारिता की 0.64 से अन्यून का घनत्व गुणांक रखेगी :

4. हर रक्षा नौका ऐसे आकार और अनुपात की होगी कि जब वह व्यक्तियों की पूरी संख्या और उपस्कर से भारित हो तब जलगामी होने में प्रभूत स्थिरता और पर्याप्त फ्रीबोर्ड होगा ।

5. हर रक्षा नौका इस प्रकार संनिर्मित होगी कि जब वह खुले समुद्र में व्यक्तियों की पूरी संख्या और उपस्कर से भारित हो तब वह धनात्मक स्थिरता कायम रखने में समर्थ होगी ।

6. (क) हर रक्षा नौका उस प्रयोजन के लिये जिसके लिये वह आशायित है, समुचित रूप से संनिर्मित, होगी और व्यक्तियों की पूरी संख्या और उपस्कर से भारित होने पर जल में सुरक्षित रूप से अवनमित किये जा सकने के लिये पर्याप्त सामर्थ की होगी ।

(ख) वह ऐसे सामर्थ की होगी कि, यदि उस पर कम से कम 15 प्रतिशत अधिभार हो तो उसमे अवशिष्ट विशेष नहीं होगा ।

7. कोई भी रक्षा नौका लंबाई में 409 मीटर से तब के सिवाय कम नहीं होगी जब कि इन नियमों में वर्ग ग नौका के विकल्प के रूप में एक रक्षा नौका की लंबाई, छठी अनुसूची के पैरा 3 के अनुसरण में यथा अवधारित वर्ग ग नौका की लंबाई से कम नहीं होगी :

8. किसी भी रक्षा नौका का भार, जब वह व्यक्तियों की पूरी संख्या और उपस्कर से भारित हो तब 20.3 टन से अधिक नही होगा ।

9. हर रक्षा नौका में सभी आड़े तख्ते और बगल की सीटें यथासाध्य नीचे लगी होंगी और तलफलक लगे होंगे ।

10. हर रक्षा नौका इसकी लंबाई के कम से कम चार प्रतिशत के बराबर औसत उठान रखेगी और यह उठान आकार में लगभग पखजयिक होगी ।

11. हर रक्षा में आन्तरिक उत्प्लावन साधित्र लगे होंगे जिसम वायुरूद्ध डिब्बे या उत्प्लावक पदार्थ होंगे, जिनपर तेल या तेल उत्पादों द्वारा प्रतिकूल प्रस्ताव नहीं पड़ेगा और जिनसे नौका पर प्रतिकूल प्रभाव नही पड़ेगा ।

12. हर रक्षा नौका में आन्तरिक उत्प्लावन साधित्रों का कुल आयतन ऐसा होगा जो कम से कम उन आयतनों के योग के बराबर होगा —

(क) जो रक्षा नौका और उसके उपस्कर का उस समय जब वह रक्षा नौका जलप्लावित हो और उसमें समुद्र जल प्रविष्ट हो सकता हो, ऐसे प्लावित करते के लिये अपेक्षित है कि पोतमध्य पैरज का ऊपरी सिरा जलमग्न न हो,

(ख) जो रक्षा नौका की घनधारित के 10 प्रतिशत के बराबर हो ;

13. उन रक्षा नौकाओं की दशा में जिसमें 100 या उससे अधिक व्यक्तियों के लिये स्थान होता है, इस अनुसूची के पूर्ववर्ती पैरा 12 के खंड (ख) द्वारा उपेक्षित उत्प्लावन साधित्रों का आयतन निम्नलिखित प्रकार से बढ़ाया जायेगा —

(क) उन रक्षा नौकाओं में जिनमें 100 से लेकर 130 तक व्यक्तियों के लिये स्थान होता है उतनी मात्रा से जो 100 व्यक्तियों पर शून्य और 130 व्यक्तियों पर रक्षा नौका की धनधारिता 1.5 प्रतिशत के बीच अंतर्वेशन द्वारा निर्धारित हो।

(ख) उन रक्षा नौकाओं में जिनमें 130 से अधिक व्यक्तियों के लिये स्थान होता है, रक्षा नौका धनधारिता 1.5 प्रतिशत के बराबर की मात्रा द्वारा।

तीसरी अनुसूची

[नियम 13(1) और 14 देखिये]

रक्षा नौकाओं की धनधारिता की गणना

1. इस अनुसूची के पैरा 4 के उपबंधों के अध्यधीन इन नियमों के प्रयोजनार्थ रक्षा नौका की धनधारिता घन मीटरों में मापी जायेगी और स्टर्लिंग के (सिम्पसन के) नियम द्वारा अवधारित होगी जो निम्नलिखित सूत्र के अनुसार निर्धारित की जायेगी

(क) धनधारिता–एल/12 (4च + 2बी + 4सी), जहां एल माथे के शीर्ष पर खोल के भीतर से कुदास के शीर्ष पर तत्संबंधी बिन्दु तक मीटरों म रक्षा नौका की लंबाई दर्शित करता है, वर्गाकार दुम्बाल वाली रक्षा नौका की दशा म लम्बार्य पृष्ठ बन्द के शीर्ष के भीतर तक मापी जायेगी।

और ए० बी० सी० क्रमशः वह अनुप्रस्थ काटों के उन क्षेत्रों को दर्शित करता है जो आगे से चतुर्थांश लंबाई, पोतमध्य और पीछे से चतुर्थांश लंबाई पर है, जो एल कीचार बराबर भागों में विभक्त करने पर प्राप्त तीन स्थानों के बराबर (रक्षा नौका के दो सिरों के तत्संबंधी क्षेत्र उपेक्षनीय समझे जाएंगे)।

(ख) ए०बी०सी० क्षेत्र तीन अनुप्रस्थ काटों में से प्रत्येक को निम्नलिखित सूत्र के अनुक्रमिक समायोजन द्वारा वर्ग मीटरों में दिया हुआ समझा जायेगा: क्षेत्र-एच/12 (ए + 4बी + 2सी + 4डी + इ), जहां एच० खोल में पठान से पैरज की सतह तक या कतिपय दशाओं में एतत्पश्चात् यथा अवधारित उससे नीचे की सतह तक मीटरों में मापी गई गहराई दर्शित करता है, और ए, बी, सी, डी, ई, रक्षा नौका की वह क्षेतिज चौड़ाई दर्शित करते हैं जो खोल की आन्तरिक गहराई के ऊपरी और निचले स्थानों पर और एच को चार बराबर भागों में विभक्त करने पर प्राप्त तीन स्थानों पर मीटरों में मापी जाती है (सीमान्त स्थानों पर ए और इ चौड़ाइयां है और सी, एच के मध्य बिन्दु पर है)।

चौथी अनुसूची

[नियम 14 (क) देखिये]

मोटर रक्षा नौका की मशीनरी

1. इंजन ठंडे मौसम में सरलता से स्टार्ट होने और तापक्रम की पराकाष्ठा की दशाओं में विश्वसनीय रूप से चलने योग्य होगा।

2. (क) कम से कम 10 डिग्री नीत की दशाओं में ईंजन समुचित रूप से प्रचालित होगा।

(ख) जहां चक्रण जलपम्प लगे है वहां वे स्व-अप्रक्रमणीय होंगे।

3. (क) ईंजन और उसके उप-साधन-जिनमें इंधन टंकी, पाइप और फिटिंग सम्मिलित है, समुद्र में प्रतिकूल मौसम के दौरान संभवत: उत्पन्न हो सकने वाले दशाओं में विश्वसनीय प्रचालन को सुनिश्चित करने के लिये पर्याप्त रूप से संरक्षित होंगे।

(ख) इसके अतिरिक्त, इंजन खोल अग्निरोधी होगा और वायु शीतित डीजल इंजनों की दशा मे इस प्रकार परिकल्पित होगा कि शीतन वायु का प्रदाय निर्बन्धित न हो।

4. सभी रक्षा नौकाओं में ईंधन के फैलने को रोकने के लिये साधनों की व्यवस्था होगी, लकड़ी की रक्षा नौका में ईंजन के नीचे एक धातु ट्रे लगी हुई होगी।

5. (क) ईंधन टंकी यथेष्ट रूप से सन्निर्मित, उपयुक्त स्थिति में मजबूती से लगी हुई होगी, उसके नीचे एक धातु तश्तरी होगी तथा उपर्युक्त मरण, वाष्प निकास और विमोचन व्यवस्थाओं से युक्त होगी।

(ख) टंकी या उसके संयोजनों का कोई भी भाग या ईंधन पाइप या फिटिंग का कोई भी भाग अस्राव के लिये नरम टांकेपर निर्भर नहीं होगा और इस्पात से बनी टंकियां समुद्र जलसे संक्षारण के विरूद्ध धातु पुहारण या समरूप साधनों द्वारा वाह्यत: संरक्षित होगी।

(ग) टंकी और उसके संयोजन कम से कम 4.5 मीटर की ऊंचाई के तत्सम द्रवदाव के सहन करने योग्य होगे।

(घ) पाइप के प्रत्येक सिरे पर एक कार्क लगा होगा।

6. इंजन और ईंधन टंकी की जगहें दक्षतापूर्वक संवातित होगी।

7. जहां रक्षा नौका में व्यक्तियों को क्षति से संरक्षित करना आवश्यक है वहां शैफिटंग और अन्य गतिमान भागों को बाड़ लगाई जायेगी।

पांचवीं अनुसूची

[नियम 15 देखिये]

यंत्र चालित रक्षा नौकाओं की मशीनरी

1. नौदन साधन इस प्रकार व्यवस्थित होगा कि यह, कार्य के लिये शीघ्रता से और आसानी से तैयार किया जा सके और रक्षा-नौका में व्यक्तियों के शीघ्र नौ-रोहण में बाधा न करें।

2. यदि नौदन साधन कर-चालित है तो यह उसके प्रयोग में अप्रशिक्षित व्यक्तियों द्वारा प्रचालित होने योग्य होगा और रक्षा-नौका के प्लावित होने पर प्रचलित किये जाने योग्य होगा।

3. नौवन साधन को, विभिन्न कद के व्यक्तियों द्वारा चलाने योग्य होने के लिये समायोजन अपेक्षित नहीं होगा और यह, मागत : या पूर्णत : भारित रक्षा-नौका के नौदन में प्रभावी होगा।

4. (क) नौवन साधन यथेष्ट रूप से सन्निर्मित होगा और रक्षा नौका में दक्षतापूर्वक लगा होगा।

(ख) यह सुनिश्चित करने के लिये, चालकों के हाथ शीत की पराकाष्ठा की दशा में संरक्षित हैं, किसी भी प्रचलन हैन्डल का धातु वाला भाग लकड़ी से भिन्न पदार्थ द्वारा उपयुक्त रूप से आच्छादित होगा।

5. नौदन साधन इतनी पर्याप्त शक्ति का होगा कि जब रक्षा-नौका इन नियमों द्वारा अपेक्षित अपने उपस्कर और व्यक्तियों की उस पूरी संख्या के बराबर, जिसे वह वहन करने के योग्य है, वितरित वजन से भारित हो, तब वह शान्त जल में 400 मीटर दूरी तक रक्षा-नौका को आगे की दिशा में 3 5 नाट की गति से नौदित हो सके ।

6 नौदन साधन रक्षा-नौका को आगे या पीछे नौदित करने में समर्थ होगा और उसमें एक ऐसा साधन लगा होगा जिसके द्वारा किसी भी समय जब नौदन साधन प्रचालित हो तो सुकानी रक्षा-नौका को पीछे या आगे कर सकेगा ।

छठवीं अनुसूची

[नियम 2 (ङ०) और 16 देखिये]

1 हर एक वर्ग ग नौका अनन्य किनारों से सन्निर्मित खुली नौका होगी ।

2. नौका ऐसे आकार और अनुपात की होगी कि जब यह व्यक्तियों की सबसे अधिक संख्या से, जिनके बैठने के लिये स्थान की व्यवस्था है, और अपने पूर्ण उपस्कर से भारित है तो जलगामी होने में प्रवृत्त स्थिरता और पर्याप्त फ्री बोर्ड रखेगी ।

3. नौका की लंबाई कम से कम ——

(क) उस पोत के लिये जिसकी लबाई 12 मीटर या उससे अधिक है किन्तु 24 मीटर से कम है 4 3 मीटर होगी,

(ख) उस पोत के लिये जिसकी लबाई 24 मीटर या उससे अधिक है किन्तु 35 मीटर से कम है 4.9 मीटर होगी,

(ग) उस पोत के लिये जिसकी लबाई 35 मीटर या उससे अधिक है किन्तु 44 मीटर से कम है 5.2 मीटर होगी,

(घ) उस पोत के लिये जिसकी लबाई 44 मीटर या उससे अधिक है 5.5 मीटर होगी ।

4. नौका में सभी तख्ते और बगल की सीटें यथा साध्य नीचे लगी होंगी और तल-फलक लगे होंगे ।

5. नौका वर्गाकार पीछल वाली होगी और कम से कम इसकी लबाई के पाच प्रतिशत के बराबर औसत उठान रखेगी ।

6. नौका में आन्तरिक उत्प्लावन साधित्र लगे होंगे जो इस प्रकार रखे होंगे कि प्रतिकूल मौसम की दशाओं में नौका के पूर्ण रूप से लदे होने पर स्थिरता सुनिश्चित करे ।

7 आन्तरिक उत्प्लावन साधित्र या तो वायु-रुद्ध डिब्बे जो 1675 ग्राम प्रति वर्गमीटर से अन्यून ताम्र या सुन्दज धातु या अन्य समान यथोचित पदार्थ के होंगे ।

8. लकड़ी की वर्ग ग नौका में आन्तरिक उत्प्लावन साधित्रों का कुल आयतन कम से कम नौका की घन धारिता के साढ़े सात प्रतिशत के बराबर होगी जो द्वितीय अनुसूची के पैरा के अनुसार अवधारित किया जायेगा ।

9. लकड़ी से भिन्न किसी पदार्थ की बनी वर्ग ग नौका की उत्प्लावकता, उसी घन धारिता की लकड़ी की वर्ग ग नौका के लिये अपेक्षित उत्प्लावकता से अन्यन होगी भी और आन्तरिक उत्प्लावन साधिनों का आयतन तदनुसार बढ़ा दिया जायेगा ।

10. व्यक्तियों की वह न्यनतम सख्या जिसके बैठने की व्यवस्था की जायेगी घन मीटर में नौका की घन धारिता को 2.65 से गुणा करने पर प्राप्त सबसे बड़ी सख्या के बराबर होगी ।

सातवीं अनुसूची

[नियम 2 (च) (ट) और (ण) 17, 19, (2) और (3) और 27 (च) और (छ) देखिये]

बचाव तरापों के लिए अपेक्षा

भाग ।

स्फीति योग्य बचाव तरापा

1. इस भाग के पैरा 2 और 3 के उपबंधो के अध्यधीन हर एक स्फीति योग्य बचाव तरापा निम्नलिखित अपेक्षाओं के अनुसार होगा —

(क) बचाव तरापा इस प्रकार सन्निर्मित होगा कि जब यह पूर्ण रुप से स्फीत हो और सब से ऊपरी ढक्कन सहित प्लवमान हो तो यह जलगामी होने में स्थायी रहेगा ;

(ख) बचाव तरापा इस प्रकार सन्निर्मित होगा कि यदि यह 18 मीटर की ऊंचाई से जल में गिराया जाये तो न तो बचाव तरापा न इसके उपस्कर क्षति-ग्रस्त होंगे ;

(ग) (i) बचाव तरापे के सन्निर्माण मे, उच्च दृश्यमान वर्षा का ढक्कन सम्मिलित होगा जो जब बचाव तरापा स्फीत हो तो स्वत: स्थान पर सेट हो जायेगा ;

(ii) ढक्कन, अनावरण से क्षति के विरुद्ध अधिभोगियों की रक्षा करने मे समर्थ होगा, और, वर्षा का पानी इकट्ठा करने के लिये साधनों की व्यवस्था की जायेगी ;

(iii) ढक्कन के शीर्ष पर ऐसा लैम्प लगा होगा जो समुद्र सक्रियित सैल से अपनी ज्योति प्राप्त करता हो और बचाव तरापा के अन्दर भी एक वैसा ही लैंम्प लगा होगा ।

(घ) (i) बचाव तरापे में कर्षक रस्सा लगा होगा और बाहर की चारो ओर झूल वाली रक्षा रस्मी लगी होगी ।

(ii) बचाव तरापा के अन्दर चारो ओर भी एक रक्षा रस्सी लगी होगी ;

(ङ) बचाव तरापा यदि अधोमुखी स्थिति मे स्फीत होता है तो एक व्यक्ति द्वारा सरलता से सीधा होने योग्य होगा ;

(च) बचाव तरापे में प्रत्येक मार्ग पर जल मे से व्यक्तियो को बोर्ड पर चढ़ने में समर्थ बनाने के लिये दक्ष साधन लगे होंगे ;

(छ) (i) बचाव तरापा इस प्रकार सन्निर्मित चमड़े के थैले या अन्य आधान मे रखा होगा जो समुद्र में मिलने वाली दशाओं में कठोर टूट फूट सहन करने में समर्थ हो

(ii) चमड़े के थैले या अन्य आधान में रखा हुआ बचाव तरापा सहज रुप से उत्प्लावक होगा ।

(ज) बचाव तरापे की उत्प्लावकता इस प्रकार व्यवस्थित होगी जो, यदि बचाव तरापा क्षतिग्रस्त हो जाये या भागतः स्फीत नहीं होती हो तो पृथक कक्षों के सम संख्या में विभाजन द्वारा, जिसका आधा, व्यक्तियों की संख्या को जिसे स्थान देने के लिये बचाव तरापा ठीक है जल के बाहर संभालने में समर्थ होगा या अन्य समान रुप से दक्ष साधन द्वारा यह सुनिश्चित हो जाये कि उत्प्लावकता के लिये युक्ति, युक्त गुंजाइश है

(झ) बचाव तरापे, इसके चमड़े के थैले या अन्य आधान और इसके उपस्कर का कुल भार 180 कि० ग्रा० से अधिक नहीं होगा।

(ञ) व्यक्तियों की वह संख्या जिसे स्थान देने के लिये बचाव तरापा ठीक समझा जायेगा—

(i) स्फीत होने पर मुख्य उत्प्लावन ट्यूबों (जिसमें इस प्रयोजन के लिय न तो डांटे औरन आड़े तख्ते यदि लगे हों तो, नहीं आते हैं) के घन डेसीमीटर में मापे हुये आयतन को 96 द्वारा विभाजित करने से प्राप्त सबसे बड़ी पूर्ण संख्या, या

(ii) स्फीत होने पर बचाव तरापे के फर्श (जिसमें इस प्रयोजन के लिये, यदि लगे हों तों, आड़ा तख्ता या तख्ते भी सम्मिलित है) के वर्ग सेन्टीमीटर में मापे हुये क्षेत्र-फल को 3720 द्वारा विभाजन करने से प्राप्त सबसे बड़ी संख्या, इन दोनों में जो संख्या कम होगी उसके बराबर होगी।

(ट) बचाव तरापे का फर्श जलसह होगा और या तो—

(i) एक या अधिक कक्ष जिसे अधिभोगी, यदि ऐसा चाहते हैं, तो, स्फीत कर सकते हैं या जो स्वतः स्फीत हो जाता है कि और अधिभोगियो द्वारा जो अनस्फीत किया जा सकता है और पुनः स्फीत किया जा सकता है ; और

(ii) जो अन्य समान रुप से दक्ष साधनों द्वारा स्फीत होने पर निर्भर नहीं है, ठंडक से बचने के लिये पर्याप्त रुप से रोधी होने में समर्थ होगा।

(ठ) (i) बचाव तरापा ऐसी गैस से स्फीत किया जायेगा जो अधिभोकियो के लिये हानि-कारक नहीं होगी और स्फीत या तो रस्सी के खीचने पर या किसी अन्य समान-रुप से सरल और दक्ष पद्धति से स्वतः घटित होगी ;

(ii) ऐसी साधनों की व्यवस्था होगी कि जिससे, दबाव बनाये रखने के लिये हवा भरने पम्प या घोंकनी प्रयुक्त किये जा सकें।

(ड) बचाव तरापा यथोचित पदार्थ और सन्निर्माण का होगा, और इस प्रकार सन्निर्मित होगा जो सभी समुद्री दशाओं में तिरता हुआ 30 दिन तक के खुले रहने के प्रभाव को सहने में समर्थ होगा,

(ढ) हर बचाव तरापा जो अवतरण साधित के साथ प्रयोग के लिये डिजायन किया गया है, जिस प्रयोजन के लिये यह आशायित है उसके लिये समुचित रुप से सन्निर्भित होगा और व्यक्तियों की पूरी संख्या और उपस्कर से भारित होने पर जल में सुरक्षा पूर्वक अवनमित होने के लिये पर्याप्त मजबूत होगा ;

(ण) बचाप तरापा, इस पैरा के उप-पैरा (अ) के अनुसार संगणित छः व्यक्तियों से अन्यून या पच्चीस व्यक्तियों से अनधिक की वहन धारिता रखेगा,

(त) बचाव तरापा, 66° सेन्टीग्रेड से लेकर 30° सेन्टीग्रेड के ताप परिसर में प्रचालन में समर्थ होगा ।

(थ) बचाव तरापा ऐसी व्यवस्थाओं से लगा होगा जो इसको सरलता से कर्णित होने में समर्थ बनायें ।

(द) किसी पोत पर जिस पर सुवाह्य रेडियो उपस्कर की व्यवस्था की गई है वहन किये हुये हर एक बचाव तरापे में प्रचालन की स्थिति में ऐसे उपस्कर के एरियल को स्थान देने के लिये प्रबंधों की व्यवस्था होगी :

2. लंबाई में 21 मीटर से अधिक के वर्ग IV और V के पोतों में और कुल 500 टन से अधिक के वर्ग के VIII के पोतों में इस भाग के पैरा । के उप-पैरा (ख), (ग) (ट), (ग), (त) और (घ) की अपेक्षाएं निम्नलिखित रुप से उपांतरित हो सकेंगी :—

(क) उक्त उप-पैरा (ख) में निर्दिष्ट 18 मीटर की उंचाई डैक की ऊंचाई के समतुल्य हो सकेगी जिस पर बचाव तरापा पोत की निर्भार जल रेखा के ऊपर नौभरित हो, किन्तु किसी भी दशा में 6 मीटर से कम नहीं हो सकेगी ;

(ख) उक्त उप-पैरा (ग) में निर्दिष्ट वर्षा जल को इकट्ठा करने के लिये साधनों की व्यवस्था करना अपेक्षित नहीं होगा ;

(ग) उक्त उप-पैरा (ट) में यथानिर्दिष्ट ठंडक से बचने के लिये बचाव तरापे के पर्श के रोधन के लिये रीतियों का पोत करना अपेक्षित नहीं होगा,

(घ) उक्त उप-पैरा (ण) द्वारा अपेक्षित बचाव तरापे की न्यूनतम छः व्यक्तियों की वहन धारिता चार व्यक्तियों की हो सकेगी, परन्तु ऐसे पोतों पर जिन के बोर्ड पर व्यक्तियों की कुल संख्या छः से कम है केवल वही बचाव तरापे वहन किये जाएंगेजो छः व्यक्तियों से कम को स्थान देने के लिये ठीक समझे गये हैं ;

(ङ) उक्त उप-पैरा (त) में निर्दिष्ट 30 सेन्टीग्रेड का ताप क्रम—18 सेन्टीग्रेड हो सकेगी

(च) उक्त उप-पैरा (थ) में निर्दिष्ट नौकर्षण रस्सी के इंतजामों की व्यवस्था करना अपेक्षित नहीं होगा ।

भाग II

अनम्य बचाव तरापे

हर अनम्य बचाव तरापा निम्नलिखित अपेक्षाओं के अनुसार होगा :—

(क) बचाव तरापा इस प्रकार सन्निर्मित होगा कि यदि यह इसके नौभारित होने की स्थिति से जल में गिराया जाये तो न तो बचाव तरापा न इसके उपस्कर क्षतिग्रस्त होंगे ;

(ख) कोई बचाव तरापा जो अवतरण साधित्र के साथ प्रयोग के लिये डिजाइन किया गया है, उस प्रयोजन के लिये जिसके लिये यह आशायित है, समुचित रुप से सन्निर्मित होगा और व्यक्तियों की पूरी संख्या और उपस्कर से भारित होने पर जल में सुरक्षापूर्वक अवनमित होने के लिये पर्याप्त मजबूत होगा,

(ग) बचाव तरापा इस प्रकार सन्निर्मित होगा की इसके हवा बन्द डिब्बे या उत्प्लावक पदार्थ इसके किनारों के यथासंभव नजदीक रखें हों,

(घ) (i) बचाव तरापे का डैक क्षेत्र, बचाव तरापे के उस भाग में स्थित होगा जो इसके अधि-भोगियों का संरक्षण करता हो,

(ii) डैक की प्रकृति ऐसी होगी जो यथा साध्य जल के प्रवेश को निवारित करें और यह जल के बाहर अधिभोगियों को प्रभावशाली रुप से संभाले ,

(छ) बचाव तरापा एक ढक्कन या उच्च दृश्यमान वर्षा की समतुल्य व्यवस्थाओं से लगा होगा जो, बचाव तरापा जिस प्रकार से भी तैर रहा हो, क्षति से बचने के लिये अधिभोगियों के संरक्षण में समर्थ हो,

(च) बचाव तरापे का उपस्कर इस प्रकार नौभरित होगा कि बचाव तरापा जिस प्रकार से भी तैर रहा हो सरलता से प्राप्त हो ।

(छ) (i) यात्री पोतों में वहन किये हुये किसी बचाव तरापे और इसके उपस्कर का कुल भार 180 कि० ग्रा० से अधिक नहीं होगा ।

(ii) स्थोरा पोतों में वहन किये हुये बचाव तरापे यदि वे पोत के दोनों ओर अवतीर्ण होने में समर्थ है या यदि पोत के किसी ओर से इन्हें यंत्र से जल में रखने के लिए साधनों की हों तो वे भार में 180 कि० ग्रा० से अधिक हो सकेंगे ।

(ज) बचाव तरापा सभी समय, किसी तरफ से तैरने पर प्रभावशाली और स्थिर होगा ,

(झ) व्यक्तियों की वह संख्या जिसे स्थान देने के लिये बचाव तरापा ठीक समझा जायेगा :—

(i) हवा बन्द डिब्बो के या उत्प्लाविक पदार्थ के घन डैसीमीटर में मापे गये आयतन को 96 द्वारा विभाजन करने पर प्राप्त सबसे बड़ी पूर्ण संख्या ;

(ii) वर्ग सेन्टीमीटर में मापे हुये बचाव तरापे के डैक क्षेत्रफल को 3720 द्वारा विभाजन करने से प्राप्त सबसे बड़ी पूर्ण संख्या ;

इस दोगों में से जो संख्या कम होगी उसके बराबर होगी ;

(ञ) (i) बचाव तपारा एक संलग्न कर्षक रस्सा और बाहर के चारों तरफ सुरक्षा पूर्वक झूल वाली एक रक्षा रस्सी रखेगा ,

(ii) बचाव तरापे के अन्दर भी चारों ओर एक रक्षा रस्सी लगी होगी ।

(ट) जल में के व्यक्तियों के बोर्ड पर चढ़ने में समर्थ बनाने के लिए बचाव तरापे के हर एक मार्ग पर वक्ष साधनों की व्यवस्था होगी,

(ठ) बचाव तरापा इस प्रकार सन्निर्मित होगा कि तेल या तेल उत्पादों द्वारा प्रभावित न हो ।

(ड) विद्युत बैटरी प्रकार की एक उत्प्लावन बत्ती बचाव तरापे से डोरी द्वारा संलग्न होगी ।

(ढ) बचाव तरापा सरलता से कर्षित होने में समर्थ बनाने वाली व्यवस्थाओं से लगा होगा ।

(ण) बचाव तरापा इस प्रकार नौभारित होगा कि पोत डूबने की दशा में स्वतंत्र तैर सके ।

(त) किसी पोत पर जिस पर सुवाह्य रेडियो उपस्कर की व्यवस्था की गई है वहन किये हुए हर एक बचाव तपाये में प्रचालन की स्थिति में ऐसे उपस्कर के एरियल को स्थान देने के लिए प्रबन्धों की व्यवस्था होगी ।

आठवीं अनुसूची

नियम 18 देखिए

उत्प्लावन बेड़े के लिए अपेक्षाएं

1. (i) उत्प्लावन बेड़ा ऐसे सन्निर्माण का होगा कि यह पोत के बोर्ड पर मौसम में अनावृत रहने पर और जल में रहने पर अपने आकार और विशेषताओं को प्रतिधारित करे,

(ii) वह इस प्रकार सन्निर्मित होगा कि प्रयोग के पहले समायोजन की अपेक्षा न करे।

2. उत्प्लावन बेड़ा उस पोत परीक्षण को सहन करने में समर्थ होगा जिसकी ऊंचाई उस डैक की ऊंचाई के समतुल्य होगी जिस पर यह पोत की निर्भर जल रेखा के ऊपर रखा हुआ है, किन्तु किसी भी दशा में निम्नलिखित से कम नहीं होगी :—

वर्ग I और वर्ग III के पोतों में वहन किया हुआ बेडा—18 मी० वर्ग IV के पोतों में वहन किया हुआ बेड़ा—6मी०

3. (i) उत्प्लावन बेड़ा किसी तरफ से तैरने पर प्रभावशाली और स्थिर होगा,

(ii) यह, बेड़े के ऊपरी तल के किसी भाग को डुबाये बिना किसी किनारे से प्रति मीटर दूरी पर 23 कि० ग्रा० (न्यूनतम 20 कि० ग्रा० के अध्यधीन) पकड़ रस्सियों से अनवण जल में लटकाये हुये, लोहे का भार संभालने में समर्थ होगा ।

4. (i) हवा बन्द डिब्बे या समतुल्य उत्प्लावकता, बेड़े किनारों पर यथा सम्भव नजदीक रखी होगी और ऐसी उत्प्लावकता स्फीति पर निर्भर नहीं होगी,

(ii) उत्प्लावक पदार्थ तेल या तेल उत्पादों से प्रतिकूल रूप से प्रभावित नहीं होगा न तो यह उत्प्लावन बेडे को प्रतिकूल रुप से प्रभावित करेगा ।

5 (1) (i) बेड़े के चारों और पकड रस्सियां इस रीति से लगी होंगी जो, व्यक्तियों की संख्या जिसे सम्भालने के लिए बेडा ठीक है उसके बराबर फंदों की संख्या की व्यवस्था हो ;

(ii) प्रत्येक फदा एक कार्क या हल्की लकड़ी का तिरोदा रखेगा, मांगे होने पर फंदे की गहराई 15 सेन्टीमीटर के से अन्यून और 20 सेन्टीमीतर से अनधिक होगी ।

(2) (i) समग्र गहराई में 30 सेन्टीमीटर से अधिक के बेडे पर पकड़ रस्सियों की दो कतारे लगी होगी जिसमें एक के लगाव का स्थान, हवा बन्द डिब्बे के शीर्ष के थोड़ा नीचे और दूसरे का हवा बन्द डिब्बे के तेल के थोड़ा ऊपर और हवा बन्द डिब्बे के किनारों के यथासाध्य हों ।

(ii) समग्र गहराई में 30 सेन्टीमीटर या उससे कम के बेड़े पर पकड़ रस्सियों की एक कतार गहराई के मध्य की लाइन संलग्न हो सकेगी ?

(3) (i) पकड़ रस्सियों, परिधि में 5 सेन्टीमीटर से अन्यून रस्से की होंगी ;

(ii) ये डांचे में के छिद्रों में से निकाल कर और चलने की निर्वारित करने के लिए अन्तर्ग्रथित होने पर बेड़े से संलग्न हो सकेंगे, या वे पिटवां लोहा या इस्पात स्थिरकों के द्वारा बेड़े से संलग्न हो सकेंगी ;

( ) जो भी रीति अपनायी गई हो, सयोजना, पकड़ रस्सियों द्वारा बेड़े को उठाने के लिए पर्याप्त मजबूत होगा ।

6. उत्प्लावन बेड़ा, कर्षक रस्से से लगा होगा ।

7. (i) उत्प्लावन बेड़ा, जब तक इसको हाथ से उठाए बिना अवतीर्ण होने में समर्थ बनाने के लिए उपयुक्त साधनों की व्यवस्था न हो, भार में 181 किलोग्राम से अधिक नही होगा ;

(ii) यदि बेड़े का भार 136 कि० ग्रा० से अधिक है तो इस प्रयोजन के लिए उपयुक्त हैन्डल या डण्डी लगी होगी ;

8. वर्ग । के पोतों में वहन किया हुआ उत्प्लावन बेड़ा चौड़ाई में 106 सेन्टीमीटर से अन्यून होगा ।

नवीं अनुसूची

(नियम 20 देखिये)

रक्षा बोयों के लिए अपेक्षाएं

1. हर रक्षा बोया समतलता से गठित और सुरक्षापूर्वक प्लग लगे हुये कार्क या अन्य समान रूप से दक्ष उत्प्लावक पदार्थ से सन्निर्मित होगा जो तेल या तेल उत्पादों से प्रतिकूल रूप से प्रभावित नहीं होगा और इससे लटकते हुए 14.5 कि० ग्रा० लोहे सहित कम से कम 28 घन्टे तक अलवण जल में तैरने में समर्थ होगा ।

2. प्लास्टिक या अन्य संश्लिष्ट योगिक से बना हुआ हर एक रक्षा बोया, समुद्री जल या तेल उत्पादों के सम्पर्क में या तापक्रम के परिवर्तन के अन्तर्गत या खुली समुद्र यात्राओं में प्रवर्तमान जलवायु सम्बन्धी परिवर्तनों में अपने उत्प्लावन गुणों और स्तापित्व को प्रतिधारित करने में समर्थ होगा ।

3. रक्षा बोया, दक्ष कार्क, शेविंग कार्क या किसी अन्य खुले दानेदार पदार्थ से भरा हुआ नही होगा और इसकी उत्प्लावकता उस वायु कक्षो के ऊपर निर्भर नहीं होगी जिन्हें स्फीत किये जाने की अपेक्षा होती है ।

4. (i) रक्षा बोया का भीतरी व्यास 45 सेन्टीमीटर और बाहरी व्यास 76 सेन्टीमीटर होगा ;

(ii) काट का दीर्घ अक्ष 15 सेन्टीमीटर होगा ;

(iii) काट का लघुअक्ष 10 सेन्टीमीटर होगा ;

5. हर रक्षा बोया उच्च दृश्यमान वर्ग का होगा ।

6. (i) हर रक्षा बोया, उस पोत के जिसमें यह वहन किया जाता है नाम और रजिस्ट्री पत्तन से स्पष्ट अक्षरों से चिह्नित होगा ।

(ii) कार्क से भिन्न पदार्थ से सन्निर्मित रक्षा बोया, उस उत्पाद के लिए विनिर्माता के व्यापार नाम से स्थायी रूप से चिह्नित होगा ।

7. हर रक्षा बोये में पकड़ रस्सियां लगी होंगी जो अच्छी क्वालिटी के न डूबने योग्य रस्से की होंगी और प्रत्येक 70 सेन्टीमीटर से अन्यून रस्सी के चार फंदे की व्यवस्था करते हुए, चार समदूरस्थ स्थानों पर अच्छी तरह बन्धी होंगी ।

8. नव निर्मित होने पर रक्षा बोये का भार 6.1 कि० ग्रा० से अधिक नहीं होगा ।

दसवीं अनुसूची

[नियम 4 12), 5 (15), 6 (11), 7 (13), 8 (10), 9 (12), और 11 (9) देखिये]

रक्षा जाकेटों के लिए अपेक्षाएं

भाग I

1. इस भाग के पैरा 7 के उपबन्धों के अध्यधीन किसी व्ययस्थ व्यक्ति द्वारा प्रयोग के लिये हर रक्षा जाकेट इस प्रकार पर्याप्त उत्प्लावकता की होगी कि इसे इस भाग के पैरा 3 के खण्ड (ख) की अपेक्षाओं का समाधान करने के लिए समर्थ बनाये ।

स्पष्टीकरण—इस भाग के प्रयोजन के लिए 30 कि० ग्रा० या उससे अधिक भार वाला हर एक व्यक्ति, व्ययस्थ समझा जायेगा ।

2. हर ऐसा रक्षा जाकेट, दोनों ओर, आकार में 1.27 सेन्टीमीटर के अन्यून में 'व्ययस्थों' के लिए, शब्दों से और केवल एक ओर बनाने वाले के नाम या अन्य पहचान चिन्ह से अमिट रूप से चिन्हित होगी ।

3. हर एक ऐसा रक्षा जाकेट निम्नलिखित अपेक्षाओं के भी अनुसार होगा :—

(क) यह इस प्रकार सन्निर्मित होगा कि गलती से रखे जाने के सभी जोखिम यथा सम्भव विलुप्त हो जाए और यह उल्टी भी पहनी जा सकेगी ।

(ख) (i) यह किसी श्रान्त या अचेत व्यक्ति के मुख को जल से बाहर उठाने और शरीर की खड़ी स्थिति से इसे पीछे की ओर झुके होने के साथ जल के बाह्य सुरक्षापूर्वक धारण करने में समर्थ होगी,

(ii) यह, शरीर के उर्ध्वाधर से इसके पीछे की ओर झुके होने के साथ शरीर को जल में किसी स्थिति से सुरक्षित तैरने की स्थिति में घुमाने में समर्थन होगी ।

(iii) ऐसे रक्षा जाकेट के उत्प्लावकता जिससे पूर्ववर्ती कार्य को व्यवस्था करना अपेक्षित है जलक ण जल में 24 घन्टे के निमंजन के पश्चात् पांच प्रतिशत से अधिक का नहीं होगी ।

(ग) यह तेल या तेल उत्पादों द्वारा प्रतिकूल रूप में प्रभावित नहीं होगी ।

(घ) यह उच्च दृश्यमान वर्ण की होगी , ।

(ङ) बचाव को सुगम बनाने के लिए यह एक छल्ला या फंदा या पर्याप्त मजबूती के उसी प्रकार के साधन से लगा होगा ।

(च) यह कम ज्वलनशील पदार्थ का बना होगा और कपड़े जिससे यह ढका हुआ है तथा इसके फीते विगलन रोधी होंगे ।

(छ) यह डोरी द्वारा से संलग्न अनुमोदित सीटी से लगी होगी ।

(ज) (i) इसमें बन्ध फीते होंगे जो रक्षा जाकेट कबर से मजबूती से बंधे होंगे और 9 कि ग्रा० भार उठाने में समर्थ होंगे ।

(ii) फीतों को बांधने की रीति ऐसी होगी कि आसानी से समझी जाये और सरलता से कार्यान्वित होने में समर्थ हो ,

(iii) धातु बन्ध जब प्रयुक्त हो तो ये बन्ध फीते मे अनुकूल आकार और मजबूती के होंगे और संक्षरण प्रतिरोधी सामग्री के होगे ।

(झ) जल में, इसको पहनने वाला बिना क्षति के और रक्षा जाकेट के उतारे बिना 6.1 मीटर की उध्वार्धर दूरी कूद सकेगा,

4. ऐसे हर रक्षा जाकेट की उत्प्लावकता सेमल की रूई या अन्य समान रुप में प्रभावशाली उत्प्लावन सामग्री द्वारा व्यवस्थित होगी ।

5. ऐसा हर सेमल रूई वाला रक्षा जाकेट, इस भाग के पैरा 1 से 4 तक की अपेक्षाओं के अनुसार होने के अतिरिक्त निम्नलिखित अपेक्षाओं के भी अनुसार होगा :—

(क) इसमें 1 कि० ग्रा० से अन्यून सेमल की रुई होगी,

(ख) सेमल-रुई अच्छी प्लवन क्वालिटी की, भली प्रकार धुन की हुई, समतलता से पैक की गई और बीच तथा उस विजातीय पदार्थ से मुक्त होगी ;

(ग) सेमल-रुई, तेल या तेल उत्पादों के प्रभाव से इस प्रकार संरक्षित होगी कि, 48 घन्टे की कालावधि के लिए 3 मिलीमीटर से अन्यून गहराई कि गैस तेल मिश्रण वाले विक्षुब्ध जल में तैरने के पश्चात् रक्षा जाकेट में उत्प्लावकता की हानि प्रारंभिक उत्प्लावकता के 2 प्रतिशत से अधिक नही होगी और इस परीक्षण के प्रयोजन के लिए रक्षा जाकेट इसके प्रारंभिक उत्प्लावकता के आधे के बराबर भार से भारित होगी ।

(घ) (i) आच्छादन पूर्व आकुंचित सूती सामग्री का होगा जिसका करघे की स्थिति में प्रति मीटर भार 0.68 मीटर चौड़ाई के लिए 170 ग्राम से अन्यून और अन्य चौड़ाई के लिए इसी अनुपात में होगा ;

(ii) कपड़ा, गाड़ी या अन्य विजातीय पदार्थ के मिलावट से मुक्त होगी ;

(iii) करघे की स्थिति में तागे प्रति 25 मि० दोहरे तागे के 44 ताने और दोहरे तागे के 34 बाने होंगे ।

(iv) सिलाई 25 नम्बर वाली बढ़िया बिटमोर डोरी की क्वालिटी से अन्यून के लिनेन तागे से होगी ।

6. ऐसी हर रक्षा जाकेट जिसमें से मल-रूई से भिन्न उत्प्लावन सामग्री प्रयोग की जाती है, इस भाग के पैरा 1 से 4 और पैरा 5 के खंड (घ) की अपेक्षाओं के अनुसार होने के अतिरिक्त निम्नलिखित अपेक्षाओं के भी अनुसार होगी :—

(क) (i) सामग्री प्रति घन मीटर 192.5 कि० ग्राम० से अधिक भार की नहीं होगी और अच्छी क्वालिटी की एवं साफ होगी ;

(ii) यदि सामग्री टुकड़ों में है तो हर एक टुकड़े की आकार तब तक ऐसे टुकड़े तह के रूप में नही हैं और अनुमोदित आसंजक के सहित बंधे हुए नहीं है, 164 घन सेन्टीमीटर से अन्यून होगी ;

(ख) सामग्री रासायनिक रूप से स्थिर होगी ।

7. हर रक्षा जाकेट जिसकी उत्प्लावकता स्फीति पर निर्भर करती है जो तेल पोतों से भिन्न वर्ग और VII के पोतों के कर्मीदल के सदस्यों द्वारा प्रयोग के लिए वहन किया जा सकेगा, वह इस भाग के पैरा (3) की अपेक्षाओं के अनुसार होगा और इसके अतिरिक्त निम्नलिखित अपेक्षाओं के भी अनुसार होगा :—

(क) निम्नलिखित में से किसी एक प्रकार के दो पृथक् उत्प्लावन कक्ष होंगे :—

(i) कम से कम 9 कि० ग्रा० के बराबर अन्तर्निहित उत्प्लावकता का एक कक्ष और कम से कम 6.8 कि० ग्राम का एक वायु कक्ष ; या

(ii) दो पृथक् वायु कक्ष जिनमें से प्रत्येक कम से कम 9.4 कि० ग्रा० उत्प्लावकता का हो,

(ख) यह दोनों ओर आकार में 25 मि० मी० से अन्यून के अक्षरों से "केवल कर्मीदल" शब्दों से और एक ओर केवल छोटे अक्षरों में बनाने वाले के नाम या अन्य पहचान चिह्न से अमिट रूप से चिह्नित होगी ;

(ग) यह यंत्र और मुंह दोनों से स्फीत होने में समर्थ होगा ।

भाग II

1. बालक द्वारा प्रयोग के लिए हर रक्षा जाकेट में इस प्रकार पर्याप्त उत्प्लावकता की व्यवस्था होगी कि यह भाग 1 के पैरा 3 के खंड (ख) की अपेक्षाओं का समाधान करे

स्पष्टीकरण :—इस भाग के प्रयोजन के लिए 30 किलो ग्राम से कम भार वाला हर व्यक्ति बालक समझा जायेगा ।

2. ऐसा हर रक्षा जाकेट दोनों ओर आकार में 12.7 मि० मी० से अन्यून के अक्षरों में "बालक के लिए" शब्दों से और एक ओर केवल बनाने वाले का नाम या अन्य पहचान चिह्न से अमिट रूप से चिह्नित होगी ।

3. ऐसी हर रक्षा जाकेट भाग I के पैरा 3 और 4 की अपेक्षाओं के अनुसार होगी ।

4. ऐसी हर सेमल-रुई वाली रक्षा जाकेट में 425 ग्राम में अन्यून सेमल-रुई होगी और इस भाग के पैरा 1 से 3 की अपेक्षाओं के अनुसार होने के अतिरिक्त भाग 1 के पैरा 5 के खंड (ख) (ग) और (घ) की अपेक्षाओं के अनुसार होगी ।

5. सेमल-रुई से भिन्न उत्प्लावन सामग्री प्रयोग करने वाली ऐसी हर रक्षा जाकेट इस भाग के पैरा 1 से 3 की अपेक्षाओं के अनुसार होने के अतिरिक्त भाग 1 के पैरा (5) के खंड (घ) और पैरा 6 के उप-पैरा (क) और (ख) के अनुसार होगी ।

ग्यारहवीं अनुसूची

(नियम 22 देखिए)

रस्सी प्रक्षेपण साधित्रों के लिए अपेक्षाएं

1. हर रस्सी प्रक्षेपण साधित्र में राकेट और 4 रस्सी, प्रत्येक रस्सी परिधि में 12.7 मिली मीटर और यथोचित लंबाई की होगी जिसकी मंजन विकृति 114 कि० ग्राम० से अन्यून हो, सम्मिलित होगा ।

2. हर रस्सी प्रक्षेपण साधित्र ऐसी रीति से रस्सी प्रक्षेपित करने में समर्थ होगा कि फायर करने की दिशा के प्रत्येक ओर रस्सी का पार्श्विक विशेष राकेट की उड़ान के दस प्रतिशत से अधिक न होता हो ।

3. रस्सियां और राकेट उनके प्रज्वलित करने के साधनों के साथ जलरोधी डिम्बे में रखे जायेंगे ।

4. लंबाई में 44 मीटर या उससे अधिक के पोतों में वहन किया हुआ हर रस्सी प्रक्षेपण साधित्र परिधि में 12.7 मिलीमीटर की रस्सी को शान्त मौसम में 230 मीटर की न्यूनतम दूरी तक प्रक्षेपित करने में समर्थ होगा ।

5. लम्बाई में 44 मीटर से न्यून के पोतों में वहन किया हुआ हर रस्सी प्रक्षेपण साधित्र, परिधि में 12.7 मिलीमीटर की रस्सी को शान्त मौसम में 123 मीटर की न्यूनतम दूरी तक प्रक्षेपित करने में समर्थ होगा ।

6. (क) राकेटों के सभी संघटक, रचना और अवयव और उनको प्रज्वलित करने के साधन ऐसे स्वरूप और ऐसी क्वालिटी के होंगे कि कम से कम दो वर्ष की कालावधि तक अच्छी औसत भण्डारकरण दशाओं के अन्तर्गत उनकी उपयोगिता प्रतिधारित करने में उन्हें समर्थ बनाये ।

(ख) जिस तारीख को राकेट भरा गया हो वह राकेट और उसके आधान पर अभिट-रूप से स्टाम्पित होगी और पैक करने की तारीख कारतूस आधान पर तत्समरूप से स्टाम्पित होगी ।

बारहवीं अनुसूची

[नियम 23 (ञ), (ट), ( ) (ण), (त) और (प) और 27 (i) (झ), (ड) और (ठ) देखिए]

रक्षा नौकाओं, नौकाओं और बचाव तरापों के उपस्कर के विनिर्देश

भाग I

रक्षा मंत्रालयों के लिए कम्पास

1. (i) हर कम्पास द्रव प्रकार का होगा ।

(ii) प्रयुक्त द्रव, औद्योगिक मैथिलित स्पिरिट और जल का मिश्रण होगा, जिसका विशिष्ट घनत्व 15.50 से० पर 0.93 होगा ।

यह —23.5° सेन्टीग्रेड से + 49° सेन्टीग्रेड के ताप पर प्रभावशाली रूप से कार्य करेगा ।

2. (i) चुम्बक प्रभूत–दैशिक बल करेगा ।

(ii) यूनाइटेड किंगडम में लगभग 15.5 से० तापक्रम पर 40 अंश के विक्षेप के पश्चात् 18 से 22 सेकेंड तक की कालावधि, इस अपेक्षा के अनुसार समझी जायेगी । इस पैरा के प्रयोजनों के लिए "कालावधि" वह समय है जो 40 अंशों के विक्षेप के पश्चात् कार्ड के पूर्ण दोलन में, उसकी विश्राम स्थिति से हो कर एक पेंग और उस दिशा में जिससे वह मूलतः विक्षेपित हुआ था फिर से वापिस लौट कर अपने पेंग को पूरा करने में, लगता है ।

3. —23.5° सेन्टीग्रेड से + 49° सेन्टीग्रेड के रेंज में कार्ड सिस्टम, 4 और 10 ग्राम के बीच भार सहित, कम्पास द्रव में निमंजित होने पर धुराग्र पर स्थिर रहेगा ।

4. (i) कार्ड, व्यास में 10 सेन्टीमीटर से अन्यून होगा और बाउल से उसकी दूरी कम से कम 7 मिलीमीटर होगी ।

(ii) यह अर्द्ध बिन्दुओं पर चिह्नित होगी और आठ मुख्य बिन्दु स्पष्टता से चिह्नित होंगे । कार्ड दीप्त होगा या प्रदीप्ति के यथोचित साधन उसमें लगे होंगे ।

5. कार्ड का केन्द्रनीलम या समान रूप से यथोचित कठोर सामग्री का होगा ।

6. कार्ड का धुराग्र इरीडियम या समान रूप से यथोचित कठोर सामग्री का होगा ।

7. द्रव के प्रसार और संकुचन के लिए किये गये प्रबन्ध ऐसे होंगे कम्पास को, लीक, बुलबुलों के निर्माण या अन्य दोषों के बिना, —23° सेन्टीग्रिड से + 49 सेन्टीग्रेड तक के ताप रेंज को सहन कर सके ।

(i) बाउल उन जिम्बलों में पर्याप्त रूप से तौला हुआ और समुचित रूप से रखा होगा जो पोत के आगे पीछे और चौड़ाई की ओर कार्य कर सकेगा ।

(ii) जिम्बल लगाना उसी क्षैतिज समतल में होगा जिसमें कार्ड के निलम्बन का बिन्दु और बाहरी जिम्बल पिनेंआगे पीछे रखी होंगी ।

(iii) बाउल, विनोदिल या अचुम्बकीय सामग्री के कवच में रखा होगा और लुबर लाइन या बिन्दु दीप्त होगा या प्रदीप्ति के यथोचित साधन उसमें लगे होंगे ।

(iv) जब बाउल 10 अंश नत हो तो कार्ड सिस्टम मुक्त रहेगा ।

9. (i) कार्ड के केन्द्र से लुबर लाइन या बिन्दु की दिशा उसी उदग्राधर स्थान में रहेगी जिसमें बाहरी जिम्बल अक्ष या अन्य आगे पीछे दस देखा है ।

(ii) कार्ड, धुराग्र दैशिक और अन्य तत्सम त्रुटियां और लुवर के बिन्दु के त्रुटि-पूर्ण स्थित होने का संकलित प्रभाव ऐसा होगा कि प्रथ्वी के अविक्षुब्ध क्षेत्र में लुवर बिन्दु के सामने कार्ड पर पढ़ी गई दिशा में, बाहरी जिम्बल अक्षकी चुम्बकीय दिशा या आगे पीछे दत्त रेखा से पश्चातवर्ती की किसी दिशा के लिए 3 अंश से अधिक अन्तर नहीं होगा।

10. (i) कम्पास के सन्निर्माण में प्रयुक्त धातु की न्यूनतम मोटाई निम्नलिखित होगी —

कम्पास बाउल . . .	21 S.W.G.
कम्पास बक्स . . .	24 S.W.G.
लैम्प . . .	24 S.W.G.

(ii) (क) कम्पास बाउल जिम्बल पिनों को लेने के लिए दक्ष रूप से मजबूत किया जायेगा ।

(ख) विनैकिता आधार रिंग में स्वैग या स्पन किया जायेगा और चारों तरफ टांका लगा होगा।

(iii) (क) जिम्बल रिंग, वेतल क्रास की या अन्य 16 मि० मी० × 3.1 मि० मि० अन्नम्य अचुम्बकीय धातु की होगी।

(ख) जिम्बल पिनें, नेबल क्रास की या अन्य कठोर अचुम्बकीय सामग्री की 6.2 मि० मि० व्यास की होगी ;

वें और बियरिंग जिसमें वे लगी है दोना ही पूर्णरूप से चिकनी होगी।

11. बाउल के अन्दर का प्वाइंट एक्कोटन का कोई चिह्न नहीं दर्शित करेगा ।

12. सामग्री और कारीगरी आद्योपान्त अच्छी होगी और कम्पास ऐसा होगा जो समुद्र में जाने की दशाओं के अन्तर्गत कार्यदक्ष रहेगा।

13. कम्पास का बाउल बनाने वाले के नाम या अन्य पहचान चिह्न से उत्कीर्ण या स्टाम्पित होगा ।

भाग II

रक्षा नौकाओं और वर्ग ग नौकाओं से भिन्न नौकाओं के किरमिच लंगर

1. हर एक किरमिच लंगर निम्नलिखित अपेक्षाओं के अनुसार होगा :—

(क) वह नम्बर 1 सर्वोत्तम सन किरमिच, या अन्य यथोचित सामग्री से सन्निर्मित होगा ,

(ख) किरमिच भाग साथ-साथ मजबूती से मिला हुआ और जोड़ों पर 44 मि० मी० की पाछ रस्सी से बंधा होगा ; तब रस्से लंगर की सांकर के रूप में बनाये जायेंगे और थिम्बल, सयोजन सिरों में डोरी से बांधे जायेंगे और रस्से पार्सबल्ड कंदे में रोक रस्सी के लिए लगाव बनाने के लिए बिस्तारित होंगे और डोरी से बांधे जाएंगे।

(ग) एक तीनपान, थिम्बल को लेने के लिए यथोचित आकार की एक शैकल द्वारा किरमिच लंगर से संलग्न होगा ।

(घ) तीन पान की लम्बाई, रक्षा नौका या नौका की लम्बाई के तीन गुनी होगी।

(ङ) तीनपान से दो फैदम लंबी एक रोक रस्सी की व्यवस्था की जायेगी।

2. (i) एक वृत्ताकार किरमिच लंगर, मुंह-पर एक जस्तेदार लोहे के हुक सहित लगा होगा ।

(ii) किसी अन्य प्रकार का किरमिच लंगर, मुंह के आरपार जस्तेदार लौहस्प्रेडर से लगा हुआ और ऊपरी किनारे पर एक राख स्प्रेडर से लगा होगा ।

3. किरमिच लंगरों का आकार निम्नलिखित होगा :—

(क) 9 मीटर से अधिक लम्बी रक्षा नौकाओं के लिए वृत्ताकार बन्द होने वाला किरमिच लंगर—मुंह 76 से० मी० ऊपरी किनारा 68 से० मी० नीचला किनारा 68 सें० मि०, प्रत्येक और मुंह का क्षेत्रफल 50 वर्ग डेसीमीटर।

किरमिच थैले की लम्बाई—1.37 मीटर

तीनपान—परिधि में 76 मि० मि० ।

रोक रस्सी—परिधि में 51 मि० मि० ।

(ख) उन रक्षा नौकाओं के लिए जिनकी लंबाई 9 मीटर से अधिक नहीं है—7 मीटर लम्बी किन्तु 9 मीटर से अधिक लम्बी नहीं।

वृत्ताकार किरमिच लंगर—मुंह व्यास 68 से० मी० अवृताकार बन्द होने वाला किरमिच लंगर—मुंह 61 से० मी० प्रत्येक और

किरमिच थैले की लंबाई—1, 2 मीटर

तीनपान—परिधि में 76 मि० मि० ।

रोक रस्सी —परिधि में 51 मि० मि० ।

(ग) रक्षानौकाएं जो 6.7 मीटर से अधिक लम्बी नहीं है और अन्य नौकाओं के लिए (कार्य व नौकाओं से भिन्न)—

वृत्ताकार किरमिच लंगर—प्रत्येक और मुंह से० मी० व्यास।

अवृत्ताकार बन्द होने वाला किरमिच लंगर —

मुंह 55 से० मी० प्रत्येक और

किरमिच थैले की लंबाई 1 मीटर ।

तीन पान—परिधि में 64 मि० मि० ।

रोक रस्सी —परिधि में 3½ मि० मी० ।

भाग III

रक्षा नौकाओं और बचाव तरापों के लिए संकट छतरी—मशाल।

1. (i) हर एक संकट छतरी —मशाल में एक चमकीला लाल तारक होगा जो एक राकेट द्वारा अपेक्षित उंचाई तक प्रक्षिप्त किया जाता है और जो गिरते समय जलता है, इसके गिरने की दर एक छोटी छतरी द्वारा नियंत्रित होने पर 4.5 मी० प्रति सेकेण्ड औसत दर तक हो।

(ii) यह, प्रज्जलन के स्वत: पूर्ण साधनों से लगा होगा, जो इस प्रकार डिजाइन किया गया होगा कि बाहरी सहायता के बिना हस्त धारित स्थिति से प्रचालित हो सके और राकेट को रक्षा नौका, नौका या बचाव तरापा से अधिभोगियों को किसी हानि के बिना छोड़ने ने समर्थ बनाये ।

2. (i) जब राकेट लगभग उध्वार्धर दिना में फायर किया गया हो तो तारक और छतरी, 183 मीटर न्यूनतम ऊंचाई पर प्रक्षेप–पथ के शीर्ष पर या पहले उक्षिप्त होगे ।

(ii) राकेट, समतल से 45 अंश के कोण पर फायर किये जाने पर भी कार्य करने की समर्थ होगा ।

3. (i) तारक, 30 सेकेण्ड से अन्यून के लिए 15000 कडल शक्ति की न्यूनतम दीप्ति से जलेगा ।

(ii) यह, समुद्र तल से 46 मीटर से अन्यन ऊंचाई पर जलेगा ।

4. (i) छतरी ऐसे आकार की होगी जो जलते हुए तारक के गिरने की दर का अपेक्षित नियंत्रण कर सके ।

(ii) यह, तारक से, नग्न अग्नि सह कवच द्वारा संलग्न होगी ।

5. राकेट जलसह होगा और जल में एक मिनट तक निमंजित रहने के पश्चात् उमाधान प्रद रूप से कार्य करने में समर्थ होगा ।

6. सभी संघटक, संरचना और अवयव ऐसे स्वरुप और ऐसी क्वालिटी के होंगे जो कोकम से कम दो वर्ष की कालावधि तक अच्छी औसत भंडारकरण दशाओं के अन्तर्गत इस का उपयोग प्रतिधारित करने में समर्थ बनाये ।

7. (i) राकेट ऐसे आधान में पैक किया होगा जो प्रभावशाली रुप से मुद्राबंद होगा ।

(ii) यदि धातु का बना हो तो आधान अच्छा कलईदार और लैकर किया हुआ या संक्षरण के विरुद्ध अन्यथा पर्याप्तरुप से संरक्षित होगा ।

8. वह जिस तारीख जिसको राकेट भरा गया है राकेट और आधान-पर अमिटरुप से स्टाम्पित होगी ।

9. प्रयोग के लिय स्पष्ट और संक्षिप्त निर्देश अंग्रजी और हिन्दी भाषा में राकेट पर अमिट रुप से मुद्रित होंगे ।

भाग IV

रक्षा नौकाओं और बचाव तरापो के लिय हस्त धारित संकट-मशाल

1. हर एक हस्तधारित संकट-मशाल, प्रज्जलन के स्वत: पूर्ण साधनों से लगी होगी जो इस प्रकार डिजाइन की नयी होगी कि बाहरी सहायता के बिना हस्तधारित स्थिति से प्रचलित हो सके और मशाल को, रक्षा नौका, नौका बचाव तरापे से अधिभोगियों को हानि के बिना संप्रदर्शित होने में समर्थ बनाये ।

2. जहां मशाल, बचाव तरापे में वहन की गई है या इस प्रकार सन्निर्मित होगी कि जब मशाल फायर की जाय तो कोई दाहक पदार्थ जो बचाव तरापे का नुक्सान करे मशाल से नहीं गिरेगा।

3. मशाल 55 सेकंड से अन्यून तक के लिये 15000 कैंडल शक्ति की न्यूनतम दीपित के एक लाल प्रकाश उत्सर्जित करने में समर्थ होगी।

4. मसाल जल सह होगी और एक मिनट तक जल में निमज्जित रहने के पश्चात् समाधानप्रद रूप से कार्य करने में समर्थ होगी ।

5. सभी संघटक, संरचता और अवयव ऐसे स्वरुप और ऐसी क्वालिटी के होंगे जो कि एक रूप से जल और मशाल को कम से कम दो वर्ष की कालावधि तक अच्छी औसत भंडारकरण दशाओं के अन्तर्गत इसका उपयोग प्रतिधारित करने में समर्थ बनाये।

6. वह तारीख जिसको मशाल भरी गयी है अमिट रुपसे स्टाम्पित होगी।

7. प्रयोग के लिय स्पष्ट और संक्षिप्त निर्देश अंग्रेजी और हिन्दी भाषा में मशाल पर अमिट रूपसे मुद्रित होंगे ।

भाग V

रक्षा नौकाओं के लिये उत्पलावन धूम्र संकेत

1. हर एक उत्प्लावन धूम संकेत में, प्रज्वलन के सवत: पूर्ण साधन लगे होंगे ।

2. संकेत, जल पर तैरते समय दो मिनट से अन्यून और चार मिनट से अनधिक की कालावधि के घनी मात्रा में नारंगी रंग वाले धूम्र को उत्सर्जित करने में समर्थ होगा।

3. संकेत जलसह होगा और एक मिनट तक जल में निमज्जित रहने के पश्चात समाधान प्रद रूप से कार्य करने में समर्थ होगा ।

4. सभी संघटक, संरचना और अवयव ऐसे स्वरुप और ऐसी क्वालिटी के होंगे जो कि एक रूप से जले और सकेतको कम से कम दो वर्ष की कालावधि तक औसत भंडारकरण दशाओं के अन्तर्गत इसका उपयोग प्रतिधारित करने में समर्थ बनाये।

5. वह तारीख जिसको संकेत भरा गया है अमिट रुप से स्टापिंत होगी।

6. प्रयोग के लिय स्पष्ट और संक्षिप्त निर्देश अंग्रेजी और हिन्दी भाषा में संकेत पर अमिट रूप से मुद्रित होंगे।

भाग VI

रक्षा नौकाओं के लिय प्राथमिक उपचार उपकरण-बक्स

1. रक्षा नौकाओं में हर एक प्रायमिक उपचार उपकरण बक्स की व्यवस्था होगी जिसमें निम्नलिखित होंगे :—

वस्तु	मात्रा
(क) निपात (शारीरिक शक्ति के ह्रासको नयी चेतना देने वाले (सुगंधित अमोनिया के 6 कैप स्थून)	1 टिन
(ख) यौगिक कोडीन टिकियाएं (टेब० कोडीन क०)	25 टिकियाएं

वस्तु	मात्रा
(ग) स्क्रू टोपी वाले धातु पीपे में, प्रयोग के लिए निर्देश सहित, छः मारफीन एम्पूल सिरींज जिनमें या तो मारफीन लवण जो 1 घन से० मी० में $\frac{1}{2}$ ग्रा० निर्जल मारफीन के समतुल्य हो या 1 घन से० मी० में $\frac{1}{2}$ से० ग्रा० पेपाव-रेटम B.P.C. विलयन हो ।	1 पीपा
(घ) मानक ड्रेसिंग 14 नम्बर की मध्यम B.P.C. 15 से० मी० × 10 से० मी०	2
(ङ) मानक ड्रेसिंग 15 नम्बर की बड़ी BPC 20 सें० मी० × 15 सें०मी०	2
(च) प्रत्यास्थ आसंजक ड्रेसिंग 5 सें०मी० × 8 सें० मी० के तीन तीन के पैकेट	2 पैकेट
(छ) 95 से० मी० चौड़ी 1.25 मीटर आधार के अन्यून की, त्रिकोण, निदर्श चित्र सहित, पट्टियां	2 पैकेट 5
(ज) सफेद, अवशोषक, संपीडित जाली 85 सें० मी० × 2.25 मीटर	3
(झ) संपीडित लपेट पट्टियां—5.6 सें०मी० × 3.5 मीटर	4
(ञ) अविरंजित बिना धुली पट्टी 15 मी० × 5.5 मीटर	1
(ट) संपीडित रुई ऊन 125 ग्राम का पैकेट	1 पैकेट
(ठ) 5 से०मी० पीतल पट्टित, सुरक्षापिन (बक्सूआ)	6
(ड) कोमल पैराफीन 30 ग्राम की ट्यूब	1
(ढ) मोस्वा रहित और जंग-रोधी इस्पात की 10 से० मी0 की कैंची, जिसकी 1 धार तेज, 1 धार कुंद हो	1
(ण) ऊर्जा-टिकियायें (10 मि०ग्रा० एम्फेटैमिन्क सल्फेट)	60 टिकियाएं
(त) सिलिका जैल	1 कैपस्यूल
(थ) लिनेन या जलसह्य कागज पर मुद्रित अंगेजी या हिन्दी भाषा में निर्देश ।	

2. प्राथमिक उपचार उपकरण बक्स, एक आधान में पैक किया जायेगा जो निम्नलिखित अपेक्षाओं के अनुसार होगा :—

(क) यह टिकाऊ आर्द्रता सह और प्रभावशाली रूप से मुद्राबन्द होगा । यह ऐसा युक्ति से मुद्राबंद किया हुआ होगा जो यह उपदर्शित करे कि अन्तर्वस्तुएं सुरक्षित हैं ।

(ख) यह ऐसे कमरे में पैक किया जायेगा जिससे यथासंभव वायुमंडलीय नमी निकाल दी गयी हो ।

(ग) जहां आधान धातु का बना हुआ है, वहां यह अच्छा कलईदार और लेकर किया हुआ होगा और ढक्कन में हैंडल लगा होगा ।

(घ) अन्तर्वस्तुओं की मदवार सूची आधान के बाहर दी जायेगी ।

भाग VII

रक्षा नौकाओं के लिये कर-चल पम्प

हर एक रक्षा नौका कर चल पम्प निम्नलिखित अपेक्षांओं के अनुसार होगा:—

1. जब 1.2 मीटर चूष्ण हेड पर प्रति मिनट 60 डबल स्ट्रोक के अनधिक पर प्रचालित हो तो धारिता निम्नलिखित से अन्यून होगी :—

(क) 7.3 मीटर या उससे अधिक लम्बी रक्षा नौकाओं में 32 लीटर प्रति मिनट, या

(ख) 7.3. मीटर से कम लम्बी रक्षा नौकाओं में 23 लीटर प्रति मिनट ।

2. अपनी प्रसामान्य शुष्क स्थिति में (आन्तारिक ग्रीस या अन्य सहायता को अपवर्जित कर के) पम्प, जब 1.2 मीटर से अन्यून के चूष्ण हेड पर प्रचालित हो तो सरलता से अपक्रमणीय होगा ।

3. पम्प के सभी भाग समुद्र जल में संक्षारक प्रभाव से न प्रभावित होने वाली सामग्री के होंगे ।

4. पंप का अंतर्भाग, जिसमें वाल्व भी सम्मिलित है, आपात सफाई के लिये सरलता से पहुंच योग्य होगा, और पहुंच के लिये ढक्कन, स्पेनर अन्य विशेष औजार के प्रयोग के बिना आसानी से हटाये जा सकने में समर्थ होगा ।

5. पम्प शाखाएं कम से कम 32 मि0मी0 बारे में रबर होज संबंधनों के साथ प्रयोग के लिये यथोचित होगी । प्रचालन हैंडल का धातु भाग, यह निश्चित करने के लिये कि जब पम्प अत्यधिक ठंडक में प्रयुक्त किया जाये तो चालक के हाथ संरक्षित रहे, यथोचित रुप से लकड़ी से भिन्न पदार्थ से आच्छादित होगा । स्पिंडिल ग्लैन्ड, स्पिंग भारित सील रिंग प्रकार का होगा ।

भा —VIII

1. इस भाग के पैरा 2 के उपबंधों के अध्यधीन, बचाव तरापे में व्यवस्थित हर एक प्राथमिक उपचार उपकरण बाक्स में निम्नलिखित होंगे—

वस्तु	मात्रा
(क) मानक ड्रैसिंग 14 नम्बर की मध्यम B.P.C. 15 से0 मी0 × 10 से0 मी0	4
(ख) मान ड्रैसिंग 15 नम्बर की बड़ी 20 से0 मी0 × 15 से0 मी0	4
(ग) 95 से0 मी0 चौड़ी, 1.25 मीटर आधार से अन्यून की, त्रिकोण, निदर्श चित्रसहित पट्टियां	4

वस्तु	मात्रा
(घ) विवृत संग्रथित पट्टियां, B.P.C. 8 से०मी० × 3.5 मीटर	10
(ङ) जले या घाव की ऐन्टीसैप्टिक क्रीम, सेट्रिमाइड B.P. 0·5% W/W 50 ग्राम की ट्यूब	2
(च) मोस्पा रहित और जंग रोधी इस्पात की 10 से०मी० की कैंची, जिसकी 1 धार तेज, 1 धार कुंद हो	1
(छ) स्क्रू टोपी वाले धातु पीपे में, प्रयोग के लिये निर्देश सहित, छः मारफीन एम्बूलसिरीज जिनमे या तो मारफीन लवण जो 1 घन से०मी० में $\frac{1}{4}$ ग्राम निर्जल मारफीन के समतुल्य या 1 घन से०मी० में $\frac{1}{2}$ ग्राम पैपावरेट्म B.P.C. का विलघन हो।	1 पीपा
(ज) लिनेन या जलसह कागज पर मुद्रित अंग्रेजी भाषा में निर्देश	

2. 21.3 मीटर से कम लम्बाई के वर्ग VII के पोतों में हर एक रक्षा नौका में व्यवस्थित प्राथमिक उपचार उपकरण-बक्सकी अन्तर्वस्तुएं, इस भाग के पैरा 1 में सम्मिलित खंड (क) से (ङ) तक में विनिर्दिष्ट मात्राओं की आधी तथा उक्त पैरा के खंड (ब) और (छ) में विनिर्दिष्ट मदों सहित होगी।

3. प्राथमिक उपचार उपकरण बक्स एक आधान में पैक किया हुआ होगा जो टिकाऊ आर्द्रता सह और प्रभावशाली रूप से मुद्रा बन्द किया हुआ होगा। अन्तर्वस्तुओं की मदवार सूची आधान के बाहर दी जायेगी।

तेरहवीं अनुसूची

[नियम 29(9) देखिए]

डेविट और रक्षा नौका अवतरण साधन

भाग I

साधारण

"कार्यकारी भार" की परिभाषा—इस अनुसूची में "कार्यकारी भार" पद से निम्नलिखित अभिप्रेत है—

(क) उन डेविटों के संबंध में जिनकी भाग II के पैरा 1 का खंड (क) लागू होता है, रक्षा नौका इसके पूरे उपस्कर दराबी और रस्से, और व्यक्तियों, प्रत्येक व्यक्ति का भार 75 कि० ग्रा० मापा जाय की अधिकतम संख्या जिसे वहन करने के लिये रक्षा नौका ठीक समझी गई है के भार का योग।

(ख) उन डेविटों और अवतरण के अन्य साधनों के संबंध में जिनका भाग II के पैरा 1 का खंड (ख) या (ग) लागू होता है रक्षा नौका वर्ग ग नौका या अन्य नौका इसके पूरे उपस्कर दराबी और रस्से और दो व्यक्तियों प्रत्यक व्यक्ति का वजन 75 कि० ग्रा० माना जाय से मिलकर बने अवतरण कर्मीदल के भार का योग।

(ग) विंचों के संबंध में अवनमन करने का उत्तोलित करने का नौभरित करने के दौरान विंच पीपे पर रस्से या रस्सों से लगाया गया अधिकतम कर्षण जो किसी भी दशा में डेविट या डेविटों पर कार्यकारी भार को अवनमन करने वाली लप्पी के वेग अनुपात द्वारा विभाजित करके निकाले गये से अन्यून होगा।

भाग II

सन्निर्माण

1. सामर्थ्य

(क) रक्षा नौका में लगा हुआ हर एक डेविट जो इसके व्यक्तियों की पूरी संख्या से भारित होने पर नियम 29 के उपनियम (1) द्वारा अपेक्षित जल में रसे जाने को है अपने विन्च रस्से दराबी और अन्य सभी सहयुक्त अवनमन साधनों सहित ऐसी सामर्थ्य के होंगे कि इसके पूरे उपस्कर और दो व्यक्तियों से अन्यून के अवतरण कर्मी से संयोजित रक्षा नौका अवतरित हो सके और जब पोत 10 अंश की नति रखता है और किसी ओर 15 अंश झुका हुआ है तब व्यक्तियों की पूरी संख्या सहित नौरोहण स्थिति से सुरक्षापूर्वक जल में अवनमित हो सके।

(ख) हर एक यंत्र नियंत्रित एकल-भुज डेविट अपने विंच रस्से दराबी और अन्य सभी सहयुक्त अवनमन साधन सहित ऐसी सामर्थ्य का होगा और प्रचालन गियर ऐसी शक्ति का होगा कि रक्षा नौका पूर्णरूप से उपस्करित और दो सदस्यों के अवतरण कर्मी से संयोजित होने पर अवतरित हो सके और पोत के 25 अंश झुके होने से जल में सुरक्षा पूर्वक अवनमित हो सके ।

(ग) उस डेविट से भिन्न जिसकी सामर्थ्य इस पैरा के खंड (क) और (ख) में विनिर्दिष्ट है डेविटों का हर एक सेट, डेविट या अवतरण के अन्य साधन जिसे रक्षा नौका वर्ग नौका या अन्य नौका संलग्न है अपने विन्च रस्से दराबी और अन्य सहयुक्त अवनयन साधनों सहित ऐसी सामर्थ्य का होगा कि इसके पूर्ण उपस्कर और दो सदस्यों के अवतरण कर्मी से संयोजित रक्षा-नौका वर्ग ग नौका या अन्य नौका जब पोत 10 अंश की नति रखता है और किसी ओर 15 अंश झुका हुआ है तो अवतरित की जा सके और जल में सुरक्षा पूर्वक अवनमित हो सके ।

(घ) डेविटों का हर एक सेट, डेविट या अवतरण के अन्य साधन जिसे रक्षा नौका वर्ग ग नौका या अन्य नौका संलग्न है अपने विंच और सभी सहयुक्त उत्तोलन गियर सहित ऐसे सामर्थ्य के होंगे कि नौका अपने पूरे उपस्कर और कम से कम दो व्यक्तियों से भारित होने पर सुरक्षा पूर्वक उत्तोलित हो सके और नौभरित हो सके और इसके अतिरिक्त आपात रक्षा नौका की दशा में अपने पूरे उपस्कर और 1016 कि० ग्रा० के वितरित भार से भारित होने पर प्रति मिनट 18 मीटर से अन्यून गति से यह सुरक्षा पूर्वक जल से नौरोहण डेक पर उत्तोलित हो सके।

2. गुरुत्व डेविट (i) सभी गुरुत्व डेविट इस प्रकार डिजाइन किये जायेंगे कि जल-यान के सीधे खड़े होने पर और उसके सीधे से किसी ओर 25 अंश तक या उसको सम्मिलित करते हुए झुके होने पर पोत के भीतर से उसके बाहर स्थिति तक सम्पूर्ण डेविट की पूरी चाल के दौरान अवतरण की धनात्मक स्थिति हो।

(ii) उन गुरुत्व प्रकार के डेविट जो रालरों पर मुजारोहण से बने हैं और जो स्थायी रूप से झुकी हुई पटरी पर लगे हैं और चलते हैं की दशा में पटरी जलयान के सीधे खड़े होने पर क्षेतिज से 30° से अन्यून कोण पर झुकी होगी।

3. लीपिंगडेविट—सभी लीपिंग डेविटों के प्रचालन गियर यह सुनिश्चित करने के लिय पर्याप्त शक्ति के होंगे कि पूर्ण रूप से उपस्करित और अवतरण कर्मी संयोजित किन्तु जो अन्य व्यक्तियों से भारित

नहीं है ऐसी रक्षा नौकाएं से वर्ग ग नौकाएं या अन्य नौकाएं कम से कम 15 अंश के झुकाव के विरुद्ध अवतरित हो सकें ।

4. यंत्र नियंत्रित एकल भुज डेविट—किसी यंत्र नियंत्रित एकल भुज डेविट का कार्यकारी भार 1524 कि० ग्रा० से अधिक नहीं होगा ।

5. प्रतिबल :

(क) यंत्र नियंत्रित एकल भुज डेविटों से भिन्न डेविटों की दशा में अधिकतम भार और नति तथा झुकाव की दशाओं के अन्तर्गत प्रचालित होने पर डेविट भुजाओं पर परिकल्पित प्रतिबल, प्रयुक्त सामग्री की क्वालिटी सनिर्माण की रीति और भार की वास्तविक प्रकृति जिसके अधीन डेविट है को दृष्टि में रखते हुये पर्याप्त सुरक्षा प्रदान करेगा ।

(ख) यंत्र नियंत्रित एकल-भुज डेविटों की दशा में अधिकता भार और अनुकूल झुकाव की दशाओं में प्रचालित होने पर डेविट पर परिकल्पित प्रतिबल प्रयुक्त सामग्री की क्वालिटी सन्निर्माण की और भार की वास्तविक प्रकृति जिसके अधीन डेविट हैं को दृष्टि में रखते हुये पर्याप्त सुरक्षा प्रदान करेगा ।

6. स्थापित भार परीक्षण : प्रत्येक डेविट अपनी भुजा सहित सीमा से पूर्णरूप से बाहर होने पर भुजा के द्वारा संभाले गये कार्यकारी भार के उस भाग से 2.2 गुना से अन्यून के स्थैतिक भार परीक्षण को सहने में समर्थ होगा ।

7. डेविट शीर्ष पर संयोजन—डेविट के शीर्ष पर संयोजन जिनसे दराबियां लटकी हुई हैं संयोजनों पर अधिकतम भार के $2\frac{1}{2}$ गुने से अन्युन के प्रमाण भार परीक्षण को सहने में समर्थ होगा ।

8—दराबियां :

(क) (i) रक्षा नौकाओं वर्ग ग नौकाओं या अन्य नौकाओं के उत्तोलन और अवतमन के प्रचालन में प्रयुक्त सभी दराबियां ऐसे डिजाइन की होगी कि पर्याप्त सुरक्षा प्रदान करें ।

(ii) निचली दराबी जब लगी हो तो डगमगाने वाली नहीं होगी और आपात रक्षा नौकाओं की दशा में एकल होने से रस्सों को निवारित करने के लिये व्यवस्था होगी ।

(iii) दराबी का आकार रस्से के आकार के समानुपातिक होगा ।

(ख) (i) धातु दराबी अधिकतम भार के $2\frac{1}{2}$ गुने से अन्यून जिसे वह सेवा में वहन करने के लिये आशायित है के प्रमाण भार परीक्षण को सहने में समर्थ होगी ।

(ii) धातु दराबी चक्रिका और दराबी गल्ल के बीच जिनमें तार रस्से प्रयुक्त है दूरी न्यूनतम व्यावहारिक तक रखी जायगी जो किसी दराबी या अग्रचक्रिका के रिम के ऊपर चढ़ने से राक को निवारित करेगी ।

(iii) दराबियों के, उनकी चक्रिका से भिन्न सघटक भाग तन्य सामग्री के होंगे ।

(ग) एक लकड़ी की दराबी, दराबी पर के भार के $2\frac{1}{2}$ गुने से अन्यून के प्रमाण-भार को सहने में समर्थ होगी — गल्लों के बीच चौड़ाई, जब नया कार्डेज परिधि में 9.6

से० मी० हो तब उसके व्यास से 12.7 मि० मि० अधिक होगी और रस्सी के उससे छोटे होने पर उनकी परिधि के अनुपात में कम होगी ।

9. तार रस्से

(क) रक्षा नौकाओं वर्ग ग नौकाओं या अन्य नौकाओं को अवनयन करने के लिय प्रयुक्त प्रत्येक तार रस्से का मंजनतनन भार अवनमन करने उत्तोलन करने या नौभरन के समय रस्से पर अधिकतम भार के छः गुने से अन्यून होगा ।

(ख) तार रस्से विच के पीपे से मजबूती से संलग्न होंगे और तारों के सिरे संयोजन और अन्य भाग जिनसे रक्षा नौका वर्ग ग नौका या अन्य नौका लटकायी जानी है वे ऐसे संयोजनों और अन्य भागों पर के भार के $2\frac{1}{2}$ गुना से अन्यून प्रमाण–भार को सहने में समर्थ होंग ।

(ग) जहां तार रस्सा पलास या फर रुल से बंधी आई टार्मिनल प्रयोग किये जाते हैं वे सेवा में उन पर रखे भार के $2\frac{1}{2}$ गुने से अन्यून के प्रमाण भार को सहन करने में तब तक समर्थ होंगे जब तक कि तार के प्रत्येक आकार के प्रतिनिधि नमूने जिस पर वे प्रयुक्त किये गये हैं जब वे नष्ट करने के लिए परीक्षित किये जायें, सुरक्षा का कम से कम 5 गुणक दर्शित नहीं करते ।

10. विंच :—

(क) (i) यंत्र नियंत्रित एकल भुज डेविटों से भिन्न डेविटों की दशा में विंच पीपे, दोनों रस्सों को पृथक रखने के लिये और उन्हें तत्सम दर से रस्सी को ढीला करने में समर्थ बनाने के लिए व्यस्थित होंगे ।

(ii) तार रस्से की लपेटन ऐसी होगी कि वे पीपों पर समरुप से लपेटे जायें और अग्र दराबी खांचेदार पीपों के लिए पांच डिग्री और बिना खांचेदार पीपों के लिए तीन डिग्री से अनधिक अग्रता कोण बनाये के लिए, व्यवस्थित होगी ।

(iii) यत्र नियंत्रित एकल भुज डेविटों की दशा में तार रस्से की लीड ऐसी होगी कि रस्सा पीपे पर समरूप से लपेटा जाये ।

(ख) (i) विंच ब्रेक दृढ़ सक्षिमणि का होगा और अवनमन करने की संक्रिया में पूर्ण नियंत्रण और गति को सीमित करेगा ।

(ii) हाथ ब्रेक इस प्रकार व्यवस्थित होगा कि सामान्यतः यह "जारी" स्थिति में हो और जब नियंत्रक हैंडल प्रचलित नही हो रहा तो जारी स्थिति को लौट आता हो ।

(iii) बक-लीवर पर भार, बिना अतिरिक्त दाब के प्रभावशाली रुप से ब्रेक को चालू करने के लिए पर्याप्त होगा ।

(iv) यह सूनिश्चित् करने के लिए कि रक्षा नौका, वर्ग ग नौका या अन्य नौका, सुरक्षा के अनुरूप अवनमन करने की दर को बिना बढ़ाये शीघ्रता से अवनमित की जाती है, तो ब्रेक गियर में अवनमन की गति को स्वतः नियंत्रित करने के लिए साधन सम्मिलित होंगे ।

(v) इस प्रयोजन के लिए स्वचालित ब्रेक इस प्रकार सैट किया जायेगा कि रक्षा नौका को अवनमन गति 18 मीटर और 36 मीटर प्रति मिनट के बीच हो ।

(vi) रक्षा नौका क्रिचों के हाथ ब्रेक यंत्र-रचना में वैवेट गियर लगे होंगे ।

(vii) जहां साध्य हो ब्रेक साधन इस प्रकार स्थित होगा कि क्रिच को प्रचालित करने वाले आदमी को, अवतीर्ण होने की संपूर्ण प्रक्रिया के दौरान रक्षा नौका, वर्ग ग नौका या अन्य नौका को संप्रेक्षण में रखने में समर्थ बनाये परन्तु यह तब जब कि आपात रक्षा नौकाओं की सेवा में लगे क्रिच किसी भी दशा में इस प्रकार रखे होंगे ।

(ग) प्रत्येक क्रिच, भाग 1 की मद (ग) में यथा परिभाषित कार्यकारी भार के 1.5 गुना परीक्षण भार का अवनमन करने और धारण करने में समर्थ होगा ।

(घ) क्रिच इस प्रकार सन्निर्मित होंगे कि क्रैंक हैन्डल रक्षा नौका, वर्ग ग नौका या अन्य नौका के अवनमित होने पर या इसके शक्ति से उत्क्रोलित होने पर, क्रिच के भागों के गतिमान होने से, प्रत्यावर्तित न हों और रस्सों को हाथ से खोलने के लिए व्यवस्था होगी ।

11. **कार्डेज रस्से** — (i) कार्डेज रस्से, सन या किसी अन्य उपयुक्त सामग्री के होंगे और टिकाऊ, न ऐंठने वाले दृढ़ रखे हुए और लचकदार होंगे ।

(ii) वे किसी भी दशा में रस्से के नियत व्यास से 1 से० मी० बड़े छिद्र से, पूरा रूप से पास करने योग्य होंगे ।

(iii) रक्षा नौका, वर्ग ग नौका या अन्य नौका के अवनमन के लिए प्रयुक्त प्रत्येक रस्से का भंजन-भार अवनमन करने या उत्क्रोलन करते समय रस्से पर के अधिकतम भार के 6 गुने से अन्यून होगा ।

(iv) रक्षा नौका रस्से के लिए, परिधि में 6.3 से० मी० से न्यून का रस्सा प्रयुक्त नहीं होगा । सन रस्से के लिए लपेटन रीलें या परत बक्से की व्यवस्था की जायेगी ।

12. **रक्षा स्तम्भ**— (i) उन सभी दशाओं में जहां कार्डेज रस्से प्रयुक्त किये गये हैं किसी रक्षा नौका, वर्ग ग नौका या अन्य नौका के अवनमन के लिए यथोचित रक्षा स्तंभों या समान रूप से अन्य प्रभावशाली साधित्रों की व्यवस्था की जायेगी ।

(ii) ऐसे रक्षा स्तंभ या अन्य साधित्र ऐसे स्थित होंगे कि जो यह सुनिश्चित करें कि उनसे उक्त रक्षा नौका वर्ग ग नौका या अन्य नौका सुरक्षापूर्वक अवनमित हो सकें, और पेयर लीड या अग्र चक्रिका इस प्रकार लगी होगी कि जो यह सुनिश्चित करे कि यह, अवतरण पैंगे की प्रक्रिया के दौरान उत्थापित नहीं होगी ।

भाग III

बोर्ड पर प्रतिष्ठापन के बाद परीक्षण

1. **साधारण**—यह सुनिश्चित करने के लिये परीक्षण किया जायेगा कि डेविटों के संलग्न सभी रक्षा नौकाएं, वर्ग ग नौकाएं या अन्य नौकाएं अपेक्षित उपस्कर से पारित होने

पर नौरोहण स्थिति से सुरक्षापूर्वक और सुगमतापूर्वक पुनः नौभरित की जा सकें, और इस प्रकार भारित होने पर रक्षा नौका, वर्ग ग नौका या अन्य नौका, जब अभिमुक्त हो तो विंच, रस्से, दराबी और अन्य सहयुक्त गियर के घर्षण प्रतिरोध के विरुद्ध जल में गुरुत्व अवनमित हो सकें।

2. **अवनमन परीक्षण**——

(क) डेविटों का प्रत्येक जोड़ा जिनको भाग II के पैरा (i) का खण्ड (क) लागू होता है और कोई सहयुक्त रक्षा नौका विंच और उनके ब्रेक निम्नलिखित परीक्षण सहने में समर्थ होंगे :—

डेविटों के प्रत्येक सैट में रक्षा नौका, इन नियमों द्वारा अपेक्षित उपस्कर से भारित, नौरोहण डेक से जल में अवतीर्ण होगी और व्यक्तियों की पूरी संख्या जिसे स्थान देने के लिए यह ठीक समझी गई है तथा 10 प्रतिशत कार्यकारी भार के बराबर वितरित भार, मौसम में खुले विंच ब्रेक, गीले ब्रेक तल सहित पूर्ववर्ती परीक्षण सहन करने में समर्थ होंगे।

(ख) उन डेविटों की दशा में जिनको भाग II के पैरा (i) का खण्ड (ख) या (ग) लागू होता है, रक्षा नौका, वर्ग ग नौका या अन्य नौका, इन नियमों द्वारा अपेक्षित उपस्कर और दो व्यक्तियो के अवतरण कर्मीदल के भार तथा 10 प्रतिशत कार्यकारी भार बराबर वितरित भार सहित जल में अवनमित की जायेगी।

(ग) खंड (क) और (ख) के अन्तर्गत अपेक्षित परीक्षा के प्रयोजन के लिए एक व्यक्ति का भार 75 कि०ग्रा० माना जायेगा।

3. **आपात रक्षा नौकाओं के लिए उत्थापन परीक्षण**——आपात रक्षा नौकाएं जिनमें इन नियमों द्वारा पुनः प्राप्ति के लिए विंचों से मुक्त होने की अपेक्षा के, इस भाग के पैरा 2 द्वारा पेक्षित परीक्षणों के अतिरिक्त, जल के नौरोहण डेक तक, अधिकतम उत्थापन गति से, इन नियमों द्वारा अपेक्षित उपस्कर और 1016 कि०ग्रा० के वितिरित भार मे कुल दस प्रतिशत उत्थापन भार जोड़ कर, जिसमें दराबी और रस्से भी सम्मिलित हैं। उनके सहित आपात रक्षा नौका के उत्थापन द्वारा परीक्षित की जायेगी।

चौहदवीं अनुसूची

[नियम 29 (16) देखिये]

रक्षा नौका को खोलने वाले साधन

1. रक्षा नौका को खोलने वाले साधन इस प्रकार व्यवस्थित होंगे जिससे रक्षा नौका के दोनों सिरों की एक साथ निर्मुक्ति सुनिश्चित हो।

2. निर्मुक्ति सम्पन्न करने वाले साधन पीछे रखे होंगे।

3. साधन इस प्रकार का होगा जो रक्षा नौका की निर्मुक्ति, जब यह जल वाहित हो, करेगा।

4. साधन इस प्रकार का होगा जो, यदि शृंखला या रस्सों पर नौकर्षण तनाव हो तो निर्मुक्ति करे।

5. हुक, ऐसे यथोचित प्रकार के होंगे कि हाथ से तुरंत खोले जा सकें।

6. हुक के दराबी की आई, छल्ला या श्रृंखला से लगाव स्थान उसके स्थान से नीचे नहीं होंगे जहां साधारण स्थायी हुक लगे हों।

7. साधन और निर्मुक्ति सम्पन्न करने के लिये यंत्रावली इस प्रकार सन्निर्मित और व्यवस्थित होगी जो बिना किसी सुरक्षा पिन के रक्षा नौका की सुरक्षा निश्चित करे।

8. (क) (i) निर्मुक्ति सम्पन्न करने के लिये साधन, कर्षण द्वारा या रस्सी छोड ने द्वारा या उत्तोलक प्रयोग करने के द्वारा होंगे। यदि निर्मुक्ति रस्सी के कर्षण द्वारा संपन्न की जाती है तो रस्सी समुचित रुप से सन्दूक में रखी होगी।

(ii) जब कभी, साधन की सुरक्षा के लिये या दक्षता पूर्ण कार्य के लिये या क्षति से व्यक्तियों के संरक्षण के लिये, आवश्यक हो तो हुकों के बीच और अन्य संयोजन भी संदूक में रखे होंगे।

(ख) फेयरलीड, रस्सियों को निपिंग और जाम होने से निवारित करने के लिये समुचित रुप से व्यवस्थित होंगे और रक्षा नौका के स्थायी भागों से मजबूती से संलग्न होंगे। जहां दक्षता के लिये आवश्यक है रस्सियां कड़ियों से लगी होंगी।

9. साधन के ऐसे भाग, जिनके जंग या संक्षारण से अन्यथा जकड़ जाने की संभावना है असंक्षारणीय धातु के बने होंगे।

10. रक्षा नौका का भार उठाने वाले साधन का कोई भाग ढलवां धातु से नहीं बना होगा।

11. सभी भाग जो रक्षा नौका का भार संभालते हैं उनका घटक माप और अनुपात, सर्वाधिक भार वाली रक्षा नौका, जिसमें साधन का लगा होना आशयित है उसके भार के कम से कम 2½ गुना भार के आनुपातिक भंजन सामर्थ्य की व्यवस्था करने के लिये डिजाइन किया जायगा।

पंद्रहवीं अनुसूची

[नियम 2 (ज) और 30 (2) देखिये]

बचाव तरापा अवतरण साधित्र

1. **कार्यकारी भार की परिभाषा**--इस अनुसूची में कार्यकारी भार पद से :--

बचाव तरापा और इसके उपस्कर, सभी अन्य सहयुक्त गियर जो अवतरण की संक्रिया के दौरान अवतरण साधित्र द्वारा संभाले गये हैं और व्यक्तियों, प्रत्येक व्यक्ति का भार 75 कि० ग्रा० माना जाये की अधिकतम संख्या जिसे वहन करने के लिय बचाव तरापा ठीक समझा गया है के भार का योग, अभिप्रेत है।

2. सामर्थ्य:--हर एक बचाव तरापा अवतरण साधित्र और सभी सहयुक्त गियर जो, अवतरण संक्रिया के दौरान कार्यकारी भार या कार्यकारी भार के कारण अधिरोपित कुल भार के अध्यधीन है व ऐसी सामर्थ्य के होंगे कि बचाव तरापा तब व्यक्तियों की पूरी संख्या और उपस्कर से भारित हो तो जब पोत 10 अंश नति रखता है या किसी और 15 डिग्री झुका हुआ है तो सुरक्षापूर्वक अवनमित हो सके।

3. सन्निर्माण-- (i) हर एक बचाव तरापा अवतरण साधित्र का प्रत्येक भाग ऐसा होगा कि जब साधित्र, कार्यकारी भार और झुकाव तथा नति की अनुकूल दशाओं के अंतर्गत

प्रचलित है तो यह, प्रयुक्त सामग्री सन्निमाण की रीति और इसके कार्य की प्रकृति को ध्यान में रखते हुये सुरक्षा का पर्याप्त उपादान रखेगा ।

(ii) अग्र चन्द्रिका और दराबी चन्द्रिका के सिवाय साधित्र सभी भाग और इसके सहयुक्त गियर जो कार्य कारी भार के अध्यधीन है या जिस पर अवतरण की प्रक्रिया में सचिव या बचाव तरापे की सुरक्षा निर्भर करती है व तन्य धातु से सन्निर्मित होगे और अग्र चन्द्रिका और दराबी चन्द्रिका, से भिन्न कोई भाग ढलवां धातु से तब तक सन्निर्मित नहीं होगा जब तक केन्द्रीय सरकार इस प्रकार अनुज्ञा नहीं देती है ।

4. **स्थैतिक भार परीक्षण**—हर एक बचाव तरापा अवतरण साधित्र, कार्यकारी भार के 2.2 गुना से अन्यून के स्थैतिक भार परीक्षण को सहन करने में समर्थ होगा ।

5. **प्रचालन**:—

(क) हर एक बचाव तरापा अवतरण साधित्र इस प्रकार डिजाइन किया गया होगा कि इस पर व्यक्तियों की पूरी संख्या और उपस्कर से भारित होने पर बचाव तरापा जल में सुरक्षापूर्वक अवनमित हो सके ।

(ख) बचाव तरापा के अवनमत की गति, प्रतिमिनट 18 मीटर से अन्यून और प्रतिमिनट 30 मीटर से अनधिक पर स्वतः नियंत्रित होगी और उसी समय बचाव तरापे का अवतरण प्रचालक के हस्त नियंत्रण होगा ।

(ग) (i) अवतरण साधित्र का प्रचालन केवल हाथ के प्रयत्न या गुरुत्व से भिन्न साधनों के प्रयोग पर ही पूर्णतः निर्भर नहीं होगा ।

(ii) इंतजाम एसा होगा कि बचाव तरापा गुरुत्व से अवनमित हो सके

(घ) इंतजाम ऐसा होगा कि जल वाहित होने पर बचाव तरापा अवतरण साधित्र से स्वतः निर्मुक्त होगा और बचाव तरापों के बोर्ड पर व्यक्ति द्वारा बचाव तरापे की हस्त नियुक्ति के लिए व्यवस्था होगी ।

(ङ) जब तरापा अवतरण साधित्र में विच हों तो विच तेरहवीं अनुसूची के भाग II के पैरा 10 के अनुसार संनिर्मित होंगे ।

6. **अवनमनपरीक्षण**—जब बचाव तरापा इसके पूर्ण उपस्कर और व्यक्तियों की पूरी संख्या जिसे स्थान देने के लिए यह ठीक समझा गया हो उसमे जल मे नौरोहण स्थिति कार्यकारी भार के 10 प्रतिशत को जोड़कर उसके बराबर वितरित भार से भारित हो कर हर एक बचाव तरापा अवतरण साधित्र सबसे बड़े बचाव तरापे के अवनमन से परीक्षित किया जायेगा जिसके लिए यह आशयित है ।

7. **प्रचालन परीक्षण**—(i) यह सुनिश्चित करने के लिये परीक्षा किया जायेगा कि अवतरण साधित्र से युक्त कोई बचाव तरापा जब केवल इसके उपस्कर से भारित हो तो जल में गुरुत्व द्वारा अवतीर्ण हो सके

(ii) यदि एक से अधिक बचाव तरापा किसी अवतरण साधित्र से अवतीर्ण किया जाये तो प्रभावशाली आनुक्रमिक अवतरण निर्देशित किया जायेगा ।

सोलहवीं अनुसूची

[नियम 37 (1) देखिये]

पोत की संकट-मशाल

1. हर एक पोत की संकट छतरी मशाल एक चमकीले लाल तारक से मिलकर बनेगी जो राकेट द्वारा अपेक्षित ऊंचाई से प्रक्षिप्त की जायेगी और जो गिरते समय जले इसके गिरने की दर प्रति सेकेंड 5 मीटर की औसत दर तक छतरी द्वारा नियंत्रित हो ।

2. (i) जब राकेट लगभग उर्ध्वाधरत: फायर किया गया हो तो तारक और छतरी, 229 मीटर की न्यूनतम उंचाई पर प्रप-पर्क्षेय के शीर्ष पर या सामने उत्क्षिप्त होंगे;

(ii) इसके अतिरिक्त राकेट क्षितिज से 45 अंश के कोण पर फायर किये जाने परकार्य करने मे समर्थ होगा ।

3. (i) तारक 40 सेकेंड से अन्यून के लिए, 30,000 केन्डल शक्ति की न्यूनतम बीप्ति से जलेगा ।

(ii) यह समुद्र तल से 46 मीटर से अन्यून ऊंचाई पर जलेगा ।

4. (i) छतरी ऐसे आकार की होगी कि जलते हुए तारक के गिरने की दर के अपेक्षित नियंत्रण की व्यवस्था करे ।

(ii) यह नम्य अग्निसह कवच द्वारा तारक से संलग्न होगी ।

5. (i) राकेट किसी यथोचित रीति से प्रज्वलित हो सकेगा ।

(ii) यदि सेफटी फ्यूज द्वारा वाह्य प्रज्वलन किया गया है तो सेफटी फ्यूज का बाहरी सिरा दिया सलाई संरचना से अस्तर लगे हुए धातु पर जल से ढके हुए होंगे और एक पृथक स्ट्राइकर प्रत्येक राकेट से यथोचित रुप से संलग्न होगा ।

6. दियासलाई संरचना, स्ट्राइकर सरचना फर रुअ और राकेट की समस्त वाह्य सतह जलसह होगी ।

7. राकेट एक मिनट तक जल में निमंजित रहने के पश्चात् और हिलाने से, लगे हुए जल के हटाने के पश्चात् समुचित रुप से कार्य करने में समर्थ होगा ।

8. सभी संघटक संरचना और अवयव ऐसे स्वस्थ और एसी क्वालिटी के होंगे जो राकेट को कम से कम दो वर्ष की कालावधि तक अच्छी औसत भंडार करण दशाओं के अन्तर्गत इसका उपयोग प्रतिधारित करने में समर्थ बनाये ।

9. (i) राकेट ऐसे आधान में पैक किया होगा जो टिकाऊआर्द्रता सह और प्रभावशाली रुप से मुद्राबन्द होगा ।

(ii) यदि धातु का बना हो तो आधान अच्छा कलाईदार और लेकर किया हुआ या संक्षारण के विरुद्ध अन्यथा पर्याप्त रुप से संरक्षित होगा ।

10. वह तारीख जिसको राकेट भरा गया है राकेट और आधान पर अमिट रुप से स्टाम्पित होगी ।

11. प्रयोग के लिए स्पष्ट और संक्षिमयुत निर्देश अंग्रेजी और हिन्दी भाषा में राकेट पर अमिट रुप से मुद्रित होंवे ।

[सं० 30-एम०डी० (13)/76-एम एल]

जगदीश चन्द्र जटली, उपसचिव ।

MINISTRY OF AGRICULTURE

(Department of Food)

New Delhi, the 21st June 1971

G.S.R. 969.—In pursuace of section 12A of the Essential Commodities Act, 1955 (10 of 1955), the Central Government hereby makes the following further amendments in the notification of the Government of India in the late Ministry of Food and Agriculture (Department of Food) No. G.S.R. 1842, dated the 24th December, 1964, namely:—

(i) In Schedule II to the said notification, Serial No. 46H and the entry relating thereto shall be omitted;

(ii) after Serial No. 46N, the following Serial Nos. shall be inserted, namely:—

(1)	(2)	(3)
"46-O		The Maharashtra Hydrogenated Vegetable Oils Dealers Licensing Order, 1970.
46P		The Maharashtra Scheduled Food-grains (Trade Monopoly) Order, 1970."

[No. 203(GEN)(5)/42/71-PY-II.]

S. K. KAYAL, Under Secy.

कृषि मन्त्रालय

(खाद्य विभाग)

नई दिल्ली, 21, जून 1971

सा० का० नि० 969.—आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 (1955 का 10) की धारा 12 क के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार, भारत सरकार के भूतपूर्व खाद्य और कृषि मन्त्रालय (खाद्य विभाग) की अधिसूचना संख्या सा० का० नि० 1842, तारीख 24 दिसम्बर, 1964 में एतद्द्वारा निम्नलिखित और आगे संशोधन करती है, अर्थात् :—

उक्त अधिसूचना की अनुसूची-2 में—

(i) क्रम सं० 46ज और उस से सम्बन्धित प्रविष्टि का लोप किया जाएगा ;

(ii) क्रम सं० 46ढ के पश्चात्, निम्नलिखित क्रम संख्यांक अन्तःस्थापित किए जाएंगे, अर्थात् :—

(1)	(2)	(3)
"46 ण	महाराष्ट्र हाइड्रोजनीकृत अनुज्ञापन आदेश, 1970	वनस्पति तेल व्यवहारी
46 त	महाराष्ट्र अनुसूचित खाद्यान्न आदेश, 1970"।	(व्यापार एकाधिकार)

[सं० 203 (साधारण) (5)/42/71-पी. वाई.-II]

एस० के० कयाल, अवर सचिव।

DEPARTMENT OF COMMUNICATIONS

(Posts and Telegraphs Board)

New Delhi, the 14th June 1971

G.S.R. 970.—In exercise of the powers conferred by section 10 of the Indian Post Office Act, 1898 (6 of 1898), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Indian Post Office Rules, 1933, namely:—

(1) These rules may be called the Indian Post Office (Sixth Amendment) Rules, 1971.

(2) They shall come into force on the 1st day of July, 1971.

2. In rule 6 of the Indian Post Office Rules, 1933, for the Schedule and Lists of countries thereunder, the following Schedule and Lists of countries shall be substituted, namely:—

"SCHEDULE

Destination	Rates of air mail fee for each 10 grams or fraction thereof (payable in addition to surface postage				Rates of postage inclusive of of air mail fee.			
	Letters		Printed papers (including newspapers) literature for the blind and small packets		Postcards		Aerogrammes	
	Rs.	P.	Rs.	P.	Rs.	P.	Rs.	P.
(a) Afghanistan and Burma	0	25	0	10	0	65	0	75
(b) Ceylon	0	15	0	10	0	20	0	25
(c) Maldive Islands	0	15	0	10	0	65	0	75
(d) Pakistan	0	25	0	10	0	20	0	25
(e) Countries and places included in List I below.	0	35	0	15	0	75	0	85
(f) Countries and places included in List II below.	0	65	0	25	0	75	0	85
(g) Countries and places included in List III below.	0	80	0	30	0	75	0	85
(h) Countries and places included in List IV below.	1	15	0	40	0	75	0	85

List I

Abu Dhabi, Angola, Bahrain, Cambodia, China, Dubai, French Territory of Afars and Issas, Hongkong, Indonesia, Iran, Iraq, Kuwait, Laos, Macao, Malaysia, Muscat and Oman, Philippines, North Borneo, Qatar, Sarawak, Saudi Arabia, Sharjah, Singapore, Somali (Republic), Southern Yemen, Thailand, Vietnam (South), Vietnam(North) and Yemen.

List II

Albania, Algeria, Austria, Brunei, Belgium, Botswana, Bylorussia, Cyprus, Czechoslovakia, Denmark, Eritrea, Ethoipia, Finland, France, Germany(Democratic Republic), Germany(Federal Republic), Gibraltar, Great Britain and Northern Ireland, Greece, Hungary, Israel, Italy, Ireland(Republic), Japan, Jordan, Kenya, Korea(North), Korea(South), Lebanon, Libya, Luxemburg, Malagasy(Madagascar), Malawi, Malta, Mauritius, Mongolia, Mozambique, Netherlands, Poland, Portuguese East Africa, Ruanda, Rasal Khaimah, Seychelles, South Africa, Sudan, Switzerland, Syria, Tanzania, Tunisia, Turkey, United Arab Republic(Egypt), Uganda, Union of Soviet Socialist Republics, Vatican City, Yugoslavia, Zambia(Republic) and Zanzibar.

List III

Australia, Bulgaria, Cameroon, Dahomey, Ghana, Iceland, Ivory Coast, Lesotho, Leichtenstein, Monaco, Morocco, Marian Islands, Mali, Nigeria, Norway, Nauru, Portuguese Guinea, Portuguese Timor, Portugal, Rumania, Reunion, South West Africa, Swaziland, Sierra Leone, Spain, Sweden, Togo and Ukraine.

List IV

Argentina, Ascension, Bahamas, Barbados, Bermudas, Bolivia, Brazil, Burundi, British Honduras, Cape Verde Islands, Caroline Islands, Central African Republic, Chai, Congo(Democratic Republic), Congo(People's Republic), Canada, Cayman Islands, Chile, Colombia, Cook Islands, Costa Rica, Cuba, Dominica, Dominican Republic, Ecuador, El Salvador, Falkland Islands, Fiji, French Guiana, French Polynesia, French West Indies, Gambia, Gilbert and Ellice Islands, Gabon, Grenada, Guam, Guatemala, Guinea(Republic), Guyana, Haiti, Honduras (Republic), Hawaii, Jamaica, Liberia, Leeward Islands, Marshall Islands, Martinique, Mauritania, Mexico, New Hebrides, Norfolk Islands, Netherland Antilles, New Caledonia, New Guinea Territory, New Zealand, Nicaragua, Niger, Papua, Panama (Canal Zone), Panama (Republic), Paraguay, Principe and St. Thomas, Peru, Puerto Rico, Pitcairn Islands, Rhodesia, San Marino, Senegal, Santa Cruz Islands, Samoa, Solomon Islands, Spanish West Africa, Spanish Guinea, St. Halena, St. Lucia, St. Pierre and Miquelon, Surinam, St. Vincent, Tonga, Tortola, Trinidad and Tobago, Tristan Da Cunha, Turks and Caicos Islands, United States of America, Uruguay, Upper Volta, Venezuela, Virgin Islands(British), Virgin Islands(U.S.A.), Wallis and Futuna."

[No. 10/1/70-DA.]

M. S. RAGHAVAN,
Assistant Director General(CF).

संचार विभाग

(डाक-तार बोर्ड)

नई दिल्ली 14 जून, 1971

सा०का०नि० 970.—1898 (1898 का 6) के भारतीय डाकघर अधिनियम की धारा 10 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार ने 1933 के भारतीय डाक घर नियमों में आगे संशोधन करने के लिए निम्नवर्ती नियम बनाये हैं, यथा :—

(1) इन नियमों को 1971 के भारतीय डाकघर (छठा संशोधन) नियम कहा जाए ।

(2) ये 1 जुलाई, 1971 को लागू होंगे ।

2. 1933 के भारतीय डाकघर नियमों के नियम 6 में अनुसूची के लिए तथा उसके अन्तर्गत देशों की सूचियों के स्थान पर निम्नवर्ती अनुसूची तथा देशों की सूचियां प्रतिस्थापित की जाएंगी, यथा :—

"अनुसूची

गन्तव्य स्थान	प्रत्येक 10 ग्राम अथवा अंश के लिए (जल-थल मार्ग डाक-प्रभार के अतिरिक्त देय) हवाई डाक शुल्क की दरें		हवाई डाक शुल्क को मिलाकर डाक प्रभार की दरें	
	पत्र	छपे कागज (समाचार पत्र सहित) अन्य साहित्य तथा छोटे पैकटों के लिए	पोस्टकार्ड	एरोग्राम
	रु० पै०	रु० पै०	रु० पै०	रु० पै०
(क) आफगानिस्थान व ब्रह्मा .	0–25	0–10	0–65	0–75
(ख) श्रीलंका . . .	0–15	0–10	0–20	0–25
(ग) मालदीव द्वीप समूह .	0–15	0–10	0–65	0–75
(घ) पाकिस्तान . .	0–25	0–10	0–20	0–25
(ङ) नीचे सूची 1 में सम्मिलित देश व स्थान . . .	0–35	0–15	0–75	0–85
(च) नीचे सूची II में सम्मिलित देश व स्थान . . .	0–65	0–25	0–75	0–85
(छ) नीचे सूची III में सम्मिलित देश व स्थान . . .	0–80	0–30	0–75	0–85
(ज) नीचे सूची IV में सम्मिलित देश व स्थान . .	1–15	0–40	0–75	0–85

सूची I

अबूधाबी, अंगोला, बहरैन, कम्बोडिया, चीन, दुबई, अफारस व ईसास का फ्रांस क्षेत्र, हांग कांग, इन्डोनेशिया, ईरान, ईराक, कुवैत, लाओस, मकाओ, मलयेशिया, मसकट व ओमन, फिलीपीन, नार्थ बोर्निया, कतार, सरबक, सऊदी अरब, शरजाह, सिंगापुर, सोमाली (गणतंत्र), दक्षिण यमन, थाइलैंड, वियतनाम (दक्षिणी), वियतनाम (उत्तर) तथा यमन ।

सूची II

अलबानिया, अलजीरिया, आस्ट्रिया, बूने, बैलजियम, बोतसवाना, बाइलो रूस, साईप्रस, जैकोस्लोवाकिया, डैनमार्क, एरिटरी, इथोपिया, फिनलैंड, फ्रांस, जर्मनी (प्रजातंत्र गणराज्य), जर्मनी (फैडरल गणतंत्र), जिबराल्टर, ग्रेटब्रिटेन व उत्तरी आयरलैंड, ग्रीस, हंगरी, इसरायल, इटली, आयरलैंड (गणतंत्र) जापान, जोर्डन, कैनया, कोरिया (उत्तरी) कोरिया दक्षिणी, लेबानन, लिबया, लकसम बर्ग, मलगासी (मैडगास्कर), मलावी, मालटा, मौरीसस, मगोलिया, मौजेम्बीक, नीदरलैंडस, पोलैंड, पुर्तगाली पूर्वी आफ्रीका, रुवांडा, रसल खेमा, सैकलस, दक्षिण अफ्रीका, सूडान, स्विटजर लैंड, सीरिया, तंजानिया, ट्यूनीशिया, तुर्की, संयुक्त अरब गणराज्य (मिश्र), युगांडा, सोवियत समाजवादी गणराज्य संघ, वेटिकनसिटी, यूगोस्लाविया, जमबिया (गणतंत्र) जनजिबार ।

सूची III

आस्ट्रेलिया, बलगेरिया, कमेरुन, दहोमे, घाना, आयसलैंड, आइवरी कोस्ट, लैसोथो, लैखतेशतीन, मोनाको, मोरोक्को, मरियान द्वीप समूह, माली, नाइजीरिया, नार्वे, नोरू, पुर्तगाली गिनी, पुर्तगाली तिमोर, पुर्तगाल, रुमानिया, रीयूनियन, दक्षिण पश्चिम अफ्रीका, स्वाजीलैंड, सीरालियोम, स्पेन, स्वीडन, तोगो, यूक्रेन ।

सूची IV

अर्जेन्टीन, अर्सेशन, बाहनाज, गरबादोस, बरमूदास, बोलिविया, ब्राजील, बरुंडी, ब्रिटिश होंद्रास, कैप वर्देद्वीप, कैरोलीनद्वीप, केन्द्रीय अफ्रीका गणतंत्र, चद, कांगो (प्रजातंत्र गणतंत्र), कांगो (जनगणतंत्र), कनाडा, कैमेनद्वीप, चिल्ली, कोलंबिया, कुकद्वीप, कोस्टारीका, क्यूबा, डोमिनीका, डानिनीक गणतंत्र, इक्वेडोर, एलसालवेडोर, फाक्लैंड द्वीप, फीजी, फ्रांसीसी गिनी, फ्रांसीसी पालीनेशिया, फ्रेंसीसी वेस्टइंडीज, गाम्बिया, गिलबर्ट व एलिस द्वीपसमह, गाबन, ग्रैनडा, गवाम, गाटेमाला, गिनी (गणतंत्र), गोयाना, हैटी, होंडुरास (गणतंत्र), हवाई, जमेका, लाइबेरिया, लीवर्ड द्वीप, मार्शलद्वीप, मार्टिनीक, मोरिटानिया, मैक्सिको, न्यूहैब, राइडस, नारफोक द्वीप, नीदर लैंड, एन्टीलस, न्यू कालेडोनिया, न्यू गिनी टैरीटरी, न्यूजीलैंड, निकारागुवा, नाइजर, पपुआ, पनामा (नहरी क्षेत्र), पनामा (गणतंत्र), पैराग्वे, प्रिंसाइप व सैंट थामस, पीरु, पबैडोरीको, पिटकारिन द्वीप, रोडेशिया, सेन मैरिनो, सैनेगस, सांता कुजद्वीप, समोआ, सोलोमन द्वीप, स्पेनिश पश्चिम अफ्रीका, स्पेनिश गिनी, सैंट तेलेना, सैंट लूशिया, सैंट पैरे व निकलोन, सुरीनम, सैंट विसेंट, टोगा, डोटूटोला, त्रिनिदाद व टोयागो, त्रिस्तान डा कुनहा, तुर्क व कई कोस द्वीप, संयुक्त राज्य अमेरिका, यूरुग्वे, अपर वोल्टा, वैनेजुला, वर्जिन द्वीप (ब्रिटिश), वर्जिन द्वीप (अमेरिका), वालिस व फुतूना ।

[10-1/70-डी०ए०]

एम० एस० राघवन,
सहायक महानिर्देशक (सी० एफ०)

(Posts and Telegraphs Board)

New Delhi, the 18th June 1971

G.S.R. 971.—In exercise of the powers conferred by section 7 of the Indian Telegraph Act, 1885 (13 of 1885), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Indian Telegraph Rules, 1951, namely:—

1. (1) These rules may be called the Indian Telegraph (Third Amendment) Rules, 1971.

(2) They shall come into force on the 1st day of July, 1971.

2. In the Indian Telegraph Rules, 1951, in rule 493, in item (b) of sub-rule (10) the following shall be inserted at the end, namely:

"(C) The installation charges shall be Rs. 30 for a set of telex attachments. Similar charge shall also be levied for installing attachments on teleprinter circuits at each end."

[No. 4-32/67-R.]

D. N. PANEMANGALORE,

Controller of Telegraph Traffic.

(डाक और तार बोर्ड)

नई दिल्ली, 18 जून 1971

सा० का० नि० 971.—भारतीय तार अधिनियम, 1885 (1885 का 13) की धारा 7 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार भारतीय तार नियम 1951 में और आगे संशोधन करने के लिए एतद्द्वारा निम्नलिखित नियम, बनाती है, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों का नाम भारतीय तार (तीसरा संशोधन) नियम, 1971 होगा।

(2) ये नियम 1971 के जुलाई के प्रथम दिन को प्रवृत्त होंगे ।

2. भारतीय तार नियम 1951 के नियम, 493 के उपनियम (10) को मद (ख) के अन्त में निम्नलिखित अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"ग" संयोजन के एक सेट के लिए टेलेक्स प्रतिष्ठापन प्रभार 30/— होगा । टेलीप्रिंटर परिपथों पर प्रत्येक सिरे पर, संयोजन प्रतिष्ठापित करने के लिए ऐसा ही प्रभार उद्गृहीत किया जाएगा ।

[सं० 4—32/67—आर]

डी० एन० पाने मंगलोर,

नियंत्रक, तार परियात ।

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue and Insurance)

CUSTOMS AND CENTRAL EXCISE

New Delhi the 26th June 1971

G.S.R. 972.—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 75 read with sub-section (3) of section 160, of the Customs, Act, 1962 (52 of 1962) and section 37 of the Central Excises and Salt Act, 1944 (1 of 1944), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Customs and Central Excise Duties Export Drawback (General) Rules, 1960, namely:—

1. These rules may be called the Customs and Central Excise Duties Export Drawback (General) 34th Amendment Rules, 1971.

2. In the First Schedule to the Customs and Central Excise Duties Export Drawback (General) Rules, 1960, Serial No. 70 and the entries relating thereto shall be omitted.

[No. 37/F. No. 600/70/71-DBK.]

वित्त मंत्रालय

(राजस्व और बीमा विभाग)

सीमा शुल्क और केन्द्रीय उत्पाद शुल्क

नई दिल्ली, 26 जून 1971

सा०का०नि० 972.—सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 160 की उपधारा (3) के साथ पठित धारा 75 की उपधारा (2) और केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और नमक अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की धारा (137) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार, सीमा शुल्क और केन्द्रीय उत्पाद शुल्क निर्यात वापसी (साधारण) नियम, 1960 में और आगे संशोधन करने के लिए एतद्द्वारा निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् –

1. इन नियमों का संक्षिप्त नाम सीमा शुल्क और केन्द्रीय उत्पाद शुल्क निर्यात वापसी (साधारण) 34वां संशोधन नियम, 1971 होगा।

2. सीमा शुल्क और केन्द्रीय उत्पाद शुल्क निर्यात वापसी (साधारण) नियम, 1960 की प्रथम अनुसूची में क्रम संख्या 70 और उससे संबंधित प्रविष्टियों को निकाल दिया जाएगा।

[स० 37/फा० सं० 600/70/71-डी बी क०]

G.S.R. 973.—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 75, read with sub-section (3) of section 160, of the Customs Act, 1962 (52 of 1962) and section 37 of the Central Excises and Salt Act, 1944 (1 of 1944), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Customs and Central Excise Duties Export Drawback (General) Rules, 1960, namely:—

1. These rules may be called the Customs and Central Excise Duties Export Drawback (General) 35th Amendment Rules, 1971.

2. In the Customs and Central Excise Duties Export Drawback (General) Rules, 1960, in the First Schedule, after Serial No. 141 and the entries relating thereto, the following shall be inserted, namely:—

"142 Leather Pickers Rs 4.37 per Gross."

[No. 38/F. No. 225/7/69-DBK.]

सा०का०नि० 973.—सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 160 की उपधारा (3) के साथ पठित धारा 75 की उपधारा (2) और केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और नमक अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की धारा 37 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार सीमा शुल्क और केन्द्रीय उत्पाद शुल्क निर्यात वापसी (साधारण) नियम, 1960 में और संशोधन करने के लिए एतद्द्वारा निम्नलिखित नियम बनाती हैं, अर्थात्–

1. इन नियमों का नाम सीमा शुल्क और केन्द्रीय उत्पाद शुल्क निर्यात वापसी (साधारण) 35 वां संशोधन नियम, 1971 होगा।

2. सीमा शुल्क और केन्द्रीय उत्पाद शुल्क निर्यात वापसी (साधारण) नियम, 1960 में, प्रथम अनुसूची मे, क्रम सं० 141 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात, निम्नलिखित अन्त:स्थापित किया जायगा, अर्थात

(142 चर्म परिष्कारक (पिकर) 4.37 रु० प्रति गुरुस"

[सं० 38/फा सं० 225/7/69-डी बी के]

G.S.R. 974:—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 75, read with sub-section (3) of section 160, of the Customs Act, 1962 (52 of 1962) and section 37 of the Central Excises and Salt Act, 1944 (1 of 1944), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Customs and Central Excise Duties Export Drawback (General) Rules, 1960, namely:—

1. These rules may be called the Customs and Central Excise Duties Export Drawback (General) 36th Amendment Rules, 1971.

2. In the First Schedule to the Customs and Central Excise Duties Export Drawback (General) Rules, 1960, for Serial No. 138 and the entries relating thereto, the following shall be substituted, namely:—

"138 Jute goods which are lined/laminated/extrusion coated with paper or polythene or both—

(i) jute and polythene content.—The appropriate rate fixed under Serial No. 49 of this Schedule in respect of jute content, plus the appropriate rate fixed under Serial No. 2 of this Schedule for articles made of polythene in respect of polythene content, if any.

(ii) paper content

(A) where the proof of importation is furnished.—The amount of import duty per Kg. of paper paid in the relevant Bill of Entry or Rs. 2.00 per Kg., whichever is less:

Provided that the exporter produces evidence to the satisfaction of the Collector of Customs and also produces a certificate from the manufacturer that an equivalent quantity of paper has been imported by the exporter/manufacturer within a period of twelve months immediately preceding the date of such exportation and used for the manufacture of the product exported, and that the quantity of imported paper has not been—

(a) similarly correlated to, and accounted for against any other previous exportation of articles made of paper, or

(b) previously re-exported as such or in any other form, with or without claim for drawback.

(B) where the proof of importation is not furnished.—Appropriate rate fixed under Serial No. 12 of this Schedule."

[No. 39/F. No. 600/66/70-DBK.]

सा०का०नि० 974.—सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 160 की उपधारा (3) के साथ पठित धारा 75 की उपधारा (2) और केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और नमक अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की धारा 37 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार सीमा शुल्क और केन्द्रीय उत्पाद शुल्क निर्यात वापसी (साधारण) नियम, 1960 में और आगे संशोधन करने के लिए एतद्द्वारा निम्नलिखित नियम बनाती है :–

1. इन नियमों का नाम सीमा शुल्क और केन्द्रीय उत्पाद शुल्क निर्यात वापसी (साधारण) 36वां संशोधित नियम, 1971 होगा।

2. सीमा शुल्क और केन्द्रीय उत्पाद शुल्क निर्यात वापसी (साधारण) नियम, 1960 की प्रथम अनुसूची में क्रम सं० 138 और उससे संबंधित प्रेविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा:—

"138 पटसन का वह माल, जिन पर/जो कागज या पोलीथीन या दोनों का अस्तर लगा हो/से पटलित हो / बहिलेपित हों–

( ) पटसन और पोलिथीन अन्तर्वस्तु	पटसन अन्तर्वस्तु की बाबत इस अनुसूची की क्रम सं० 49 के अन्तर्गत नियत समुचित दर तथा पोलिथीन अन्तर्वस्तु यदि कोई हो, की बाबत पोलिथीन से बनी वस्तुओं के लिए इस अनुसूची की क्रम संख्या 2 के अन्तर्गत नियत समुचित दर का योग।

(ii) कागज अन्तर्वस्तु

(क) जहां आयात का सबूत प्रस्तुत किया गया हो।	कागज के प्रति कि० ग्रा० के लिए सुसगत प्रवेश विपत्र में दी गई आयात शुल्क की रकम या प्रति कि० ग्रा० 2–00 रुपए, जो भी कम हो

परन्तु यह तब जब निर्यातकर्ता सीमा शुल्क कलेक्टर के समाधानप्रद रूप मे इस बात का साक्ष्य पेश करे और इस बात का प्रमाणपत्र भी विनिर्माणकर्ता से लेकर पेश करे कि ऐसे निर्यात की तारीख से ठीक पूर्ववर्ती बारह मास की अवधि के भीतर निर्यातकर्ता/विनिर्माणकर्ता द्वारा समतुल्य मात्रा में कागज का आयात किया गया है और उसका उपयोग निर्यात की गई वस्तुओं के विनिर्माण के लिए उसके द्वारा किया गया है तथा आयात किए गए कागज की मात्रा—

(क) कागज से बनी वस्तुओं के किसी अन्य पूर्ववर्ती निर्यात से वैसे ही सह–सबंध नही है और उसके लिए उसे हिसाब में नही लिया गया है, या

(ख) वापसी के दावे सहित या दावे के बिना, उसी रूप में या किसी अन्य रूप मे पहले पुनर्निर्यातित नही की गई है।

(ग) जहां आयात का सबूत प्रस्तुत नही किया गया है	इस अनुसूची की क्रम सं० 12 के अन्तर्गत नियत समुचित दर।

[सं० 39/फा० सं० 600/66/70-डी० बी० के०]

G.S.R. 975.—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 75, read with sub-section (3) of section 160, of the Customs Act, 1962 (52 of 1962) and section 37 of the Central Excises and Salt Act, 1944 (1 of 1944), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Customs and Central Excise Duties Export Drawback (General) Rules, 1960, namely:—

1. These rules may be called the Customs and Central Excise Duties Export Drawback (General) 37th Amendment Rules, 1971.

2. In the First Schedule to the Customs and Central Excise Duties Export Drawback (General) Rules, 1960, after Serial No. 142 and the entries relating thereto, the following shall be inserted, namely:—

"143 Sanitary and Bath room water fittings:—

(a) Chromium plated made of gun Metal	Rs. 1.81 per Kg.
(b) Chromium plated made of brass	Rs. 1.14 Kg."

[No 40/F. No. 601/122/5/70-DBK.]

सा० का० नि० 975.—सीमा शुल्क अधिनियम 1962 (1962 का 52) की धारा 160 की उपधारा (3) के साथ पठित धारा 75 की उपधारा (2) और केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और नमक अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की धारा 37 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार, सीमा शुल्क और केन्द्रीय उत्पाद शुल्क निर्यात वापसी (साधारण) नियम, 1960, में और आगे संशोधन करने के लिए एतद्द्वारा निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:—

1. ये नियम सीमा शुल्क और केन्द्रीय उत्पाद–शुल्क निर्यात वापसी (साधारण) 37 वां संशोधन नियम, 1971 कहे जाएंगे ।

2. सीमा शुल्क और केन्द्रीय उत्पाद शुल्क निर्यात वापसी (साधारण) नियम, 1960 की प्रथम अनुसूची में क्रम सं० 142 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात निम्नलिखित अन्तः स्थापित किया जायगा अर्थात:—

"143 स्वच्छता और स्नान गृह जल संबंधी सामान:—

(क) क्रोमियम चढ़ा कांसे से बना हुआ	1.81 रु० प्रति कि० ग्रा०"
(ख) क्रोमियम चढ़ा पीतल का बना हुआ	1.14 रु० प्रति कि० ग्रा०"

[सं० 40/फा० सं० 601/122/5/70-डी० बी के]

CENTRAL EXCISES

New Delhi, the 26th June, 1971

G.S.R. 976.—In exercise of the powers conferred by sub-rule (2) of rule 12-A of the Central Excise Rules, 1944, the Central Government hereby makes the following further amendment in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue) No 62/58-Central Excise, dated the 21st June, 1958, namely:—

In the Table annexed to the said notification, Serial No 7 and the entries relating thereto shall be omitted.

[No 128/71-F. No. 602/1/71-DBK.]

V. R. SONALKAR, Dy. Secy.

केन्द्रीय उत्पाद शुल्क

नई दिल्ली, 26 जून 1971

सा० का० नि० 976.—केन्द्रीय उत्पाद शुल्क नियम 1944 के नयम 12–क के उपनियम (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं० 62 58–के० उ० शु०, तारीख 21 जून 1958 मे एतद्द्वारा निम्नलिखित सशोधन और करती है, अर्थात् :–

उक्त अधिसूचना से उपाबद्ध सारणी मे, क्रम स० 7 और उससे सबधित प्रविष्टिया निकाल दी जाएंगी .

[सख्या 128 71 फा० स० 602/1/71-डी बी के]

वि० र० सोनालकर, उप सचिव ।

(Department of Revenue and Insurance)

CUSTOMS

New Delhi the 26th June 1971

G.S.R. 977.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 25 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), the Central Government, being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby exempts iron or steel washers, and iron or steel screws, specially designed for use in aircrafts and falling under Item No. 63(16) and Item No 63(33) respectively of the First Schedule to the Indian Tariff Act, 1934 (32 of 1934), when imported into India, from so much of that portion of the duty of customs leviable thereon which is specified in the said First Schedule as is in excess of 40 per cent *ad valorem.*

[No. 60/F. No. 355/24/71-Cus, I.]

(राजस्व और बीमा विभाग)

सीमा शुल्क

नई दल्ली, 26 जून 1971

सा० का० नि० 977.—सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, अपना यह समाधान हो जाने पर कि ऐसा करना लोकहित में आवश्यक है वायुयानों के इस्तेमाल के लिए विशेष रूप से डिजाइन किए गए तथा इण्डियन टैरिफ ऐक्ट, 1934 (1934 का 32) की प्रथम अनुसूची की मद संख्या 63 (16) और मद सं० 63 (33) के अन्तर्गत आने वाले क्रमशः लोहे या स्टील के वाशर और लोहे या स्टील के स्क्रुओं को, जब उनका आयात भारत में किया जाय, उस पर उद्ग्रहणीय सीमा शुल्क के जो उक्त प्रथम अनुसूची में विनिर्दिष्ट है, उतने भाग से, जितना 3 प्रतिशत मूल्यानुसार के आधिक्य में है, एतद्द्वारा छूट देती है।

[सं० 60/फा० सं० 355/24/71-सीमा शु० 1]

G.S.R. 978.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 25 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), the Central Government, being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby exempts iron or steel washers, and iron or steel screws specially designed for use in aeroplanes and falling under Item No 63(16) and Item No. 63(33) respectively of the First Schedule to the Indian Tariff Act, 1934 (32 of 1934), when imported into India, from so much of that portion of the duty of customs leviable thereon which is specified in the said Schedule as is in excess of 3 per cent *ad valorem*.

[No. 61/F. No. 355/24/71-Cus. I.]

J. DATTA, Dy. Secy.

सा० का० नि० 978—सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, अपना यह समाधान हो जाने पर कि ऐसा करना लोक हित में आवश्यक है, विमानों के इस्तेमाल के लिए विशेष रुप से डिज़ाइन किए गए तथा इण्डिएन टैरिफ ऐक्ट, 1934 (1934 का 32) की प्रथम अनुसूची की क्रमशः मद सं० 63 (16) और मद सं० 63 (33) के अर्न्तगत आने वाले लोहे या स्टील के वाशर और लोहे या स्टील के स्क्रुओं को, जब उनका आयात भारत मे किया जाए, उस पर उद्ग्रहणीय सीमा शुल्क के, जो उक्त प्रथम अनुसुची मे विनिर्दिष्ट है, उतने भाग से, जितना 3 प्रतिशत मूल्यानुसार के अधिक्य मे है, एतद्द्वारा छूट देती है।

[सं० 61/फा० सं० 355/247 1-सी० शु० 1]

ज्योतिर्मय दत्त, उप सचिव।

RESERVE BANK OF INDIA

(Central Office)

(Exchange Control Department)

Bombay, the 8th June, 1971

G.S.R. 979.—In pursuance of notification of the Government of India in the Ministry of Finance No F.1(67)-EC/57, dated the 25th September 1958, the Reserve Bank of India hereby directs that the following further amendment shall be made in Schedule to its Notification No. F.E.R.A. 168/58-R.B. dated the 4th December 1958, namely:—

In the said Schedule, after the entry "National & Grindlays Bank Ltd." the entry "New Bank of India Ltd." shall be inserted.

[No. F.E.R.A. 250/71-R.B.]

S. S. SHIRALKAR, Dy. Governor.

रिज़र्व बैंक आफ इंडिया

(केन्द्रीय कार्यालय)

(विदेशी मुद्रा नियंत्रण विभाग)

बम्बई, 8 जून, 1971

जी०एस०आर० 979.—भारत सरकार के वित्त मंत्रालय की अधिसूचना सं० एफ० 1(67)-ईसी/57 तारीख, 25 सितंबर 1958 के अनुसरण में रिज़र्व बैंक आफ इंडिया इसके ज़रिए यह निदेश देता है कि उसकी अपनी अधिसूचना सं० एफ० ई० आर० ए० 168/58-आर० बी०, तारीख 4 दिसंबर 1958 की अनुसूची में निम्नलिखित और संशोधन किया जाए, अर्थात् —

उक्त अनुसूची मे "नेशनल एण्ड ग्रिंडलेज़ बैंक लि०" की प्रविष्टि के बाद "न्यू बैंक आफ़ इंडिया लिमिटेड" प्रविष्टि सन्निविष्ट की जाए।

[सं० एफ० ई० आर० ए० 250/71-आर० बी०]

एस० एस० शिरालकर,

उप गवर्नर।

DEPARTMENT OF COMMUNICATIONS

(P. & T. Board)

New Delhi, the 18th June 1971

G.S.R. 979-A.—In exercise of the powers conferred by sections 10, 28 and 74 of the Indian Post Office Act, 1898 (6 of 1898), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Indian Post Office Rules, 1933, namely:—

1. (1) These rules may be called the Indian Post Office (Eighth Amendment) Rules, 1971.

(2) They shall come into force on the 1st day of July, 1971.

2. In the Indian Post Office, Rules, 1933,—

(1) for rule 5, the following rule shall be substituted, namely.—

"5. The following rates of postage shall be chargeable on postal articles when the postage is prepared:—

I. LETTERS

(A) For any part of the world served by the Foreign Post with the exception of Bhutan, Ceylon, Nepal and Pakistan:—

For a weight :	
Not exceeding 20 grams	0—80
Exceeding 20 grams but not exceeding 50 grams.	1—45
Exceeding 50 grams but not exceeding 100 grams.	1—90
Exceeding 100 grams but not exceeding 250 grams.	4—25
Exceeding 250 grams but not exceeding 500 grams.	8—00
Exceeding 500 grams but not exceeding 1,000 grams	13—50
Exceeding 1,000 grams but not exceeding 2,000 grams	21—50

(B) For Bhutan, Ceylon, Nepal and Pakistan, ... Indian Inland Rates.

II. POST CARDS

(A) For any part of the world served by the Foreign Post with the exception of Bhutan, Ceylon, Nepal and Pakistan . . . . . 55 Paise

(B) For Bhutan, Ceylon, Nepal and Pakistan. . . . Indian Inland Rates.

III. PRINTED PAPERS (INCLUDING NEWSPAPERS AND BOOKS)

(A) For any part of the world served by the Foreign Post with the exception of Bhutan, Ceylon, Nepal and Pakistan:—

For a weight :	R. P.
Not exceeding 20 grams	0—40
Exceeding 20 grams but not exceeding 50 grams	0—55
Exceeding 50 grams but not exceeding 100 grams	0—65
Exceeding 100 grams but not exceeding 250 grams.	1—10
Exceeding 250 grams but not exceeding 500 grams	1—90
Exceeding 500 grams but not exceeding 1,000 grams	3—20
Exceeding 1,000 grams but not exceeding 2,000 grams	5—40
Per 1,000 grams exceeding 2,000 grams	2—70

Provided that in the case of newspapers which, for the purpose of Inland Post, are treated as "Registered Newspapers", the rate of postage for each copy shall be as follows:—

For a weight :	R. P.
Not exceeding 20 grams	0—20
Exceeding 20 grams but not exceeding 50 grams	0—25
Exceeding 50 grams but not exceeding 100 grams	0—35
Exceeding 100 grams but not exceeding 250 grams	0—55
Exceeding 250 grams but not exceeding 500 grams	0—95
Exceeding 500 grams but not exceeding 1,000 grams	1—60
Exceeding 1,000 grams but not exceeding 2,000 grams	2—70
Pet 1,000 grams exceeding 2,000 grams	1—35

(B) For Bhutan, Ceylon, Nepal and Pakistan . Indian Inland Rates for Book Packets :

Provided that in the case of newspapers which, for the purpose of Inland Post, are treated as "Registered Newspapers", the Indian Inland Rates of postage for Registered Newspapers shall apply.

IV. "BLIND LITERATURE" PACKETS

"Blind Literature" packets to all foreign countries shall be exempt from postage.

V. SMALL PACKETS (SAMPLE AND SMALL PACKETS)

(A) For any part of the world served by Foreign Post with the exception of Bhutan, Ceylon Nepal and Pakistan:

For a weight :	Rs. P.
Not exceeding 100 grams	0—80
Exceeding 100 grams but not exceeding 250 grams.	1—60
Exceeding 250 grams but not exceeding 500 grams.	2—70
Exceeding 500 grams but not exceeding 1,000 grams	4—80

(B) For Bhutan, Ceylon, and Pakistan . Indian Inland Rates for Sample Packets.

VI. INSURED BOXES

	Rs. P.
For a weight not exceeding 250 grams	3—00
For every additional 50 grams or fraction thereof.	0—60

The Director General shall, from time to time, declare in the Post Office Guide, Part II, the countries and places to which insured boxes can be transmitted by the Foreign Letter Post.

VII. PARCELS

The Director General shall, from time to time, declare in the Post Office Guide, Part II, the countries and places to which parcels may be transmitted by the Foreign Post and the rates of postage chargeable in each case.

Postage and other charges due on parcels which are returned as undeliverable from the countries and places of destination in accordance with the arrangements in force between India and such countries and places shall be recovered from senders in India.";

(2) for rule 5-A, the following rule shall be substituted, namely:—

"5-A. The following rates of postage shall be chargeable on the gross weight of a bulk bag of printed matter when the postage is pre-paid, namely:—

1. *Bag containing Registered Newspapers Only*	Rs. P.
For a weight not exceeding 5 kilograms	6—75
For every additional 1 kilogram or part thereof	1—35

II. *Bag containing other Printed Matter whether with or without Registered Newspapers.*

For a weight not exceeding 5 kilograms . . . . . 13—50

For every additional 1 kilogram or part thereof . . . . . 2—70";

(3) in rule 5-B, in item (A), for the figures and word "75 paise", the figures and word "80 paise" shall be substituted.

[No. 1-21/70-R.]

N. C. TALUKDAR, Director (Mails).

संचार विभाग

(डाक-तार बोर्ड)

नई दिल्ली, 18 जून, 1971

सा०का०नि० 979-ए.—भारतीय डाक घर अधिनियम, 1898 (1898 का 6) के खण्ड 10, 28 तथा 74 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार भारतीय डाक घर नियम, 1933 में और आगे संशोधन करने के लिए एतद्द्वारा निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों का नाम भारतीय डाकघर (आठवां संशोधन) नियम, 1971 होगा।

(2) ये नियम जुलाई, 1971 की पहली तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. भारतीय डाकघर नियम, 1933 में

(1) नियम 5 के स्थान पर निम्नलिखित नियम प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् —

"5 जब डाक महसूल का पहले भुगतान किया जाए तब डाक वस्तुओं पर निम्नलिखित दरों पर डाक महसूल प्रभार्य होगा।

1. **पत्र**

(क) भूटान, लंका, नैपाल और पाकिस्तान को छोड़कर, संसार के किसी भी भाग के लिए जहां विदेश डाक सेवा उपलब्ध हो :—

जब वजन	रु० पै०
20 ग्राम से अधिक न हो	0—80
20 ग्राम से अधिक हो परन्तु 50 ग्राम से अधिक न हो	1—45
50 ग्राम से अधिक हो परन्तु 100 ग्राम से अधिक न हो	1—90
100 ग्राम से अधिक हो परन्तु 250 ग्राम से अधिक न हो	4—25
250 ग्राम से अधिक हो परन्तु 500 ग्राम से अधिक न हो	8—00
500 ग्राम से अधिक हो परन्तु 1000 ग्राम से अधिक न हो	13—50
1000 ग्राम से अधिक हो परन्तु 2000 ग्राम से अधिक न हो	21.50

(ख) भूटान, लंका, नैपाल तथा पाकिस्तान के लिए—भारतीय अन्तर्देशीय दरें

2. **पोस्टकार्ड**

(क) भूटान, लंका, नैपाल तथा पाकिस्तान को छोड़कर संसार के किसी भी भाग के लिए जहां विदेश डाक सेवा उपलब्ध हो 55 पैसे ।

(ख) भूटान, लंका, नैपाल तथा पाकिस्तान के लिए——भारतीय अन्तर्देशीय दरें

3. **छपे हुए कागज-पत्र : (जिसमें समाचार पत्र तथा पुस्तकें भी हैं)**

(क) भूटान, लंका, नैपाल तथा पाकिस्तान को छोड़कर, संसार के किसी भी भाग के लिए, जहां विदेश डाक सेवा उपलब्ध हो :——

जब वजन	रु० पैसे
20 ग्राम से अधिक न हो	0——40
20 ग्राम से अधिक हो परन्तु 50 ग्राम से अधिक न हो	0——55
50 ग्राम से अधिक हो परन्तु 100 ग्राम से अधिक न हो	0——65
100 ग्राम से अधिक हो परन्तु 250 ग्राम से अधिक न हो	1——10
250 ग्राम से अधिक हो परन्तु 500 ग्राम से अधिक न हो	1——90
500 ग्राम से अधिक हो परन्तु 1000 ग्राम से अधिक न हो	3——20
1000 ग्राम से अधिक हो परन्तु 2000 ग्राम से अधिक न हो	5——40
2000 ग्राम से ऊपर के प्रत्येक 1000 ग्राम के लिए	2——70

परन्तु उन समाचार पत्रों की दशा में, जो अन्तर्देशीय डाक के प्रयोजन के लिए "रजिस्ट्रीकृत समाचार पत्र" समझे जाते हैं, प्रत्येक प्रति के लिए डाक महसूल की दर निम्नलिखित होगी:——

20 ग्राम से अधिक न हो	0——20
20 ग्राम से अधिक हो परन्तु 50 ग्राम से अधिक न हो	0—25
50 ग्राम से अधिक हो परन्तु 100 ग्राम से अधिक न हो	0——35
100 ग्राम से अधिक हो परन्तु 250 ग्राम से अधिक न हो	0——55
250 से अधिक हो परन्तु 500 ग्राम से अधिक न हो	0——95
500 ग्राम से अधिक हो परन्तु 1000 ग्राम से अधिक न हो	1——60
1000 ग्राम से अधिक हो परन्तु 2000 ग्राम से अधिक न हो	2——70
2000 ग्राम से ऊपर के प्रत्येक 1000 ग्राम के लिए	1——35

(ख) भूटान, लंका, नैपाल तथा पाकिस्तान के लिए——बुक पैकटों की भारतीय अन्तर्देशी दरें :——

परन्तु उन समाचार पत्रों की दशा में जो अन्तर्देशीय डाक के प्रयोजन के लिए "रजिस्ट्रीकृत समाचार पत्र" समझे जाते हैं, रजिस्ट्रीकृत समाचार-पत्रों के लिए डाक महसूल की भारतीय अन्तर्देशीय दरें लागू होंगी :——

4. **"अन्ध साहित्य" पैकेट**

किसी भी विदेश को भेजे जाने वाले "अन्ध साहित्य" पैकट डाक महसूल से मुक्त होंगे ।

5. **छोटे पैकट (नमूने के तथा छोटे पैकट)**

भूटान, लंका, नैपाल तथा पाकिस्तान को छोड़कर, संसार के किसी भी भाग के लिए जहां विदेश डाक सेवा उपलब्ध हो :—

जब वजन	रु० पैसे
100 ग्राम से अधिक न हो	0—80
100 ग्राम से अधिक हो परन्तु 250 से अधिक न हो	1—60
250 ग्राम से अधिक हो परन्तु 500 ग्राम से अधिक न हो	2—70
500 ग्राम से अधिक हो परन्तु 1000 ग्राम से अधिक न हो	4—80

(ख) भूटान, लंका, नैपाल तथा पाकिस्तान के लिए———नमूने के पैकटों की भारतीय अन्तर्देशीय दरें :— —

6. **बीमाकृत सन्दूक**

	रु० पै०
जब वजन 250 ग्राम से अधिक न हो	3—00
प्रत्येक अतिरिक्त 50 ग्राम या उसके किसी अंश लिए	0—60

महानिदेशक, उन देशों के नाम जिनको बीमाकृत सन्दूक विदेश पत्र डाक द्वारा पारेषित किए जा सकते है, डाकघर निर्देशिका भाग 2 में समय समय पर घोषित करेंगे ।

7. **पार्सल**

महानिदेशक, उन देशों के नाम जिनको पार्सल वि देश डाक द्वारा पारेषितकिए जा सकते हैं तथा प्रत्येक मामले में प्रभार्य डाक महसूल की ऐसे पार्सलों पर देय डाक महसूल तथा अन्य प्रभार जो गन्तव्य देशों और स्थानों से भारत, और ऐसे देशों और स्थानों के बीच प्रवृत्त व्यवस्था के अनुसार इस कारण वापस कर दिए जाते हैं कि उनका वितरण संभव ही नहीं है भारत में उन पार्सलों के प्रेषकों से वसूल किए जाएंगे ।"

(2) नियम 5—क, स्थान पर निम्नलिखित नियम प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"5 क डाक महसूल की पूर्व अदायगी की जाने पर, छपी वस्तुओं के भारी थैले के कुल वजन पर निम्नलिखित डाक महसूल दरें प्रभार्य होंगी, अर्थात् :—

I. **थैला जिसमें केवल रजिस्ट्रीकृत समाचार पत्र ही हों** :—

जब वजन	रु० पै०
5 किलो ग्राम से अधिक न हो प्रत्येक अतिरिक्त 1 किलो ग्राम तथा	6—75
उसके अंश के लिए	1—35

II. **थैला जिसमें अन्य छपी हुई वस्तुएं हों, चाहे उसमें रजिस्ट्रीकृत समाचार पत्र हो या न हो ।**

	रु० पै०
जब वजन 5 किलो ग्राम से अधिक न हो	13—50
प्रत्येक अतिरिक्त 1 किलो ग्राम या उसके अंश के लिए	2—70"

(3) नियम 5-ख के मद (क) में, अंक तथा शब्द "75 पैसे" के स्थान पर अंक तथा शब्द "80 पैसे" प्रतिस्थापित किया जाएगा ।

[सं० 1-21/70-डर]

एन० सी० तालुकदार,
निदेशक (डाक) ।

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE MANAGER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1971